

# लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र  
(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 13 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

### © 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

### अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

## विषय-सूची

षोडश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 06, गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2015 / 12 अग्रहायण, 1937 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
भोपाल गैस त्रासदी	12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64	16-42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80	43
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	

---

\* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	44-45
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
19वें से 26वां प्रतिवेदन	46-47
माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015	49-50
माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के बारे में विवरण	
नियम 193 के अधीन चर्चा	
तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ की स्थिति	52-80
डॉ. किरिट सोमैया	52
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	53-54
श्री डी.के. सुरेश	55-56
डॉ. किरिट पी. सोलंकी	57
श्री ए. टी. नाना पाटिल	58-60
कुमारी शोभा कारान्दलाजे	61-62
श्री राजनाथ सिंह	63-78
सदस्यों द्वारा निवेदन	79-80
(एक)    केरल के रबर किसानों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के बारे में	79-82

(दो) डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर उनके जन्म स्थान ग्राम जीरादेई जिला 89-89 सीवान बिहार में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

**नियम 377 के अधीन मामले** 111-133

(एक) देश में समयपूर्व प्रसव के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने हेतु उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश** 111-112

(दो) बिहार में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत होने वाली अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता

**डॉ. भोला सिंह** 113

(तीन) बिहार के वाल्मिकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लैंड कस्टम स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**श्री सतीश चंद्र दुबे** 114

(चार) महाराष्ट्र में कल्याण-टिटवाला-मुरबाड को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

**श्री कपिल मोरेक्षर पाटील** 115

(पाँच) देश के सैन्य बलों में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे युवाओं के लिए रोजगार हेतु विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाने की आवश्यकता

**श्री जुगल किशोर** 116

(छः) मध्य प्रदेश के भिंड में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**डॉ. भागीरथ प्रसाद**

117

(सात) मध्य प्रदेश में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एवं कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**श्री सुधीर गुप्ता**

118

(आठ) देश में, विशेषरूप से बुदेलखंड क्षेत्र में तालाबों और झीलों से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता

**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल**

119

(नौ) पालघर, महाराष्ट्र में नया बीएसएनएल दूरसंचार जिला स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**श्री चिंतामन नवाशा वांगा**

120

(दस) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

**श्री राघव लखनपाल**

121

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के गुना और मक्सी होते हुए इलाहाबाद और अजमेर के बीच एक नई रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

**श्री रोड़मल नागर**

122-123

(बारह) तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में बाढ़ की स्थिति का समाधान करने हेतु नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा सीएसआर फंड जारी किए जाने की आवश्यकता

	<b>श्री ए. अरूणमणिदेवन</b>	124
(तेरह)	अटल मिशन शहरों में जलापूर्ति परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	<b>श्री वी. एलुमलाई</b>	125-126
(चौदह)	ओडिशा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि० को टेनटुलोई कोल ब्लॉक के बदले छेनड़ीपाड़ा एवं छेनड़ीपाड़ा-दो कोल ब्लॉक आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
	<b>श्री भर्तृहरि महताब</b>	127
(पंद्रह)	महाराष्ट्र के मुंबई में लाल बहादुर शस्त्री कालेज में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता	
	<b>श्री गजानन कीर्तिकर</b>	128
(सोलह)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में डेयरी किसानों को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	<b>एडवोकेट जोएस जार्ज</b>	129
(सत्रह)	हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के गीरी-पार क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	<b>श्री वीरेंद्र कश्यप</b>	130
(अठारह)	उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	<b>डॉ. अंशुल वर्मा</b>	131

(उन्नीस) बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने और फसल में रोग लग जाने से पीड़ित किसानों को समुचित क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

**श्री सुशील कुमार सिंह**

132

(बीस) जिला धौलपुर, राजस्थान की राजाखेड़ा तहसील में नया नागर विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**डॉ. मनोज राजोरिया**

133

**भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015**

134-210

प्रो. के.वी. थॉमस

134-138

डॉ. संजय जायसवाल

139-142

श्री ए. अनवर राजा

143-148

डॉ. ममताज संघमिता

149-152

श्री रवीन्द्र कुमार जेना

153-156

श्री जयदेव गल्ला

157-160

श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

161-165

श्री पी. के. बीजू

166-168

श्री अरविंद सावंत

169-171

श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी

171-175

श्री अक्षय यादव	175-176
श्री ओम बिरला	177-179
श्री भगवंत मान	179-180
श्री अभिजीत मुखर्जी	181-183
श्री चरनजीत सिंह रोड़ी	184-185
श्री गोपाल शेष्टी	186-188
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	189-191
प्रो. रिचर्ड हे	192-193
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	194-199
श्री कौशलेन्द्र कुमार	199-200
श्री रतन लाल कटारिया	200-201
श्री रामविलास पासवान	203-210
खंड 2 से 33 और 1	208-226
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	227-232

**उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन  
विधेयक, 2015**

विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा	233-234

**लोक सभा के पदाधिकारी**

**अध्यक्ष**

श्रीमती सुमित्रा महाजन

**उपाध्यक्ष**

डॉ. एम. तंबिदुरै

**सभापति तालिका**

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

**महासचिव**

श्री अनूप मिश्रा

लोक सभा वाद-विवाद

---

---

लोक सभा

-----

गुरुवार, 3 दिसंबर, 2015 / 12 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुई]

## अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भोपाल गैस त्रासदी

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी है। इस दिन वर्ष 1984 में भोपाल में विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक आपदा हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस तथा अन्य विषाक्त गैसों के रिसाव ने भीषण तबाही मचाई थी जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए थे और अन्य कई हजार लोग प्रभावित हुए थे। इस घटना के विध्वंसक परिणाम इतने घातक थे कि उसके बाद पैदा होने वाले अनेक शिशु भी विभिन्न रोगों से पीड़ित पाए गए।

यह सभा इस त्रासदी के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना एवं अपने समर्थन की पुनः पुष्टि करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।*

---

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यों, मुझे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के संबंध में श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री एम.बी. राजेश और श्री पी. करुणाकरन; पेरिस और काठमांडू में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता के संबंध में प्रो. सौगत राय; रबर की खेती करने वाले किसानों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, फिर भी दिन के कामकाज में रुकावट की आवश्यकता नहीं है। मामले उठाए जा सकते हैं और मैं उन्हें अन्य अवसरों के माध्यम से अनुमति दूंगी। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** मैं एडजर्नमेंट मोशन नहीं दूंगी। आप अन्य तरीके से बाद में इसे उठा सकते हैं। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब प्रश्नकाल।

प्रश्न संख्या 61- श्री बलभद्र माझी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्नकाल के बाद आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :** महोदया, मोहम्मद सलीम और आउटलुक मैगज़ीन के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप प्रश्न काल के बाद अपनी बात बोलिएगा, अभी नहीं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष महोदया:** यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्रश्नकाल के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगा।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... \*

**माननीय अध्यक्ष:** एक मिनट माझी जी।

... (व्यवधान)

---

\* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ है। महंगाई पर बहस के लिए सरकार तैयार है। अभी माननीय सदस्यों ने जो एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है, तो इस पर हम सहमत हैं। हम इस पर बहस करा लेंगे। आप समय तय करा लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है?... (व्यवधान) सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप जब चाहे तब, इस विषय पर बहस करा सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ठीक है, यह तो बी.ए.सी. में तय होगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** हां, हम करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं तैयार हूँ। यह ठीक है।

**पूर्वाह्न 11.04 बजे****\*प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

**माननीय अध्यक्ष:** अब, प्रश्न संख्या 61, श्री बलभद्र माझी।

**(प्रश्न संख्या 61)**

[हिन्दी]

**श्री बलभद्र माझी :** मैडम, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वर्ष 2018 तक देश के सारे गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा, यह बहुत सराहनीय विषय है।... (व्यवधान)

मैडम, यह खुशी की बात है कि सरकार ने वादा किया है कि 1 मई, 2018 तक भारतवर्ष के सारे गांवों का विद्युतीकरण का काम खत्म हो जाएगा। जो फीगर्स दी हैं, इसमें आज तक ओडिशा में 3,450 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह आंकड़ा लगता है कि थोड़ा गलत है, क्योंकि अकेले मेरी कांस्टीट्यूएंसी में ही एक हजार गांव अभी तक बचे हैं। हो सकता है कि सरकार ने इसमें हैमलेट्स को कंसीडर न किया हो। कई ऐसे गांव हैं, जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 300 गांव हैं, जिनका रास्ता नहीं है, मतलब वे रोड से एप्रोचेबल नहीं हैं। क्या उनको सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रीफाई करेंगे?

**श्री पीयूष गोयल :** महोदया, माननीय सांसद ने एक बहुत अहम विषय पर आज सदन का ध्यान आकर्षित किया है। जो 18,452 गांवों का जिक्र होता है, ये रेवेन्यू विलेजेज हैं। ये सेंसस के हिसाब से रेवेन्यू विलेजेज माने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 15 अगस्त, 2015 को वादा किया है कि 1000 दिनों में,

---

\* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

इसका मतलब हुआ 1 मई, 2018 तक पूरे देश में जो 18,452 गांव हैं, इन सभी का विद्युतीकरण पूरा किया जाएगा।

मुझे आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को बताने में बहुत खुशी होती है अध्यक्ष महोदया, कि हमने इसको एकदम पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका एक मोबाइल ऐप बना रखा है। मैं सभी सांसदों से दरखास्त करूँगा कि आप उसे अपने मोबाइल पर ले लें। इस मोबाइल ऐप के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में आपको रोज की स्थिति, कितने गाँव कब हो रहे हैं, उसके एक-एक गाँव की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी हम सभी के समक्ष रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कल का मोबाइल ऐप का निकाला, 2 दिसम्बर 2015 को 3,021 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका था और 3 दिसम्बर का जब मैंने आज सुबह निकाला तो 3,024 गाँवों का हो चुका है। यानी कल और आज के बीच तीन और गाँवों में विद्युतीकरण कम्प्लीट किया गया है, एनर्जाइज किया गया है। वैसे ही कल और आज के बीच के आँकड़े देखें तो जो गाँव में काम शुरू हुआ है, वह गाँव कल तक 13,496 थे, आज 13,661 हैं यानी कल और आज के बीच 165 और गाँवों में विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ है। ऐसे हमने 12 स्टेप्स में हर एक गाँव के विद्युतीकरण को ब्रेकअप किया है और एक-एक गाँव में विद्युतीकरण किस स्टेप पर है, यह आप सबके समक्ष रखा है। आपको अपने-अपने गाँव की जो जानकारी चाहिए, वह जानकारी बिना कोई आरटीआई डाले, बिना कोई प्रश्न पूछे उस ऐप के द्वारा आपको मिल जाएगी।

जहाँ तक आपने बताया कि आपकी खुद की कांस्टीट्यूएन्सी में एक हजार गाँव हैं। उसमें कई ऐसी छोटी-छोटी ढाणियाँ होती हैं, टोले होते हैं, जो छोटे-छोटे, दूर दराज के इलाके में रहते हैं। माननीय दुष्यन्त चौटाला जी ने भी इसका जिक्र पिछले सत्र में किया था। जो छोटे इलाके हैं, चूंकि ये रेवेन्यू विलेज नहीं गिने जाते हैं, इसलिए इनको इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है। फिर भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने यह फैसला लिया है कि इन टोलियों तक भी, इन छोटी ढाणियों तक भी विद्युतीकरण पहुंचाना है। हम राज्य सरकार के साथ निरंतर बातचीत में हैं कि कैसे इन टोलियों तक बिजली पहुंचे। इसमें कुछ टोलियां तो नजदीक हैं। मैं अभी राजस्थान में ढाणी देखकर आया। वहां लाइन जा रही है। ढाणी एकदम लाइन के बीचोबीच है। वहां बड़ी आसानी से बिजली दी जा सकती है। मैंने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि

ऐसी जितनी ढाणियां हैं, जहां तक लाइन पहुंची है, उन सबका तुरन्त विद्युतीकरण किया जाए। परन्तु जो बहुत दूरदराज के इलाके में, जैसे घने जंगल के अंदर हो या हिल्स के ऊपर हो, माउटेन्स के ऊपर हो, वहां हम ऑफबीट सोल्यूशंस से भी, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उससे बिजली देने के लिए तैयार हैं।

**श्री बलभद्र माझी :** मैडम, एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली दे रहे हैं और गांव के लिए जो बिजली दे रहे हैं, इसका फीड सेपरेशन करना है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका टारगेट कब तक है? मई, 2018 का जो टारगेट रखा है कि सारे गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा, तो क्या अभी जितनी बिजली उत्पन्न हो रही है, उतनी पर्याप्त है या उसके लिए एक्स्ट्रा बिजली उत्पन्न करना पड़ेगा?

**श्री पीयूष गोयल :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद जी ने दोनों ही बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। दूसरे प्रश्न का बड़ा सरल जवाब है, जो मैं दे सकता हूं कि गत 18 महीनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड पड़े थे, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, कोई पर्यावरण क्लीयरेंस के कारण, कहीं जमीन की कठिनाई थी, अन्य वजहों के कारण प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन सभी कठिनाइयों पर विशेष ध्यान दे कर, गत 18 महीनों में 20 हजार मेगावाट से भी अधिक बिजली कैपेसिटी की क्षमता बढ़ायी गयी है। आज यह स्थिति है कि देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली है और पर्याप्त मात्रा में कोयला है। देश के जिन प्रदेशों को कोयला और बिजली चाहिए, उनके लिए देश में कोयला और बिजली आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर आज देखेंगे तो थोड़ी कठिनाई दक्षिण भारत में है, क्योंकि वहां ट्रांसमिशन लाइनें सफिशिएंट नहीं हैं, उन लाइनों को बनाने में कई वर्ष लगते हैं, हमने उनके लिए भी तेजी से प्लानिंग की है। जो-जो प्रोजेक्ट्स कई वर्षों से रुके हुए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स तो 10 वर्षों से रुके हुए थे, उनका काम तेजी से खत्म करके गत 18 महीनों में लगभग चार हजार मेगावाट से अधिक की क्षमता बढ़ायी गयी है। आगे आने वाले तीन वर्षों में दक्षिण भारत में बिजली देने के लिए, हम 20,000 मेगावाट से अधिक क्षमता बढ़ायेंगे और साथ ही साथ लगभग 8,000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट से अधिक मेगावाट के नये प्रोजेक्ट्स दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में लगाने की योजनाएं बना रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को भी जोड़ कर आगे आने वाले दिनों में ट्रांसमिशन ग्रिड्स भी पूरे देश में सिमलेस बढ़

जायेंगे और अधिक क्षमता वाला, जो दो वर्ष, चार वर्ष के बदले आगे 20 वर्षों तक प्लानिंग करेगा और बिजली उत्पादन करने की क्षमता भी पर्याप्त रहेगी ताकि आगे आने वाले 10 वर्षों तक देश में बिजली की कमी न हो।

माननीय सांसद महोदय का फीडर सैपरेशन वे संबंध में बहुत अच्छा सवाल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फीडर सैपरेशन का जो गुजरात में प्रयोग किया था, उसका उनको बहुत अधिक लाभ मिला है, जिसके कारण आज गुजरात के हर गांव को पर्याप्त बिजली मिलती है और हर किसान को पर्याप्त बिजली मिलती है। उसी प्रकार से 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति' योजना के तहत पूरे देश में, जिन-जिन इलाकों में किसानों को अधिक बिजली की जरूरत है, कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां किसानों को खेतों में थोड़ी बिजली लगती है, उन इलाकों तक अगर बिजली लेकर जाना चाहें तो हमें लाखों-करोड़ों रुपये लगेंगे, उसमें समय लगेगा, इसलिए हमने प्रायोरटाइज करके जिन इलाकों में ज्यादा किसान हैं, जिन इलाकों में ज्यादा बिजली लगती है, उनको प्रायोरटाइज करके लगभग 63,810 करोड़ रुपये, अन्य-अन्य राज्यों को दिए हैं, जिसका एक प्रमुख अंग फीडर सैपरेशन है। यह भी मार्च, 2019 के पहले, उन सभी इलाकों में, जहां-जहां अप्रूवल मिली है, वहां फीडर सैपरेशन का भी काम पूरा किया जायेगा।

**श्री गोपाल शेटी :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने लिखित और मौखिक रूप में बहुत खुलासा किया है, उसके बाद भी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड की स्थापना करने के बावजूद, आज जो आंकड़े मंत्री महोदय ने दिये हैं, देशभर में आज भी साढ़े सात करोड़ घरों को विद्युतीकरण से जोड़ा नहीं गया है। इसमें भी बहुत विशेष पीड़ादायक है कि उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी निवारचित होकर सदन में आये हैं, वहां पर अभी भी दो करोड़ लोगों के घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है...  
(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपना प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

**श्री गोपाल शेटी :** अभी भी बिहार जैसे राज्य में डेढ़ करोड़ लोगों के घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जिस महाराष्ट्र राज्य से मैं निवारचित हो कर आया हूँ, वहां भी 34 लाख से अधिक लोगों के घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह आंकड़े 2011 के सेन्सस के अनुसार दिये गये हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आप वर्ष 2011 के सेन्सस के अनुसार लोगों को बिजली देना चाहते हैं या फिर वर्ष 2018 में जब यह आपकी स्कीम पूरी होगी, हम "सबका साथ और सबका विकास" की जब हम बात करते हैं तो सारे देश के लोगों के घरों का विद्युतीकरण होना चाहिए... (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड और कॉरपोरेशन की लैंड, एक-दूसरे को एनओसी नहीं दिया जाता है। खासकर, मुंबई जैसे शहर के लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि वर्ष 2018 तक देश के सभी राज्य सरकारों की जमीन, केन्द्र सरकार की जमीन, नगरपालिका, महानगरपालिका ऐसे सभी लोगों को विद्युत देने के लिए क्या वह आश्वासन देंगे?

**श्री पीयूष गोयल :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, ये रूरल हाउसहोल्ड विदाउट इलैक्ट्रिसिटी एज पर सैन्सस 2011 हैं। एक सैन्सस ऑथेंटिक डॉक्युमेंट होता है जिस पर सरकार की कार्यवाही चलती है। उसके बाद का विषय देखें तो हमारा अनुमान है कि इसमें से लगभग एक करोड़ 80 हजार घरों तक गत चार वर्षों में बिजली पहुंची है। उसमें भी अगर हम पिछले 18 महीने का देखें तो हमने एक-एक राज्य के साथ बैठकर उसे मौनीटर किया, लोगों को एकाउंटेबल किया। जो कठिनाइयां आईं, उन्हें सॉल्व करते हुए इस काम में बहुत तेजी की। वास्तव में उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है। हम उत्तर प्रदेश को बार-बार चिट्ठी लिखते जा रहे हैं कि हमें पता चले कि अभी लेटैस्ट स्टेट्स क्या है, किन-किन घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन हमें अभी तक उसका डाटा नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश में कितने घरों में आज की तारीख में बिजली नहीं है।

उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय यह भी उठाया कि एक तरफ इतने गांवों को बिजली मिल गई, हम सब बताते हैं, देशभर में सिर्फ 18 हजार गांव रह गए हैं, फिर साढ़े सात करोड़ घर क्यों हैं। पहले देशभर में विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम चलता था, उसमें एक बार बिजली गांव तक पहुंच गई, उसके बाद पंचायत ऑफिस में पहुंच गई, 10 प्रतिशत घरों में पहुंच गई तो टिक लगा दिया जाता था कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया है। यह सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कल्पना की है कि आने वाले साढ़े तीन साल यानी 2019 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचे। यह कल्पना नहीं है कि 10 प्रतिशत को पहुंचे जो पहले थी, हर घर को बिजली पहुंचे। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बताना चाहूंगा कि हमारी कल्पना है कि हर घर तक बिजली पहुंचे, लेकिन बहुत अहम भूमिका राज्य सरकारों की है। हम पूरा पैसा राज्य सरकार को ही दे सकते हैं। संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार एक-एक घर तक बिजली नहीं पहुंचा सकती। हम राज्य सरकार को बार-बार दरखास्त करते हैं कि आपकी जो कठिनाई है, हमें बताइए। हम उसका समाधान निकालेंगे।

मैं एक ऐसा ही उदाहरण देता हूं। ओड़िसा में 11वां और 12वां प्लान, 11वां प्लान 2012 तक होना था। इन सबके प्रोजेक्ट्स लगे ही नहीं हैं। मैं खुद 3 सितम्बर को ओड़िसा गया था। डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की और जब देखा कि वहां क्षमता नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी जो केन्द्रीय उपक्रम हैं, उन दोनों को वहां लगाया। उनके साथ सब टेंडर एवार्ड किया, फाइनलाइज किया। दोनों ने कमिट किया है कि 1 मई, 2018 तक बाकी सब गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार बिहार का दृश्य देखिए। बिहार में जो 11वें प्लान में होना था यानी 2007 से 2012 तक, उसके फेज 2 में जितने गांव होने थे, जब मैं मंत्री बना तो वे गांव हुए ही नहीं थे। हम उनके साथ बैठकर निरंतर मीटिंग करते हैं। मैं स्वयं हर महीने की 10 तारीख को पूरे देश के हर पावर सैक्रेटरी को दिल्ली में मिलता हूं और उनके साथ चर्चा करता हूं कि कैसे तेजी लाई जाए। इसकी वजह से 11वां प्लान फेज 2 जो 2012 तक होना था, हमने लगभग सभी गांव यानी 55 प्रतिशत गांव जिनमें विद्युतीकरण नहीं पहुंचा था, उन्हें बिजली पहुंचा दी है। बाकी गांवों, लगभग एक वर्ष के अंदर बिहार में हर रिवैन्यू विलेज तक बिजली पहुंच जाएगी।

मैं आपके माध्यम से सदन को एक और सूचना देना चाहता हूँ जो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो 18,452 गांव हैं, सिर्फ 10 प्रतिशत घर या बीपीएल घर नहीं, इन गांवों के हरेक घर को विद्युतीकरण करके जो हजार दिन का कमिटमेंट हमने माननीय प्रधान मंत्री जी को दिया है, उसे पूरा करेंगे।

**माननीय अध्यक्ष :** बहुत विस्तृत उत्तर दिया है, फिर भी सप्लीमेंट्री बनती है।

... (व्यवधान)

**श्री निनोंग इरिंग:** अध्यक्ष महोदया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को एक साथ करने से, मैं आदरणीय विद्युत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपकी जो मंशा होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि दूरदराज इलाके, ग्रामीण इलाके खासकर अरुणाचल प्रदेश में जो प्रावधान रखा है, मैंने सब आंकड़े देखे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली का भंडार है, जो जलविद्युत परियोजनाएं हैं, आप इसे मेनलैंड इंडिया में लाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, इस बारे में बताइए?

**श्री पीयूष गोयल :** भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस दिन से शपथ लिए हैं, उन्होंने बार-बार सभी मंत्रियों को उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया, जितना ध्यान इस सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में पिछले 18 महीनों में दिया है, शायद ही भारत के 68 वर्ष के इतिहास में पहले कभी हुआ होगा। मैं स्वयं पॉवर मिनिस्टर की कांफ्रेंस जो छह महीने में होती है, देश के इतिहास में पहली बार देश भर के राज्यों के मंत्री गुवाहाटी में पॉवर मिनिस्टर कांफ्रेंस में शामिल हुए, इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के भी मंत्री जी आए थे और बहुत विस्तृत रूप से उनकी समस्याओं पर चर्चा हुआ और आगे का रोडमैप बना। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर तो हमारा खास ध्यान है, लगभग 1500 करोड़ के ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और 1500 करोड़ ट्रांसमिशन सिक्किम में ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए पॉवर ग्रिड कॉरपारेशन ने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो 80 हजार घर हैं, काफी दूर-दूर घर हैं, कुछ चीन के बॉर्डर पर हैं, वहां ट्रांसमिशन लाइन ले जाने में समय लगेगा, हमने उसके लिए विशेष तौर पर ऑफ ग्रिड सोल्यूशन किया है, वहां पर सोलर स्टोरेज लगाकर विद्युत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है।

**कर्नल सोनाराम चौधरी:** मैडम, मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में 50% अभी भी इलेक्ट्रिफाईड नहीं हुआ है। पिछली बार 570 करोड़ रुपये के बजाए 460 करोड़ रुपये दिए गए और 100 करोड़ रुपये अभी बाकी है, अगर इसे मई, 2018 तक करना है तो आगे पैसा देना चाहिए। वर्ष 2003-2008 तक राज्य में वसुंधरा जी थीं तब यह 15,000 करोड़ का था जो अब 2008-13 तक 15000 से बढ़कर 75,000 करोड़ हो गया है। वहां डिस्कॉम की हालत बहुत खराब है। अगर इसे वर्ष 2018 तक इलेक्ट्रिफाईड करना है तो इसके लिए पैसा देना चाहिए, क्या राजस्थान की डिस्कॉम को बेल-आऊट करने के लिए स्पेशल पैकेज देने पर विचार करेंगे?

**श्री पीयूष गोयल :** महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पारदर्शिता और इन्नोवेटिव तरीके से योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अधिकारियों ने इसका अनुमान 500 करोड़ रुपये का लगाया होगा, हम वही काम आपको 400 करोड़ रुपये में करके देंगे, आप बेफिक्र रहिए लेकिन सभी रेवेन्यू विलेजेज तक 1 मई, 2018 तक बिजली पहुंचेगी, आपके यहां जो दूरदराज ढानियां हैं उसके लिए उतना पैसा उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात आपने डिस्कॉम की बात की, विशेष रूप से उदय नाम से उज्ज्वल डिस्कॉम अस्वस्थ योजना नाम से है जिसे कैबिनेट ने 5 नवम्बर को मंजूरी दी है। जो प्रोजेक्ट सभी राज्यों की सहमति से बनाए गए, सभी बैंकों की सहमति से बनाया गया, उस उदय योजना से मैं समझता हूँ राजस्थान की डिस्कॉम जिसमें सालाना 12,000-15,000 करोड़ रुपये का लॉस माननीय वसुंधरा जी को विरासत में मिला है उसे हम 2018 तक जीरो कर देंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ।

**श्री सुल्तान अहमद:** माननीय बिजली मंत्री जी ने पूरे देश की छवि पेश की है। बंगाल की सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है, वहां सिर्फ 22 गांव ही बचे हैं। ... (व्यवधान) आज बंगाल विद्युत उत्पादन तो कर ही रहा है, साथ ही पड़ोसी देशों को विद्युत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये जो कुछ गांव बचे हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे? राज्य सरकार ने यह किस तरह किया है, इसे दूसरे राज्यों को भी देखना और सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह कवरेज किया है। यहां जो आंकड़े दिये गये हैं, उनमें बंगाल पहला राज्य है, जिसमें केवल 22 गांव ही अनइलैक्ट्रिफाईड बचे हैं। क्या केन्द्र सरकार इस बारे में कोई घोषणा करेगी? मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूँ कि हमने 99 परसेंट गांवों को इलैक्ट्रिफाईड किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ

गांव में ही बिजली पहुंची है, बल्कि घर-घर में बिजली पहुंची है। बंगाल की यह जो सक्सेस स्टोरी है, उसके पीछे क्या राज है? ... (व्यवधान) आपके गांव में बिजली है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। आप अपना प्रश्न पूछिये।

... (व्यवधान)

**श्री सुल्तान अहमद :** अध्यक्ष महोदया, बंगाल में अभी कुछ गांव बचे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या राज है? बंगाल बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि दूसरे राज्यों में बिजली की कमी है।

**श्री पीयूष गोयल :** अध्यक्ष महोदया, हमने विकास के कार्य में, खासतौर पर विद्युतीकरण में राजनीति को बीच में नहीं लाये हैं। हर एक राज्य के साथ न्याय हुआ है। उलटे सबसे ज्यादा अगर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस का लाभ मिला है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला है जहां हमारी सत्तारूढ़ पार्टी शासन नहीं करती है। विद्युतीकरण में जो रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी, उसे मद्देनजर रखते हुए हमने काम किया है। जो राज्य अच्छा काम करती है, उसकी हम सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। यह जो 22 गांवों का जिक्र किया गया है, वह ज्यादातर सुंदरवन एरिया में है। इन सबको हमने एज ए स्पेशल केस दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मंजूरी दी है। इनका भी विद्युतीकरण हम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में करेंगे। ... (व्यवधान) हर स्टेट की अलग-अलग परिस्थिति है। अब रेटिंग का अलग प्रोसैस है और रेटिंग के हिसाब से वह रिलीज की जाती है।

## (प्रश्न संख्या 62)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मनरेगा योजना कांग्रेस की विफलताओं का पुख्ता सबूत है। जबकि भाजपा के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं कहा है कि मनरेगा कार्यक्रम आजादी के बाद देश का सबसे प्रथम और अग्रणी कार्यक्रम भारत सरकार का रहा है। उसी के साथ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनसीईआर के साथ अगस्त 2015 में एक रिपोर्ट निकाली कि इसी कार्यक्रम के आधार पर 32 प्रतिशत गरीबी रेखा में कमी हुई है और डेढ़ करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है।

मैं आज प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब इस सरकार ने अपनी एक साल की सक्सेस स्टोरी में मनरेगा को रखा है, तो क्या यह सरकार का एक और यू टर्न है? दूसरा, केन्द्र सरकार ने पिछले चार साल में इसका आबंटन 50 हजार करोड़ रुपये से 38 हजार करोड़ रुपये तक कर दिया, मतलब 30 प्रतिशत घटा दिया और पिछले एक वर्ष में पर्सन डेज वर्क का 200 करोड़ से 133 करोड़, यानी 40 प्रतिशत घटा दिया। ... (व्यवधान) देश में सूखा, बाढ़ और अकाल की स्थिति है और आप देश में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस दिशा में सरकार कब कदम उठायेगी, यह मैं आपके द्वारा प्रश्न करना चाहता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य प्रश्न शार्ट में पूछें और उत्तर भी शार्ट में दिया जाये। अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ पायेंगे।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदया, प्रश्न को प्रश्न के तरीके से पूछा जाये और उसे राजनीति में न लपेटा जाये, तो ज्यादा अच्छा है। ... (व्यवधान) मंत्री जी ने जो मेन डेज की बात कही है। ... (व्यवधान) यह कहा है कि हमने मेन डेज घटाये हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** अध्यक्ष महोदया, मैं उधर नहीं गया हूँ। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इधर आना भी नहीं चाहिए।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने क्लेम किया है कि 30 परसेंट मैन डेज़ घट गया है और 40 परसेंट एमाउंट रिड्यूज हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इनके शासनकाल में वर्ष 2010-11 में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 35,841 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वर्ष 2011-12 में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 29,000 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए थे। वर्ष 2012-13 में इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से घटाकर 33,000 करोड़ रुपए कर दिया और 30,000 करोड़ रिलीज़ हुआ। वर्ष 2014-15 में 34,000 करोड़ का प्रावधान था, हमने 32,977 करोड़ रुपया यानी सारा का सारा रिलीज़ किया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अब हमारा प्रावधान 34,700 करोड़ रुपए का था और अभी तक 30,202 करोड़ रुपए यानी 90 प्रतिशत से ज्यादा रिलीज़ कर चुके हैं।

महोदया, माननीय सदस्य ने मैन डेज़ के बारे में कहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमने जो प्रावधान मैन डेज़ में किया है, वह आज तक कभी नहीं हुआ है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** इसमें महिलाओं को शामिल किया जाए, पर्सन डेज़ के बारे में बताएं।

**माननीय अध्यक्ष :** आप इसे दूसरे सप्लीमेंटरी में पूछ लीजिए।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी सप्लीमेंटरी प्रश्न में बताना चाहता हूँ। यह डिमांड ड्रिवन है, हमने अंदाजा लगाया कि 239 करोड़ पर्सन डेज़ होंगे। 239 करोड़ पर्सन डेज़ के लिए 44,410 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने इस प्रावधान को रखा। आज तक हम 118 करोड़ पर्सन डेज़ का पैसा दे चुके हैं। हमें उम्मीद है कि बाकी के चार महीनों में ज्यादा से ज्यादा धन जुटाकर पिछले मैन डेज़ से आगे निकलेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, 2015-16 में अब कुल व्यक्ति-दिवसों में महिला भागीदारी दर 58 प्रतिशत है। 2014-15 में, यह 55 प्रतिशत था। आपके और हमारे समय के बारे में भी

सुन लीजिए, वर्ष 2013-14 में 53 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 51 प्रतिशत था। अब की बार शैड्यूल्ड कास्ट का पार्टिसिपेशन 40 परसेंट रहा है जो कि पिछले साल से ज्यादा है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बैकफुट पर बैटिंग करने की कोशिश की है। माननीय मंत्री ने कहा कि राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। टाइमिंग आफ फंड रिलीज साधारण तौर पर 60 प्रतिशत पहले क्वार्टर में दिया जाता है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से यह फिगर 42 प्रतिशत तक घट चुकी है। अगर धनराशि नहीं दी जाती है तो रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसी तरह पेमेंट की डिले जो 29 प्रतिशत होती थी, वह अब 72 प्रतिशत हो चुकी है। तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे जी और नवीन पटनायक जी ने लिखा है कि आप जल्द से जल्द धनराशि दिलवाइए, नहीं तो यह प्रोग्राम पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा।

यहीं नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवम्बर को ही केन्द्र सरकार को नोटिस दिया है कि आप जल्द से जल्द इस पेमेंट डिले के 3200 करोड़ रुपये के मसले का सरल हल निकलवाइए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, इसलिए जब तक धनराशि नहीं दी जाएगी तब तक कार्य कैसे होगा और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का आप क्या जवाब देने वाले हैं?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** माननीय अध्यक्ष जी, डिले पेमेंट के बारे में मैंने अभी कहा कि आज तक की जो एलोकेशन थी, उसके टोटल का हम 90 प्रतिशत एमाउंट रिलीज कर चुके हैं, डिले जहां भी होती है, उसका एक ही कारण है कि राज्य सरकार से उसकी ऑडिटिंग और उसके खर्चे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता तो... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** अध्यक्ष महोदया, इनकी सरकार है। आपके राज्य में अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** तो क्या करें इनकी है। आपकी भी है। वहां आप भी हो। कलैक्टर को बोलो। मुझे भी मालूम है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हां, सबके राज्य में, आप और हम एक ही हैं।

... (व्यवधान)

**श्री गणेश सिंह:** वह इनका राज्य नहीं है।... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** माननीय अध्यक्ष का भी है। आपका राज्य भी है।... (व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** मैडम, सरकार चाहे किसी की भी हो, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि पेमेंट में 72 प्रतिशत की डिले 2014-15 में थी, वह डिले थी। इस साल 2015-16 में 72 प्रतिशत से घटाकर हम उसको 52 प्रतिशत पर ले आए और ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ज्योतिरादित्य जी, ऐसे नहीं टोकते हैं। आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं।

... (व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** कहीं न कहीं इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका भी यह फर्ज बनता है कि जितनी ज्यादा जल्दी वे हमारे पास एकाउंट्स भेजेंगे, उतनी ही जल्दी हम धनराशि रिलीज कर देंगे। यह डिमांड ड्रिवन है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर हॉफ एन ऑवर डिसकशन हो जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** आप नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

**श्री नलीन कुमार कटील:** महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न हिस्सों में फर्जी जॉब कार्ड जारी करने और जॉब कार्डों को अवैध रूप से रखने के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ। फर्जी जॉब कार्ड और अन्य जॉब कार्ड संबंधी मुद्दों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:** महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कुछ लीकेज थी और हमें इस बारे में शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन अब जब हमने ई-मस्टर प्रणाली शुरू की है, तो इससे हमें खातों को सही करने और लीकेज को रोकने में काफी मदद मिली है।

दूसरी व्यवस्था, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वह मजदूरी का ई-ट्रांसफर अर्थात् डी.बी.टी. के तहत होगी और अगले साल 1 जनवरी से हम इसे केरल राज्य में शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि जहां तक पंचायत निधि का सवाल है, केरल सबसे अच्छे प्रबंधित खातों वाले राज्यों में से एक है। अगर हमें केरल में नतीजे बेहतर मिले तो हम इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करेंगे।

मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और यहां तक कि निजी बैंकों में 11 करोड़ से अधिक खाते हैं, और 65 प्रतिशत खाते बैंकों में हैं और 35 प्रतिशत खाते डाकघरों में हैं। ऐसे में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां न तो बैंकिंग सुविधा है और न ही पोस्ट ऑफिस की सुविधा है। वहां, राज्य के कुछ हिस्सों में, हमने मजदूरी नकद में देने की अनुमति दी है।

**श्रीमती कविता कल्वकुंतला:** महोदया, आज हमारे देश के सात राज्य गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के कम से कम 200 कार्य दिवस दिए जाएं। इसके अलावा, इसी मुद्दे से संबंधित, कुछ क्षेत्रों में प्रति कर्मचारी औसत वेतन 50 रुपये से भी कम है। क्या काम का दायरा बढ़ाने की कोई संभावना है ताकि आम क्षेत्रों के लिए परिसर की दीवारों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया जा सके ताकि प्रति श्रमिक औसत वेतन बढ़ सके?

**श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:** जहां तक सूखे की स्थिति का सवाल है, जिन राज्यों ने या जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में सूखा घोषित किया है, वे कुछ जिलों में हो सकते हैं या कुछ तालुकाओं में हो सकते हैं, वहां जो भी मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा कर लेगा, वह 50 दिन और काम का हकदार होगा। इसलिए, हमने पहले ही 150 दिनों के काम से संबंधित घोषणा कर दी है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है जो वेतन वृद्धि से संबंधित है, मामला विचाराधीन था। हमने श्री महेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। उस समिति ने प्रतिवेदन भेज दी है और हमने उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। हमने जो कहा है वह यह है कि जहां भी किसी राज्य द्वारा कृषि मजदूरी दर तय की गई है, वह उस विशेष राज्य में मनरेगा के तहत मजदूरी की दर होनी चाहिए। इसके लिए, हम वित्त मंत्रालय से 2,000 करोड़ रुपये और मांगेंगे ताकि मजदूरी दर उस विशेष राज्य की कृषि मजदूरी दर के अनुसार हो।

[हिन्दी]

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने बैक फुट पर रहकर भी धोनी की तरह छक्का मारा है। ... (व्यवधान) क्योंकि उत्तर जो दिया गया है, उसमें सब कुछ बता दिया गया है, ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ये तुम दोनों यंगेस्टर करते रहो, उनको क्यों तकलीफ देते हो?

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** मैडम, यह स्कीम जिस दिन से शुरू हुई, उससे लेकर आज तक इसमें केवल खामियां ही देखी गईं। कितने लोग हैं जिनको सौ दिन का रोजगार पूरा मिल पाया? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला?... (व्यवधान) सुनिए!... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

जब बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता।... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** मैडम, ये क्या बात कर रहे हैं?... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अभी तो आप बाद में जवाब देना, जब मंत्री बनोगे, तब उत्तर देना।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी लरीवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा। क्या आपके पास कोई सवाल है?

... (व्यवधान)... \*

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** यह क्रिकेट का मैदान थोड़े ही है। बैठिए। दोनों बच्चे बाहर जाकर खेलें।

... (व्यवधान)

---

\* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... □

[हिन्दी]

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** मैडम, जो ढाई लाख करोड़ रुपये के लगभग पिछले 5-6 वर्ष में स्कीम पर खर्च हुआ, अधिकतर यह देखा गया कि इसमें करप्शन के बहुत सारे मामले सामने आए और जब पूर्व में मंत्री भी थे तो उनके अपने गृह क्षेत्र में बहुत सारे मामले आए और माननीय सांसद उस समय इस विभाग के मंत्री नहीं थे।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)... \*

---

□ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

## (प्रश्न संख्या 63)

**श्रीमती कोटापल्ली गीता:** माननीय अध्यक्ष महोदया, हम जानते हैं कि आजकल राजमार्गों का रखरखाव सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में 1,37,000 लोगों की मौत हुई। आज भारत में हर चार मिनट में एक मौत होती है।

सबसे पहले, मैं माननीय केंद्र सरकार और माननीय मंत्री जी को पहल करने और हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति, 2015 शुरू करने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक प्रगतिशील कदम होगा। इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण की गुणवत्ता और रखरखाव में भी सुधार होगा। मेरा मानना है कि यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस योजना के तहत मौजूदा राजमार्गों के रखरखाव की दिशा में कोई प्रस्ताव या कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो क्या यह राज्य सरकारों के साथ समन्वय में है?

[हिन्दी]

**श्री नितिन गडकरी :** महोदया, हमारे देश में एक लाख किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है। हमारा प्रयास है कि इसकी संख्या 50 हजार से 60 हजार किलोमीटर बढ़ाकर दुर्घटनाओं को कम करें। सम्मानीय सदस्या ने सही बात कही है कि हमारे देश में पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती है और 55 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान होता है जो कि जीडीपी का लगभग तीन परसेंट है। जहां तक रोड के बारे में सवाल पूछा है हमने ग्रीन हाईवे बनाने का निर्णय किया है और रोड के किनारे प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटीफिकेशन और मेंटेनेंस के आधार पर स्कीम बनाई है। दिल्ली में इसके लिए तीन हजार एनजीओज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, चेरीटेबल इंस्टीट्यूशंस, सोशल आर्गेनाइजेशंस आदि का वर्कशाप किया गया है। हमने एक नीति बनाई है और उनसे सुझाव लिए हैं तथा आने वाले मई, जून में इसका इम्प्लीमेंटेशन

होगा। जैसे लैंड स्केपिंग में आर्किटेक्ट होते हैं, उसी तरह से रोड का पहले डिजाइन तैयार कराएंगे और उनके साथ-साथ जो आर्किटेक्ट नहीं हैं लेकिन उन्होंने पहले काम किया है, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले पांच-पांच किलोमीटर के स्ट्रेच को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संस्थाओं को देंगे। गूगल और भुवन सेटेलाइट के जरिए हम देखेंगे कि उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं। नर्सरी के लिए, ट्रक लेने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए तथा दूसरे एक्विपमेंट्स लेने के लिए हम उन्हें कर्जा भी उपलब्ध कराएंगे। इससे गांव में 10 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे से पर्यावरण को भी लाभ होगा और अगले जून में हम इस कार्य की शुरुआत करेंगे। इसमें हमने टेंडर प्रोसेस नहीं रखा है। हम लोग पायलट प्रोजेक्ट देंगे, जिसमें जो अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा काम देते जाएंगे और जिन्होंने पूर्व में काम किया है उन्हें बड़े स्ट्रेच देंगे और जो खराब काम करेंगे उन्हें बाहर करेंगे।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आप यूपी में काम कीजिए।

**श्री नितिन गडकरी :** हम जरूर करेंगे। इसका वर्कशाप हो गया है और इसमें करीब तीन हजार लोग आए थे, इनमें से यूपी से भी लोग आए थे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं जैसा मैंने ब्यूटीफिकेशन के लिए कहा कि जिस तरह से लैंड स्केपिंग के लिए आर्किटेक्ट होते हैं, उनकी वर्कशाप हो रही है। इसके अलावा पेड़ काटने की जगह ट्रांसप्लांटेशन के लिए वर्ल्ड की टेक्नोलोजी से संबंधित लोगों को बुलाया है। आज दिल्ली में विदेश से इस टेक्नोलोजी के लोग आए हैं। ये इक्विपमेंट्स कनाडा में बनते हैं, उन लोगों को भी बुलाया है। देश में एक भी पेड़ काटने की हमें जरूरत न पड़े और जितना भी बड़ा पेड़ क्यों न हो, उसे हम ट्रांसप्लांट करने की टेक्नोलोजी हमारे पास आए, इसका भी प्रयास हम कर रहे हैं। यूपी में भी और पूरे देश में भी हम ऐसा निश्चित रूप से करेंगे। इससे दस लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, यह केवल यूपी का प्रश्न नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्रीमती कोठापल्ली गीता:** महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को उनके विस्तृत जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह भी कहा कि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नीति निर्धारण के दौरान इस नीति को मनरेगा के माध्यम से लागू करने की भी तैयारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या मनरेगा के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

**श्री नितिन गडकरी :** महोदया, नेशनल हाईवे पर हम जो खर्चा कर रहे हैं, मेरे मंत्री बनने के बाद से अब तक मैंने डेढ़ लाख करोड़ रुपए के रोड कंस्ट्रक्शन के कांट्रैक्ट साइन किए हैं।... (व्यवधान)

**श्री कल्याण बनर्जी:** वेस्ट बंगाल में क्या काम किया है? वहां नेशनल हाईवे में कुछ काम नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे खेद है। आप किसी को जवाब नहीं देंगे। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)... \*

[हिन्दी]

**श्री नितिन गडकरी :** पूरे देश में जितना काम नहीं हुआ है, उतना केवल आपके राज्य में काम हुआ है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** आप केवल विशेष प्रश्न का उत्तर दें।

---

\* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आपको केवल उन्हीं के प्रश्न का उत्तर देना है।

... (व्यवधान)

**श्री नितिन गडकरी :** मैं सदन को बता देना चाहता हूँ और सम्माननीय सदस्य से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि कल ही ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया, मैं कोलकाता में था।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं, यह नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री नितिन गडकरी :** जितने काम बताये गये, उनको मैंने पूरा किया। आप यदि सिद्ध कर देंगे कि मैंने घोषणा के अनुसार काम नहीं किया तो इस संबंध में मैं सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह चर्चा का विषय नहीं है। श्री बनर्जी, कृपया पहले अपनी सीट पर जाएं। यह कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, आप ऐसी किसी बात का उत्तर नहीं देंगे। आपको केवल सवाल का जवाब देना होगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री नितिन गडकरी :** सम्माननीय मैडम, हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में एक पर्सेंट कॉस्ट केवल प्लांटेशन, ब्यूटीफिकेशन और मेनटेनेंस के लिए रखी है। यदि हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट होगा तो उसका वन पर्सेंट कॉस्ट यानी दस करोड़ रुपये हम अलग से रखते हैं। ये फंड अलग से हमारे पास उपलब्ध है, जिसके कारण हमें और किसी फंड की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ-साथ मनरेगा में नर्सरी बनाने के लिए तथा कुछ और बातों के लिए अनुमति है, उसके आधार पर ग्रामीण भाग में आप उसका एडवांटेज आप जरूर ले सकते हैं, पर हमारे यहाँ जो काम करेंगे, उनको इंडिपेंडेंटली पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।

**श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्रीन हाइवेज बनाने का संकल्प लिया। मेरे प्रश्न का आपने विस्तृत रूप से जवाब दिया। कई बार फोर लेन से सिक्स लेन बनाते हैं, तो वहाँ पर जो प्लांटेशन होता है, उसे हटाना पड़ता है और फिर से नया प्लांटेशन कराना पड़ता है। लेकिन आपने नयी विधि लायी और इसके उपयोग से उसे नहीं काटना पड़ेगा, इस संबंध में आपने जवाब दे दिया। लेकिन, मेरा प्रश्न मूल रूप से यह है कि हम लोग इस दिशा में डिवाइडर में जो प्लांटेशन होता है, उससे हेड लाइट की रोशनी सीधे आँखों पर नहीं पड़ती है और एक्सीडेंट होने से बचाव होता है। रोड सुंदर भी होते हैं और पॉल्यूशन भी कम होता है। नैशनल हाइवेज ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और गोलडन कॉरिडोर, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ होकर निकलता है, वहाँ पर 65 हजार स्क्वायर मीटर जमीन पड़ी है। चूंकि यह मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस क्षेत्र में कई ऐसे पौधे लगाये जा सकते हैं, जो कॉमर्शियल पौधे हैं, जैसे आँवला, जामुन आदि हैं? इससे सरकार को आमदनी भी हो सकती है। क्या सरकार उस स्थान को डवलप करने और कॉमर्शियल पौधे लगाने पर विचार कर रही है?

**श्री नितिन गडकरी :** सम्माननीय सदस्य महोदय के क्षेत्र में जो स्थान अवेलेवल है, उसमें हमने 1200 रोड शेड एमिनिटीज बनाने का निर्णय किया है, जिसमें रेस्टोरेंट्स होंगे, लैंड स्केपिंग होगा, अच्छे पेड़ लगेंगे, पार्किंग प्लेसेज होंगी, उसमें फूट्स एंड वेजीटेबल्स के लिए एक छोटा मार्केट होगा। उसमें से जो स्पॉट इन्होंने बताया है, ऐसे 60 स्पॉट्स का टेंडर दिसम्बर के पहले निकालने के लिए मैंने कहा था, उनमें इस स्पॉट का भी नाम है।

मेरा विश्वास है कि आने वाले तीन महीने में ये टेंडर भी निकल जाएंगे, इनके वर्क-ऑर्डर भी होंगे और वहाँ पर लैंड-स्केपिंग और पेड़ लगाने का काम भी हम निश्चित रूप से करेंगे।

[अनुवाद]

**श्री सी. महेंद्रन:** माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे चार-लेन और छह-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने वाले वाहनों की हेडलाइट की चमक के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु में, चार-लेन और छह-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के मध्य मध्य में पहले से ही वृक्षारोपण किया गया है, लेकिन वे निरंतर नहीं हैं और बीच में अंतराल हैं। इसके अलावा, पहले से लगाए गए वृक्षारोपण का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जाता है। क्या प्रस्तावित वृक्षारोपण तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच बीच में बिना किसी अंतराल के किया जाएगा, ताकि आने वाले वाहनों की हेडलाइट्स की चमक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके? और, वृक्षारोपण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**श्री नितिन गडकरी:** महोदया, यह सही है कि सिविल ठेकेदारों के पास वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव में विशेषज्ञता नहीं है। यही महत्वपूर्ण कारण है कि हम एक नई एजेंसी बनाना चाहते हैं जो एक धर्मार्थ संस्था या एक गैर सरकारी संगठन या वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, रखरखाव और सौंदर्यीकरण में विशेषज्ञता वाला संगठन हो सकता है। अब मुझे लगता है कि इन उपायों के बाद तमिलनाडु में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। हम आपके सुझावों के तहत सभी निवारक उपाय करेंगे और वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए एक अच्छा संगठन बनाएंगे। मुझे लगता है कि इससे यह समस्या हल हो सकती है।

[हिन्दी]

**श्री राजीव सातव :**अध्यक्ष जी, जो ग्रीन हाइवेज पॉलिसी मंत्री जी ने शुरू की है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। जब हाइवेज को हम ग्रीन हाइवेज बना रहे हैं, कई सारे तीर्थक्षेत्र हैं जैसे पंढरपुर है, मंत्री जी भी माहूर में साल में दो बार आते हैं, औंढा है, जो ऐसे तीर्थक्षेत्र हैं, उनके लिए क्या मंत्री जी प्रायरिटी रखेंगे? वे हाइवेज नेशनल ग्रीन हाइवेज बनें, क्या इसके लिए प्रायरिटी देने के बारे में सरकार सोचेगी?

**श्री नितिन गडकरी:** महोदया, मेरा मँडेट केवल राष्ट्रीय महामार्ग तक सीमित है और आप जिन तीर्थक्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वे सभी राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़ रहे हैं, इसलिए उन तक जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर ही मैं काम करूंगा। जहां राष्ट्रीय महामार्ग समाप्त होता है, वहां से आगे स्टेट का ज्यूरिस्डिक्शन होता है, वहां मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं सदन का आह्वान करता हूँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि गोवा के काम की मैं जिम्मेदारी लूंगा, इसी तरह से आप अपनी कांस्टीट्यूेंसी के काम की जिम्मेदारी लेकर आगे आइए, वहां इनिशिएटिव लीजिए, आपको हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है, हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, यही हमारी इन्टेन्शन है, इससे रोजगार का निर्माण होगा और पर्यावरण के गंभीर प्रश्न को भी हम सुलझा सकेंगे।

**श्री गणेश सिंह:** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने हरित राजमार्ग नीति, 2015 की शुरुआत की है, यह निश्चित रूप से बहुत स्वागतयोग्य कदम है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है, वहां सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं और जब पेड़ काटे जाते हैं तो मन में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन वह इस नई नीति के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में मेरा यह प्रश्न है कि उसके रखरखाव के लिए क्या संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को भी जिम्मेदारी देंगे या बाहर की किसी एजेंसी को लाएंगे?

**श्री नितिन गडकरी:** महोदया, अगर वहां की ग्राम पंचायत इस स्कीम में आती है तो वह इसमें पाटीरसिपेट कर सकती है। अगर आम के पेड़ वहां लगेंगे तो उत्पादन ग्राम पंचायत का होगा। उस गांव के स्कूल भी उसमें आ सकते हैं, एनएसएस की यूनिट है तो वह भी आ सकती है, एनसीसी की यूनिटी है तो वह भी आ सकती है, सोशल आर्गनाइजेशन है तो वह भी आ सकती है, चैरिटेबल आर्गनाइजेशन है तो वह भी आ सकती है, कोऑपरेटिव आर्गनाइजेशन है तो वह भी उसमें आ सकती है। अगर कोई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वह भी आ सकता है। जो लोग उसमें आएंगे उनको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, उन पेड़ों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उन पर होगी और सरकार भी उनको पैसा देगी, लेकिन यह बात जरूर है कि अच्छा काम नहीं करेगा, वह सिस्टम से बाहर जाएगा। जो अच्छा काम करेगा, उसका आगे काम बढ़ाएंगे। उसकी

कंट्रोलिंग हम सेटेलाइट से करेंगे, गगन और भुवन से करेंगे। जो अच्छा काम नहीं करेंगे, इसमें भ्रष्टाचार करेंगे, उनको हम आगे काम नहीं देंगे।

## (प्रश्न संख्या 64)

[अनुवाद]

**डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:** माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को सड़क क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देना चाहूंगी। मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र नंदुरबार में सूरत-अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग को मार्च, 2012 में सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी और परियोजना के लिए कुल धनराशि 4,500 करोड़ रुपये थी। जून 2012 में यह काम किसी निजी कंपनी को दे दिया गया। कंपनी ने काम शुरू नहीं किया और अब सितंबर, 2014 में वह इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गई है। आज की तारीख में इस परियोजना की कुल लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। पिछले तीन वर्षों में, पूरे प्रोजेक्ट की कुल वृद्धि लगभग 1,500 करोड़ रुपये है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस देरी के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण या कंपनी पर कोई जिम्मेदारी तय करेगी और उन्हें दंडेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग कब शुरू होने वाला है और कब तक पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

**श्री नितिन गडकरी:** महोदया, इस रोड में चार पैकेज थे, जो कंपनी थी, वह चली गयी, उनको मैंने हाथ जोड़ा तो वह चली गयी। उनकी रिस्पॉसबिलिटी फिक्स करनी होगी, उसे यूपीए सरकार पर डालना होगा, इसलिए अब हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी इसमें से 280 प्रोजेक्ट्स 3,80,000 करोड़ रुपये के हैं। अभी 90 प्रतिशत प्राब्लम सॉल्व हो गयी है। जलगांव से अमरावती तक रोड के लिए अभी भूमिपूजन किया गया है, तीन पैकेज शुरू हो गए हैं। चौथा बीओटी में था, उसमें कोई आया नहीं है। उसे अभी फिर से डिक्लेयर किया है, जल्दी ही वह आएगा और तीन महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कैबिनेट ने 21 निर्णय लिए हैं। डिले के लिए जो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार होती हैं, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया है और उसमें उतना पीरियड हम बढ़ाकर देंगे। इसके कारण

प्राब्लम्स सॉल्व हुई हैं और अब हमारे लगभग 95 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स चलने लगे हैं, पांच प्रतिशत प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तीन महीने के अंदर शुरू हो जाएगा।

---

\*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80  
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920)

---

प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>  
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

**मध्याह्न 12.00 बजे****सभा पटल पर रखे गए पत्र**

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।**विधि एवं न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा):** महोदया, मैं भारत के विधि आयोग की निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखना चाहता हूँ:-

- (1) प्रतिवेदन संख्या 253 "उच्च न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों के वाणिज्यिक संभाग और वाणिज्यिक अपीलीय संभाग विधेयक, 2015 जनवरी, 2015।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 3221/16/15]

- (2) प्रतिवेदन संख्या 254 फरवरी, 2015" "भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013"।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 3222/16/15]

**ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह):** महोदया, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2015 जो 28 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2368 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखूंगी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 3223/16/15]

[हिन्दी]

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 3224/16/15]

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल):** महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री पीयूष गोयल की ओर से वर्ष 2015-2016 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहती हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 3225/16/15]

---

**अपराह्न 12.02 बजे****वित्त संबंधी स्थायी समिति****19वां से 26वां प्रतिवेदन**

**श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर):** महोदया, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति की निम्नलिखित रिपोर्ट (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना चाहता हूँ:-

- (1) योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों (2014-15) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 4वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन\*।
- (2) योजना मंत्रालय की " आयोजना प्रक्रिया एक समीक्षा" विषय पर 20वां प्रतिवेदन।
- (3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं विभाग) और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की "सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस), चिट फण्ड, आदि नियमन की प्रभावकारिता" विषय पर 21वां प्रतिवेदन।
- (4) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (5) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।
- (6) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

---

\* ये तीनों प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71 क के अंतर्गत 7 अक्टूबर, 2015 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए

- (7) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन
- (8) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।
-

[हिन्दी]

**डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :** अध्यक्ष महोदया, मेरा एक प्रिविलेज का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि "आउट लुक" मैगजीन ने क्षमा मांगी और यह स्पष्ट किया है कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था लेकिन उन्होंने जो इरिस्पॉसिबल बिहेवियर किया और इस आधार पर माननीय सदस्य मोहम्मद सलीम जी ने जो बिहेवियर किया, महोदया, उन्होंने इसे प्रमाणित किया और प्रमाण-पत्र दिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा जो प्रिविलेज का नोटिस सैक्शन 352 है, इसे आप प्रिविलेज कमेटी को सौंपे और इस संबंध में कार्रवाई करें।

**माननीय अध्यक्षा:** मैं इसको देखती हूँ। मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपका नोटिस प्राप्त हुआ है। विषय मेरे संज्ञान में है। मैंने सभी तथ्य जानने की अनुमति दी है और उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊँगी।

**अपराह्न 12.04 बजे****माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015\***

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा):** महोदया, मैं माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना चाहता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।”

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** मैं माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 को प्रस्तुत किए जाने का विरोध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

महोदया, यह विधेयक राज्यों में दो प्रकार के न्यायालय बनाता है; एक उन राज्यों के लिए है जिनके पास मूल क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय हैं और एक उन राज्यों के लिए है जिनके पास मूल क्षेत्राधिकार वाले कोई उच्च न्यायालय नहीं हैं। यह मूल क्षेत्राधिकार ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत है और आधुनिक भारत में एक कालानुक्रमिक वस्तु है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मंत्री जी उच्च न्यायालय के मूल पक्ष से संबंधित खंड को हटा दें और पूरी चीज को सिविल कोर्ट में संदर्भित करें जैसा कि अन्य सभी राज्यों के लिए है। जहां तक इस मध्यस्थता कार्यवाही का संबंध है, राज्यों के दो वर्ग बनाने के लिए नहीं बल्कि राज्य का केवल एक वर्ग बनाने के लिए।

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मौजूदा धारा 21(अ) के अनुसार, न्यायालय का अर्थ जिले में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय है। कुछ उच्च न्यायालयों में, मूल क्षेत्राधिकार हैं। मौजूदा

---

\* भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, अनुभाग-2 दिनांक 03.12.2015

प्रावधान स्वयं जिला अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय के लिए भी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि संशोधन विधेयक ने अदालतों का क्षेत्राधिकार बनाया है जो कानून में स्वीकार्य है। मुख्य अधिनियम में दो प्रकार के क्षेत्राधिकार, अर्थात् जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थता के प्रयोजन के लिए संशोधन विधेयक के अनुसार, अदालत उच्च न्यायालय होगी और अन्य मध्यस्थताओं में जिला अदालतों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के पास पहले से ही मूल क्षेत्राधिकार है। अतः व्यवहारिक रूप से इसे लेकर कोई भ्रम नहीं है... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपने कोई नोटिस नहीं दिया।

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** महोदया, मैं सिर्फ एक पूरक प्रश्न पूछूंगा। हमारे देश में तीन चार्टरित उच्च न्यायालय हैं। वे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हैं। इन तीन उच्च न्यायालयों के पास मूल क्षेत्राधिकार है। इसलिए, इसे माध्यस्थता अधिनियम द्वारा ही नहीं बदला जा सकता है। हमेशा की तरह मूल क्षेत्राधिकार को बनाए रखना होगा।

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** महोदया, यदि वे और अधिक चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा के दौरान इस पर बहस की जा सकती है।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

**अपराह्न 12.07 बजे**

**माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के बारे में विवरण \***

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं माध्यस्थम एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 की संख्या .9) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल कानून बनाने के कारणों को दर्शाते हुए एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर - 9 आफ्टर लंच लिया जायेगा।

---

\* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3226/16/15

## नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

### तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ की स्थिति... जारी

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** अब सभा तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर आगे चर्चा करेगा।

**\*डॉ. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) :** तमिलनाडु, विशेषकर चेन्नई और उसके आसपास के हिस्सों में वर्तमान बाढ़ की स्थिति तबाही मचा रही है।

हजारों लोग बेघर हो गए हैं, उनके घर/झोपड़ियां बह गईं और उनकी साइकिल/स्कूटर/कारें आदि भी बह गईं। उद्योग-धंधे भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

सैकड़ों लोग मरे और हजारों घायल हुए। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि 2000 करोड़ से अधिक बीमित संपतियां क्षतिग्रस्त/प्रभावित हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और आई.आर.डी.ए. को तत्काल कदम उठाने होंगे और चेन्नई बाढ़ प्रभावित लोगों और उद्योगों के दावों के त्वरित निपटान के लिए बीमा कंपनियों द्वारा की गई व्यवस्था की निगरानी करनी होगी।

जैसे-जैसे पानी का स्तर कम होगा जलजनित बीमारियाँ आदि बहुत तेजी से फैलेंगी। भारत सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना चाहिए और डॉक्टरों आदि के साथ पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए।

---

\* भाषण सभा पटल पर रखा गया था।

**\*श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम):** आंध्र प्रदेश हाल ही में लगातार और बेमौसम बारिश की मार झेल रहा है। नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है और इससे लोगों को काफी असुविधा हुई है। बारिश के कारण नालों में उफान आ गया है और सभी प्रमुख जलाशय उफान पर हैं। रायलसीमा क्षेत्र की औसत वर्षा लगभग 196.44 मिमी रही है। वर्तमान वर्षा 462 मिमी के आसपास हो रही है जिससे लोगों के लिए इन परिस्थितियों से तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया है। इससे हुए नुकसान का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- 35 लोगों की मौत हो चुकी है
- लोगों ने करीब 613 मवेशियों को खो दिया है।
- करीब 146 गांव प्रभावित हुए हैं।
- 467 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा 2029 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है।
- लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि एवं कृषि फसलें प्रभावित हुई हैं।
- लगभग 550 सिंचाई टैंक क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
- 1865 कि.मी. सड़कें व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें एन.एच. 16 पर लगभग 100 मीटर की बड़ी दरार भी शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबू नायडू गारू के प्रभावी नेतृत्व में राज्य सरकार संकट का चतुराई से प्रबंधन करने में सक्षम है और बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार ने राहत के एन.डी.आर.एफ. मानदंडों से अधिक पैमाने पर राहत स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया है। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभी भी इस पैमाने के राहत उपायों को संभालने के लिए आवश्यक धन की भारी कमी है। प्रारंभिक सरकारी

---

\* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुमान के अनुसार संचयी नुकसान 3000 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार पहले ही केंद्र से सहायता का अनुरोध कर चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखकर तत्काल सहायता की मांग की है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य के लिए धन का समय पर वितरण सुनिश्चित करना होगा। धन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने से यह सुनिश्चित होगा कि आंध्र प्रदेश के लोग जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। चूंकि राज्य का हाल ही में विभाजन हुआ है, यह पहले से ही धन की अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित वार्षिक धनराशि में काफी वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि राज्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं के खतरों का सामना कर रहा है और वित्तीय रूप से टिकने में सक्षम नहीं है।

**\*श्री डी.के. सुरेश (बेंगलोर ग्रामीण):** चेन्नई में लगातार बारिश के कारण बाढ़ से हुई तबाही यह देखकर दुखद है कि हमारे पड़ोसी राज्य में हमारे दोस्तों का जीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है और हमारी सहानुभूति चेन्नई के सभी विस्थापित लोगों और बारिश के कारण आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के प्रति है।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने प्रभावित राज्य के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए तमिलनाडु को मानवीय राहत के रूप में 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। हमारे मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के अधिकारियों को तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ मिलकर चिकित्सा और संकट की घड़ी में आवश्यक कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिए काम करने का भी निर्देश दिया है। मैं कर्नाटक के सभी लोगों के साथ आशा और कामना करता हूं कि बाढ़ जल्दी से कम हो ताकि लोग जल्द ही अपने सामान्य जीवन में लौट सकें।

पूछे जाने वाले सवाल ये हैं कि क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? क्या यह बाढ़ मानव निर्मित स्थिति है? चेन्नई अन्य मेट्रो शहरों की तरह उचित योजना के बिना विकसित हुआ है। हालांकि हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन बाढ़ से बचने के लिए नालियों की उचित योजना के साथ शहरीकरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जाना चाहिए था। जबकि विकास दिन का क्रम बन गया है, क्या हम अंतर्निहित बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर भारी कीमत चुका रहे हैं? बड़े आई.टी. पार्क उन स्थानों पर बन गए हैं जो कभी दलदली भूमि हुआ करते थे - जिसका प्रभाव अब चेन्नई जैसे शहरों में महसूस किया जा रहा है। बेईमान रियल एस्टेट माफिया द्वारा झीलों और जलाशयों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे पर्यावरणीय आपदाएं हो रही हैं, जैसा कि हम चेन्नई में देख रहे हैं। जब तक शहरी विकास मंत्रालय तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाता, मुझे डर है कि हम आने वाले महीनों और वर्षों में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में स्थितियों और अन्य पर्यावरणीय आपदाओं में वृद्धि ही देखेंगे। बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर।

चेन्नई में लगातार हो रही बारिश का असर कर्नाटक पर भी पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों से लगातार सूखे की मार झेल रहा है। इस वर्ष कर्नाटक में केवल 30% फसल ही उगाई जा

---

\* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सकी। अब कर्नाटक में बेमौसम बारिश के कारण जो 30% फसलें उगाई गई थीं वो भी बर्बाद हो गई हैं। उन किसानों के लिए फसल का नुकसान विनाशकारी है जो पहले से ही सूखे की स्थिति से जूझ रहे थे। मेरे संसदीय क्षेत्र में कनकपुरा, रामानगर, चन्ना रत्ना, मगदी और कुनिगल में किसानों को न केवल सूखे का असर झेलना पड़ा है, बल्कि बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान भी हुआ है। उनके लिए यह नुकसान असहनीय है। चेन्नई या अन्य बड़े शहरों जैसे शहरी क्षेत्रों को संकट के दौरान मदद मिलेगी, लेकिन मेरे अपने संसदीय क्षेत्र जैसे ग्रामीण क्षेत्र संकट के दौरान चुपचाप पीड़ित रहते हैं क्योंकि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने केंद्र को पत्र लिखकर कर्नाटक के सभी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत मांगी है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया कर्नाटक की जरूरतों पर ध्यान दें और पर्याप्त धन जारी करें ताकि कर्नाटक के किसानों और प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिल सके।

संकट की घड़ी में हमारा दिल और प्रार्थनाएं तमिलनाडु के लोगों के साथ हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह चेन्नई में लोगों के जीवन को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कोई प्रयास न करे और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए एक व्यापक योजना भी बनाए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

□ **डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद)** : हम सब जानते हैं कि , तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से तबाही मच गई है । पूरा शहर एवं तटीय इलाको में पानी भरा हुआ है । लोग अपनी जान बचाकर सलामत जगहों पर जाने के लिए भाग रहे हैं । देश के अन्य भागों में भी कई बार ऐसे हाल देखे गए हैं । कुछ पांच से दस इंच बारिश गिरते ही, पानी का भराव हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति अन्य राज्यों में भी पैदा हुई थी

मेरा स्पष्ट मानना है इस प्रकार की विषम परिस्थिति के लिए जलवायु परिवर्तन की ही जवाबदेही है। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की स्थिति से जूझ रहा है । हाल ही में पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस स्थिति के लिए विकसित राष्ट्रों को जवाबदार ठहराया है। निश्चित रूप से उन विकसित देश को ने अपनी सुविधाएं तथा विकास के लिए पूरे विश्व को तबाही की ओर धकेल दिया है ।

आज हमारे देश में खासकर चेन्नई में पैदा हुई विषम स्थिति के लिए हमें ठोस रूप से अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और प्रकृति को सम्मान देते हुए हमारी नीतियां बनानी पड़ेगी । आज शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है , गांवों में से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं । शहर काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं, मगर विकास की रफ्तार, शहरी विकास, दिशाहीन एवं प्रकृति के प्रति सम्मान का कहीं अभाव दिखता है , और इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है । मेरा निवेदन है कि, शहरों के निर्माण एवं विकास में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए । प्रतिकूल स्थितियों में भी शहरों का इनफ्रास्ट्रक्चर टिक पाए ऐसी नीति निधाररित होनी चाहिए । हम जानते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां जैसे कि, बाढ़, बादल फटना तथा भारी वर्षा के दौरान कितनी भी अच्छी व्यवस्था टिक नहीं पाती । मगर भारी वर्षा में पानी के भराव के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन्स, सीवरेज की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए । रोड्स के निर्माण में एक मूलभूत नीति जिसका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए । इस प्रकार की नीति निर्धारण में जलवायु परिवर्तन को आदर देना चाहिए । हमे शहरी निर्माण नीति में मूलभूत परिवर्तन लाना चाहिए । मेरी मांग है कि चेन्नई तथा तमिलनाडु में सहायता पहुंचानी चाहिए ।

---

□ भाषण सभा पटल पर रखा गया था

**\*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) :** महाराष्ट्र में लगातार कई वर्षों से सूखे की स्थिति के कारण यहां के किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं तथा बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 16 जिले सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। जलगांव की तो आठ तहसीलें सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। इस साल खरीफ की फसल की बुवाई करने के बाद बारिश न होने के कारण किसानों ने कर्ज लेकर जो भी खाद, बीज आदि पर निवेश किया था, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इसी प्रकार गत माह रबी की बुवाई के बाद भी कोई बारिश नहीं हुई। जिसके कारण इसकी बुवाई में किया गया निवेश भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जलगांव में तो स्थिति और भी भयंकर हो गई है और बारिश न होने के कारण जनता को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है। जलगांव जिले में कई नदियां हैं जिनमें तामी, बोरी, अंजनि, गिरजा, तीतुर, बांजरा, आदि शामिल हैं। यदि इन नदियों का रख-रखाव ठीक तरह से किया जाए तो किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा अपितु लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाएगा।

लोअर तामी परियोजना जलगांव जिले के अमलनेर तालुका में पाडळसरे लोअर तामी परियोजना नब्बे के दशक में बनाई गई थी ताकि इससे अमलनेर, पारोळा, धरणगांव, एरंडोल और चोपडा, भडगांव, पाचोरा तहसीलों के कमांड क्षेत्र में आने वाले उर्वर भूमि में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था की जा सके। यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास पिछले तीन सालों से अनुमोदन हेतु लंबित है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से इस परियोजना को अनुमोदन मिला है। अनुमोदन में देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई सालों के भयंकर सूखे के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं तथा आत्महत्या कर रहे हैं। परियोजना के निर्माण में और देरी से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित किया जाए ताकि प्रधानमंत्री जी सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध हो सके तथा जलगांव और आसपास

---

\* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध हो सके। हालांकि महाराष्ट्र सरकार शिरपुर पैटर्न के बांध बनाने पर जोर दे रही है परंतु इस दिशा में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है। किसानों को जल संचयन हेतु आवश्यक तकनीक व वित्तीय व अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने की तत्काल जरूरत है ताकि इस दिशा में आगे कार्य किया जा सके।

भयंकर सूखे के कारण राज्य में चारा भी उपलब्ध नहीं है और चारे की कमी के कारण पालतू जानवर-गाय, भैंस रोजाना मौत का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने कुछ एकड़ भूमि चारा उगाने तथा पशुओं के लिए शैल्टर स्थापित करने के लिए आबंटित कर दी है, जिससे पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है तथा साथ ही साथ पशुओं को रखा भी जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसी व्यवस्था देश के सभी राज्यों तथा विशेषकर महाराष्ट्र में की जाए ताकि जानवर चारे की कमी के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

महाराष्ट्र में कई साल से लगातार सूखे की स्थिति के कारण स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराया जाए। जिसमें किसानों के पुराने सभी कर्ज माफ किए जाएं, किसानों को आगे खेतों की बुवाई के लिए नए कर्ज उपलब्ध कराए जाएं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को शीघ्रताशीघ्र मुआवजा दिया जाए।

सूखे की स्थिति के कारण रोजगार की स्थिति भी बहुत भयावह हो गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से यहां के किसानों तथा बेरोजगार लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नये रोजगार प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार नरेगा के अंतर्गत इस समय 100 दिनों का रोजगार मुहैया करवाया जाता है। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए यहां के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 150 दिनों की दर से रोजगार दिलवाने के आदेश शीघ्रताशीघ्र जारी किए जाएं।

मराठवाड़ा क्षेत्र में सरकार ने किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत कर्ज के आधार पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए हैं। जलगांव में सूखे की स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां किसानों को शत-प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर जल्द से जल्द सोलर पम्प मुहैया करवाए जाएं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र तथा विशेषकर जलगांव को भयंकर सूखे की स्थिति से उबारने के लिए एक समेकित योजना बनाई जाए तथा उसे योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाए जिसमें स्थानीय नदियों के जल संचयन की व्यवस्था, किसानों को आवश्यक तकनीक, उर्वरक, बीज आदि मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं ताकि उसे कई सालों से लगातार हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार किसानों की उपरोक्त सभी समस्याओं पर प्राथमिकता के साथ विचार कर उन्हें निपटाने के लिए सहायता का हाथ बढ़ाएगी ताकि महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके।

[अनुवाद]

**\*कुमारी शोभा करंदलाजे (उडुपी चिकमगलूर):** पिछले सोमवार को हमारे प्रधान मंत्री जी ने फ्रांस में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा। “भारत उससे अपेक्षाओं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। देश विकास और पर्यावरण की रक्षा को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।”

पर्यावरण की रक्षा करना विकसित देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद या एकात्म मानव दर्शन पर अपने भाषणों में निर्दिष्ट किया कि मानव जीवन को पर्यावरण को प्रकृति की मां के रूप में मानना चाहिए।

प्रकृति का उपयोग हमारी आवश्यकताओं या सुख-सुविधाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए हाथ में मौजूद संपत्ति है।

यहां हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ प्रकृति ने किस तरह कहर बरपाया है। कल पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में मौसम की घटनाओं पर चर्चा की गई ताकि यह उजागर किया जा सके कि भारत जैसे देश जलवायु परिवर्तन के शिकार हैं जो अतीत में समृद्ध देशों द्वारा किए गए उत्सर्जन का परिणाम है। चेन्नई में बुधवार को पिछले 24 घंटों में 294 मि.मी. और 345 मि.मी. की सबसे भारी बारिश दर्ज की गई, जिसने 1901 में स्थापित 261 मि.मी. के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

मौसम विभाग अगले 48 घंटों में और भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। तमिलनाडु के लोग 2004 की एशियाई सुनामी को अभी भी नहीं भूले हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या कहीं अधिक अर्थात् लगभग 10,000 थी। इस बार भी क्षति और व्यवधान समान पैमाने पर हुआ। यह सामान्य बारिश से लगभग दोगुनी है।

---

\* भाषण सभा पटल पर रखा गया था

पूरे दिसंबर में चेन्नई में हर साल 199 मिमी बारिश होती है। चेन्नई में कई जगहों पर 12 फीट तक पानी भर जाने के कारण हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं।

कई इलाकों में भूतल के फ्लैट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। दस लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और पहले से ही 70000 से अधिक राहत शिविर खोले गए हैं। शहर के पूरे दक्षिणी हिस्से से संपर्क टूट गया है। कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है, अस्पताल बिना कर्मचारियों के चल रहे हैं।

वहां के दो मुख्य पुल बंद कर दिए गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों तक पहुंचने के लिए नावें चलाना मुश्किल हो गया है। राज्य की राजधानी, जिसे भारत का 'डेट्रॉयट' भी कहा जाता है, में विभिन्न उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए। राज्य में भारी बारिश के कारण 200 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार इस आपदा से निपटने के लिए पूरा सहयोग दे रही है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करने के लिए सेना, नौसेना को दो उपनगरीय क्षेत्रों में तैनात किया गया था।

राष्ट्रीय आपदा के समय भारत सदैव साथ खड़ा रहा। पूरे भारत को तमिलनाडु के लोगों की मदद के लिए हाथ मिलाना चाहिए।

[हिन्दी]

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** अध्यक्ष महोदया, कल इस देश में फ्लड सिचुएशन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई और इस डिस्कशन में लगभग 53 मੈम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में फ्लड सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस आधार पर यदि मैं यह कहूँ कि चेन्नई इस समय आइलैंड बन गया है तो यह कहना भी इग्जेजरेशन नहीं होगा। परसों से ही चेन्नई को जोड़ने वाले जितने भी नेशनल हाइवेज और स्टेट हाइवेज हैं, वे सब के सब बंद पड़े हुए हैं। जो फ्लड की स्थिति तमिलनाडु में पैदा हुई है, तमिलनाडु में नार्थ-ईस्ट मानसून का प्रवेश 28 अक्टूबर, 2015 को हुआ और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन के कारण कडलूर, चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में 8 नवम्बर, 2015 से भारी बारिश हुई है। साथ ही तमिलनाडु राज्य के अन्य जिलों और आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में भी बारिश के कारण काफी क्षति हुई है। एक शार्ट पीरियड ऑफ नार्मलसी के पश्चात पिछले तीन दिनों से तेजी से पुनः बारिश हो रही है। दिनांक 1.12.2015 के साढ़े आठ बजे से दिनांक 2.12.2015 के साढ़े आठ बजे तक 24 घंटों में कुल 330 मिली मीटर वर्षा हुई है। इन 24 घंटों में हुई बारिश चेन्नई में पूरे दिसम्बर माह में होने वाली वर्षा से 252 मिली मीटर अधिक है। इस बरसात ने पिछले सौ सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है और इससे चेन्नई में एक अभूतपूर्व आपात की स्थिति पैदा हो गई है।

इस बरसात से चेंबर कम रिज़र्वायर में सेफ्टी से अधिक पानी होने की वजह से बाद में 25000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी अड्यार नदी में आने से उसका जलस्तर और बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में चेन्नई में भी बरसात कम हुई है, परंतु नागपट्टनम से गैडलूर तक 45 मिली मीटर से 133 मिली मीटर बरसात हुई है। अगले दो-तीन दिनों में भी मैसम विभाग ने हैवी रेनफॉल यानि 100 मिली मीटर प्रति दिन की औसत बरसात की संभावना व्यक्त की है। आशंका से इलाके में लगभग लगातार बरसात हो रही है और रास्ते भी प्रभावित हैं, इसलिए राहत पहुंचाना उतना ही कठिन होता जा रहा है। टेलिफोन कनेक्टिविटी भी इस कठिनाई के कारण एडवर्सली अफेक्टिड हुई है। अनुमान है कि 40% मोबाईल और 20% लैण्डलाइन कनेक्शन इस समय काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अधिक मात्रा को देखते हुए कई स्थानों पर बिजली का कनेक्शन भी काटना

पड़ा है। इन स्थानों को छोड़ कर तमिल सरकार ने पॉवर की कमी अभी तक नहीं बताई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार इस सीज़न में तमिलनाडु में 269 कजुअल्टीज़, ह्युमन लॉसेज़ हुई हैं। पॉण्डिचेरी में भी दो ह्युमन लॉस की सूचना प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश में 54 ह्युमन लॉसेज़ की सूचना प्राप्त हुई है। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां अभी भोजन, दूध, ड्रिंकिंग वॉटर और मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, जो बतलाया गया है। महोदया, लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज ही 12 बजे हमारे प्रधान मंत्री जी चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं। वहां जा कर एरियल सर्वे करने के बाद वहां की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद जो भी आवश्यक होगा, वह कदम वे उठाएंगे।

महोदया, तमिलनाडु सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है, उस आधार पर मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को तत्परता से समर्थन देते हुए एनडीआरएफ की तीस टीमों, जिसमें 1014 पर्सनल्स होते हैं और उनके साथ 110 बोट्स भी हैं। साथ ही साथ आर्मी की 7 कॉलम्स, जिसमें 434 पर्सनल्स हैं, को रिलीफ एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए रखा है। दो अतिरिक्त कॉलम्स, जिसमें 124 पर्सनल्स होंगे, कल हैदराबाद से एयरलिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा आज दिल्ली से चार कॉलम्स शाम तक एयरलिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की इन तीस टीमों में से दो पॉण्डिचेरी में डिप्लॉय कर दी गई हैं। नेवी की 12 बोट्स और 255 पर्सनल्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसके अलावा आईएनएस अरिहंत और 20 डाइवर्स, हैलिकॉप्टर्स, वायज़र रवाना कर दिए गए हैं और अब तक चेन्नई पहुंच गई होंगी, ऐसी संभावना है। भारतीय एयरफोर्स ने इस मूवमेंट में पूरा योगदान दिया है। एनडीआरएफ की 14 टीमों कल एलर्ट कर दी गई हैं। आज आर्मी के दो कॉलम्स एलर्ट किए जा रहे हैं। हैलिकॉप्टर्स द्वारा रिलीफ कर 22 लोगों को बचाया गया है। कल तक 37 ट्रेन्स निरस्त की गई थीं। आज प्रातः बेसिक ब्रिगेडयार्ड में एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया है। जिससे चेन्नई स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ट्रेनों को चेन्नई के नज़दीक कहां तक लाया जा सकता है, यह योजना रेलवे आज बना लेगा। यह सूचना प्राप्त हुई है।

24, अक्टूबर, 2015 को तमिलनाडु राज्य सरकार से 8481 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए मैमोरेण्डम प्राप्त हुआ है। तत्काल राहत के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 940.92 करोड़ रुपए की

सहायता कर दी है। इस धनराशि को रिलीज कर दिया गया है। भारत सरकार की इंटरमिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम ने 25 से 29 नवम्बर, 2015 तक राज्य का भ्रमण करके क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट कर लिया है। एक सप्ताह के भीतर यह टीम अपनी रिपोर्ट दे देगी। जिस पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी विचार करके हाई लेवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात जल्द से जल्द इस संबंध में निर्णय किया जाएगा।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 509.25 करोड़ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत एसडीआरएफ कोष से द्वितीय किस्त में 133.795 करोड़ रूपए भी 23 नवंबर, 2015 को जारी कर दिए गए हैं। पिछले सप्ताह मैंने स्वयं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात की थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जी से बात की थी। उनके द्वारा अनुरोध की गई किसी भी आवश्यक सहायता के लिए केन्द्र सरकार सदैव तैयार है।

इसके अतिरिक्त मैंने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और वहाँ हर संभव सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 1,000 करोड़ रूपए की एक इन्टरिम रिलीफ हेतु मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है। नुकसान का आँकलन करने के लिए जल्दी ही भारत सरकार की एक टीम आंध्र प्रदेश जाएगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 330 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 2014-15 के सूखे से निपटने के लिए वर्ष 2015-16 में 181.63 करोड़ रूपए भी एसडीआरएफ से आंध्र प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए गए। ओडिशा के लिए वर्ष 2015-16 के अंतर्गत 280 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। मैं यह भी आश्चस्त करना चाहता हूँ कि उड़ीसा में फैलीन से जो क्षति हुई है, कुछ और धनराशि हमें उपलब्ध करानी है, वह धनराशि जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी... (व्यवधान)

**श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) :** यह कुछ नहीं है। क्या यह पॉकेट मनी है?

**श्री राजनाथ सिंह** : हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होते ही इस संबंध में अंतिम फैसला हो जाएगा... (व्यवधान)  
 पॉकेट मनी की बात नहीं है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : उन्हें पूरा करने दीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष**: तथागत जी, पहले उन्हें पूरा करने दीजिए उसके बाद आप कुछ कह सकते हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राजनाथ सिंह** : पश्चिम बंगाल में वर्ष 2015-16 में एसडीआरएफ के अंतर्गत 10,705 करोड़ रूपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की माँग की गई है। हमने इसमें सेंट्रल टीम भेजी थी और इस टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष हमने लगभग 387 करोड़ रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता पश्चिम बंगाल को प्रदान की है।... (व्यवधान) मैं सदन को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है और राज्यों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ पर गंभीर बाढ़ के कारण भारी जान-माल की क्षति हुई है, तो इस दुःखद प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं और जो इस समय संकट से जूझ रहे हैं, उनके प्रति भी हम अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

**माननीय अध्यक्ष** : मुलायम सिंह जी, क्या आप इसी के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं?

**श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़)** : महोदया, हम एक सुझाव देंगे। हम सराहना करते हैं कि सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, अगर सदन की राय हो और आपकी राय हो तो यह जो हर साल दैवीय आपदा आती है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, ओले भी पड़ते हैं, इसके लिए अलग से एक विभाग बना दिया

जाए। अगर यह विभाग बन जाए तो सहायता करने में देरी नहीं होगी। पहले से ही बजट में प्रावधान हो जाएगा। यह दैवीय आपदा हमेशा आएगी, हर साल आती भी है जिससे कहीं ज्यादा बारिश, कहीं भयंकर सूखा और कहीं अत्यधिक बड़े-बड़े ओले पड़ते हैं, ऐसा प्रतिवर्ष होता है, इसलिए मेरी सलाह है कि इसके लिए अलग से एक विभाग अवश्य बना दिया जाए जिससे राज्यों को, लोगों को राहत मिले। महोदया आप भी इसमें मदद कीजिए। एक दैवीय आपदा विभाग बना दिया जाए।

[अनुवाद]

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर):** महोदया, कल मेरे भाषण में मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पश्चिम बंगाल राज्य एक तरफ बाढ़ से प्रभावित होता है और दूसरी तरफ सूखा होता है। पिछले हफ्ते मुझे श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा सूचित किया गया था कि एन.डी.आर.एफ. से 387 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। लेकिन यह धनराशि उस धनराशि की तुलना में है, जिसके लिए राज्य, यानी बाढ़ के लिए 6000 करोड़ रुपये और सूखे के लिए 4000 करोड़ रुपये बहुत कम है और अब इससे अधिक तक चला गया है।

मैं स्पष्ट रूप से धन के आबंटन की प्रणाली को जानना चाहता हूँ। केंद्रीय टीम वहां जाती है और वापस आती है। लेकिन जब धनराशि तय की जाती है, तो यह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या किसी प्रतिनिधि के परामर्श से तय नहीं किया जाता है। यह सुओ मोटू किया जाता है। बिल्कुल, वे निर्णय अपने दम पर लेते हैं।

महोदया, योजना आयोग में, प्रणाली अपने वित्त मिनस्टर के साथ मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में थी, चर्चा की जा रही थी। इसके अनुसार धनराशि तय की जाएगी। लेकिन यह एकतरफा फैसला है।

हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल का बचना मुश्किल है और विरोध स्वरूप हम सरकार के रुख के खिलाफ सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

**अपराह्न 12.20 बजे**

(इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** मैं आपको भी बोलने का मौका दूँगी। मुख्य मामले उनके ही हैं, इसलिए उनको पहले मौका दे रही हूँ। उनको भी बोलने का मौका दे दूँगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत सकारात्मक और ठोस उत्तर की उम्मीद कर रहा था, विशेष रूप से फेलिन मुद्दे के संबंध में जो मैंने उठाया था। मैंने पिछली सरकार के फैसले का हवाला दिया था और उसके बाद इस एन.डी.ए. सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से और सदन के अंदर भी आश्वासन दिया था।

2015 में, तीन उच्च स्तरीय बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं और मैंने इसके संबंध में विशिष्ट तिथियां दी थीं।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात समझना चाहता हूँ। उन तीन बैठकों के बावजूद, ओडिशा सरकार को लिखित आश्वासन के बावजूद, आज हमें एक और आश्वासन मिल रहा है कि अगली उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। फेलिन में केवल तीन लोग हताहत हुए। दस लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। क्या इसीलिए हमें ओडिशा सरकार से मिलने वाली सहायता नहीं मिलेगी? यह घटना 2013 में घटित हुई थी। इसीलिए मेरे सहयोगी श्री सत्पथी ने व्यथित होकर पूछा कि क्या यह जेब खर्च है जो आप दे रहे हैं। हमने सूखा राहत के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये मांगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

कल केंद्रीय टीम आ गई है। पहले ओडिशा सरकार ने ज्ञापन दिया था, कुछ अधिकारी भी अपनी तरफ से घूम-घूम कर मीडिया में चर्चा करवाते रहे कि हम बहुत चिंतित हैं, लेकिन हमें कितना मिला? यह बमुश्किल 280 करोड़ रुपये है। यही समय है, दिसंबर के महीने में, जब हमें संकट में फंसे अपने किसानों को अगले रबी

सीजन के लिए तैयार करना है। मुझे वे विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इससे कहीं अधिक की उम्मीद कर रहे थे।

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया केवल स्पष्टीकरण पूछें। मैं जानती हूँ कि आप बहुत स्पष्टवादी हैं।

**श्री भर्तृहरि महताब:** मैं इस विषय पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। 200 करोड़ रुपये की धनराशि बहुत कम है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि क्या आप वहाँ गई कमेटी की प्रतिवेदन का इंतजार करने के बजाय और पैसा जारी करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** इन दो वाक्यों में सब बात आ गई। श्री तंबिदुरै जी, आपके यहाँ तो अभी इसका संकट बना हुआ है।

[अनुवाद]

**डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर):** महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने विशेषकर तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की अनुमति दी। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, लगभग 53 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इससे चेन्नई और अन्य क्षेत्रों में व्याप्त स्थिति की महत्ता और गंभीरता का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल चेन्नई ही एकमात्र प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा तिरुवल्लूर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, पुडुचेरी और तूतीकोरिन जैसे अन्य जिले भी प्रभावित हैं। यह बहुत ही असामान्य स्थिति है। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा, 100 वर्षों के बाद, हमने तमिलनाडु और विशेषकर चेन्नई में ऐसी गंभीर स्थिति देखी है। चेन्नई में भी दिल्ली जैसा निगम है। हमने चेन्नई के इतिहास में इस तरह के एक मंच को कभी नहीं देखा। माननीय मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि भोजन की कोई कमी नहीं है और बचाव कार्य अच्छे से चल रहा है। यह तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा के प्रयासों के कारण है। इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। वह पहले भी प्रभावित स्थानों का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी भी, जैसा कि आपने कहा, आज वहां की स्थिति देखने के लिए आ रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है।

आपने कहा है कि आपने 940 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह सही नहीं है। इसमें पिछले वर्ष दी गई धनराशि, आपदा प्रबंधन के लिए दी गई लगभग 650 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है। तो ये कोई नयी बात नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे देखें कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा द्वारा अनुरोधित धनराशि पूरी तरह से जारी की जाए।

कल सभी माननीय सदस्यों ने सहानुभूति व्यक्त की। मैं उन सभी का आभारी हूँ। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इससे हमारी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। हमें पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसके लिए वित्तीय सहायता अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसी अभूतपूर्व स्थिति का सामना

कर रहे हैं, तो अल्प धनराशि देने से मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हमें तुरंत धन की आवश्यकता है। इसके बाद शहर में और दूसरे इलाकों में सड़कों को फिर से बनाने के लिए, पुनर्वास करने के लिए, सिर्फ आपका मंत्रालय ही नहीं, शहरी विकास मंत्रालय जैसे दूसरे मंत्रालयों को भी अहम भूमिका निभानी होगी।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. तंबिदुरै, आपको केवल स्पष्टीकरण की मांग करनी होगी।

... (व्यवधान)

**डॉ. एम तंबिदुरै:** शहरी विकास मंत्री जी, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, को नेतृत्व करना चाहिए। कल उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्हें जानकारी हासिल करने में दिक्कत होती थी। ... (व्यवधान) आज भी हमने इस पर चर्चा की। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ इस पर चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने जो भी सहायता का अनुरोध किया है उसे बढ़ाया जाए। यह मेरा अनुरोध है।

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती हेमामालिनी, क्या आप इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहती हैं?

**श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा):** मैं बस कुछ बातें कहना चाहती हूँ।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं, मिनिस्टर से कुछ पूछना चाहती हैं, तो ही बोलें।

**श्रीमती हेमामालिनी :** मैं कहना चाहती हूँ। मैं बस कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभी मंत्री जी ने चेन्नई की इस संकट की घड़ी में बहुत सारी मदद देने की बात की है। सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत सारी प्रोब्लम्स अभी हैं कि भोजन, पीने के पानी, दवा, अस्पताल की आपूर्ति की कमी और अधिक महत्वपूर्ण रूप से महामारी का प्रकोप, विशेष रूप से डायरिया जैसी जलजनित बीमारियां, यह सब आने की अभी सम्भावना है। यह जो बारिश हो रही है... (व्यवधान) अगर यह बारिश ऐसे ही कंटीन्यू होगी तो बहुत सारी प्रोब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं।

[अनुवाद]

चेन्नई एक समय बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी। प्राचीन काल में यहां झीलों और तालाबों जैसे बहुत सारे जलस्रोत हुआ करते थे, जो समय के साथ सूख जाते थे। यह बनाए रखने के बजाय कि लोगों ने अतिक्रमण किया है और विकास अधिकारी भी इन सभी स्थानों को विकसित करने में समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि यह समस्या हुई है।

मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर और कस्बे की योजना है। शहर और कस्बे की योजना भारत में होने के साथ ही तदर्थ नहीं हो सकती है। शहर की योजना में शहरी नियोजन, आवास, परिवहन, पानी और सीवेज सिस्टम अधिकारियों के विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। ... (व्यवधान) यह अकेले आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह ठीक है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :** अध्यक्ष महोदया, इस तरीके से एक महिला की आवाज को दबाया गया है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** कोई दबाया नहीं गया है।

... (व्यवधान)

**डॉ. एम. तंबिदुरै :** यह गलत जानकारी है। ... (व्यवधान) वह गलत जानकारी दे रही है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** अगर वे बोलना चाहती हैं तो उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी।...

(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बात वह नहीं है। आप इतनी चिन्ता मत करिये। बात इतनी सी ही है कि डिस्कशन पूरा हो चुका है। हम फिर से उसी बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ने जवाब दिया है। अब, आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यह तरीका है। आप इतनी चिन्ता मत करो, ज्योतिरादित्य जी, हमें भी महिलाओं की चिन्ता है। खड़गे जी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अब बस बहुत हो गया, क्लैरीफिकेशन लेना है। नहीं, इसे बढ़ाओ मत।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इसमें अब केवल क्लैरीफिकेशन ही होगा, खड़गे जी। अब दोबारा चर्चा शुरू मत करो।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, आप सेंटेंस भी पूरा नहीं होने देतीं, मुश्किल यही है।... (व्यवधान) कल मैंने चर्चा के वक्त एक बात पूछी थी। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक बार एरिएल सर्वे करके देख लीजिए। इसके लिए मैंने कल ही अपील की थी। तब मेरा मज़ाक उड़ाया गया था। उस वक्त यह कहा गया कि हमारी सरकार हवा में नहीं उड़ती।... (व्यवधान)

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) :** मैडम, ऐसा कोई मज़ाक नहीं उड़ाया गया था।... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आप इसे देख लीजिए, नहीं तो मैं इसे वापस लेता हूँ।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सरकार ने आपकी बात मान ली न?

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** मुझे आज इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एरिएल सर्वे पर जा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। लेकिन, जो अलॉटमेंट ऑफ मनी है, वह तमिलनाडु को, ओडीशा को दिया गया है। असम को इसमें नहीं दिया गया है। वेस्ट बंगाल के बारे में आपने नहीं बताया। मेरा कहने का मकसद यह है कि आपने जो नीति आयोग बनाया है, उन्हें बुलाइए। आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसके लिए

कितना अमाउंट दिया गया है? अगर वह कम है, तो आप उसकी धनराशि बढ़ाकर जिन-जिन राज्यों में इसका अफेक्ट हुआ है, वहां पर इसका प्रावधान कीजिए।

दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, वह तो कर ही रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीजें भेजनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा बोझ आज बेंगालुरु पर पड़ रहा है। चेन्नई में जितने लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, वे सारे लोग आज बेंगालुरु में आ रहे हैं। बेंगालुरु में स्कूल का, पानी का और दूसरे चीजों का बोझ पड़ रहा है।

मेरी अपील है कि चाहे वह फूड पैकेट्स हों, वाटर बॉटल्स हों, या मेडिसिन्स हों, उसे आप जितनी भी हाई-राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप उन्हें नीचे तो फेंक नहीं सकते हैं। मैं आपसे यह अपील करता हूँ। आपने इसमें उसका कोई जिक्र नहीं किया। कम से कम इसकी व्यवस्था करने के लिए और धनराशि बढ़ाने की मैं अपील करता हूँ, चाहे वह चेन्नई के लिए हो, वेस्ट बंगाल के लिए हो। आपने असम को तो इसमें कुछ भी नहीं दिया... (व्यवधान) जितना देना है, उसकी घोषणा कीजिए। फिलहाल चेन्नई के लिए जो अर्जेंट है, या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह भी आप कीजिए।

**माननीय अध्यक्ष :** कविता जी, आप बैठिए।

**श्री राजनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे निश्चित रूप से जान-माल की भारी क्षति होती है। सदन में जब भी इसकी चर्चा होती है, तो संबंधित राज्यों के माननीय सदस्य अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करते हैं। यदि वे अपने आक्रोश की, अपने गुस्से की, अपनी नाराजगी की अभिव्यक्ति करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार को उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और मैं भी उसे अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में, अपने-अपने राज्यों में संवेदनशीलता के साथ राजनीति करते हैं। अगर जनता के ऊपर कोई संकट अथवा कोई मुसीबत आती है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें तकलीफ होती है। मैं मानता हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार के द्वारा इस संकट की घड़ी में, चाहे जितनी भी राहत क्यों न मुहैया करायी जाए, वह पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। लेकिन, मैं सदन

को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा जितना अधिकतम सहयोग संभव है, वह अधिकतम सहयोग केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया गया है और भविष्य में भी कराया जाएगा। इतना मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो यह प्रश्न उठाया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अलग विभाग होना चाहिए, तो वह विभाग है, जो इस काम को देख रहा है।

सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने यह प्रश्न किया कि इसमें कौन-सा तरीका है? आप किस प्रकार से उसे देते हैं? जब कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा किसी राज्य में आती है, तो वहां की राज्य सरकार पूरी सिचुएशन को असेस करने के बाद एक मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपनी सेंट्रल टीम भेजती है। सेंट्रल टीम वहां पर असेसमेंट के बाद अपनी रिपोर्ट यहां सबमिट करती है। आफिसर्स की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें उस पर विचार होता है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर के भी रिप्रेजेंटेटिक्स बैठते हैं और उसके बाद हाई लेवल कमेटी जो कि मेरी चेयरमैनशिप में है, वह यहां पर आती है, जिसमें मैं रहता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हैं और कुछ आफिसर्स रहते हैं। इस तरीके से हम लोग इस संबंध में अंतिम निर्णय करते हैं। पश्चिम बंगाल का क्या मामला है, इसके बारे में मैं देखूंगा। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह नहीं होता है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे खेद है, श्री सुदीप बंदोपाध्याय। आप बाद में बैठकर चर्चा करें, यह ठीक नहीं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर):** महोदया, वह सहमत हो गया है। वह पहले ही हार मान चुका है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** जब-तब आप बोल रहे हैं

... (व्यवधान)

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** इस सभा में कई वर्षों तक मेरे लंबे संसदीय जीवन में.... .. (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** यह क्या है? बैठिए।

... (व्यवधान)

**श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) :** अध्यक्ष जी, उनको बुला रहे हैं, हमें भी बुलाइए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह मेरा प्रिविलेज है। बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** कृपया सुनें। सभा मुख्य रूप से विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का नहीं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे समझने दीजिये।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय:** आई एम नॉट हेमा मालिनी जी कि अचानक बैठ जाऊं। ... (व्यवधान) वह एक प्रतिष्ठित महिला हैं। वह बैठ गई। मैं अपना भाषण समाप्त करके बैठ जाता। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सुदीप जी, आपस में चर्चा नहीं। आप भी पर्टिकुलर बात बोलिए। यह जो आपका डिसकशन चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को भी कहूंगी कि आप अपनी जो भी कमेटी है, आप अपने पश्चिम बंगाल के लोगों को बुलाकर बात करें। यहां तो यह बात डिसाइड नहीं होगी। आपने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा। बार-बार इस तरह चर्चा मत करते रहो।

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय:** नहीं महोदया, यह कोई नई बात नहीं है। पिछले सेशन में लोक सभा एक दिन नहीं चल पाई। इस बार डेली चलती है। आपको खुश होना चाहिए। आपका खुशी का मुंह हम लोग देखना चाहते हैं। आपका गुस्सा हम लोगों को पसन्द नहीं है। पिछले सेशन में एक दिन नहीं हुआ, इस बार पूरे दिन होगा, पूरा सेशन होगा।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद पूर्वी क्षेत्र आर्थिक रूप से वंचित रहा है। विशेषकर पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक शोषित और वंचित रखा गया। क्षेत्रीय संतुलन मौजूद हैं। पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन से सबसे अधिक पीड़ित है। वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। मेरा विनम्र सुझाव यही है। पूर्वी क्षेत्र का विशेष ध्यान रखें - चाहे वह ओडिशा हो, असम हो, बिहार हो या अन्य राज्य हों। मुझे लगता है, उन्हें कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने यहां बताया, पूर्वी क्षेत्र को क्षेत्रीय असंतुलन से सबसे अधिक पीड़ित होने से मुक्त होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री राजनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, अभी भर्तृहरि जी ने ओडिशा के जिस सवाल को खड़ा किया था, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं आश्चस्त करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी वह धनराशि विद इन फ्यू डेज रिलीज कर दी जाएगी।

तंबिदुरे जी ने चेन्नई के संबंध में बात कही। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां का एरियल सर्वे करने का फैसला किया है। वह अब यहां से प्रस्थान कर गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कुछ न कुछ घोषणा होगी ही। लेकिन इसके पहले जो एसडीआरएस का एमाउंट था, उसके अतिरिक्त भी एप्रॉक्सिमेटली 400 करोड़ प्लानिंग कमीशन से चेन्नई को हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। सब मिलाकर लगभग 940.22 करोड़ की सहायता धनराशि चेन्नई को दी गई है।

हेमामालिनी जी ने जिस प्रश्न को खड़ा किया था, पानी, मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ये सारी चीजें, तो मेडिसिन और फूड पैकेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जा सकता है। हमारे आर्मी के पर्सनल्स उसको प्रोवाइड करने की वहां पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं सदन को यह भी आश्चस्त करना चाहता हूँ कि यदि तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि पानी की सुविधा भी मुहैया कराई जानी चाहिए, तो एयर सर्विस के द्वारा भी यदि तमिलनाडु को पानी ले जाना होगा, तो हम ले जाएंगे और तमिलनाडु के लोगों को हम पानी की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। ... (व्यवधान)

अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों में भी इस प्रकार का संकट पैदा होता है, हमारी सरकार पूरी तरह से और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन राज्यों के साथ खड़ी रहेगी।

**अपराह्न 12.40 बजे****सदस्यों द्वारा निवेदन**

**(एक) केरल के रबर किसानों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के बारे में**

**माननीय अध्यक्ष:** अब हम विशेष उल्लेख लेते हैं।

**श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर केरल में रबर किसानों के सामने आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूँ।

जैसा कि आप जानते हैं, रबर की खेती केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। केरल में रबर की खेती का 78 प्रतिशत क्षेत्र और भारत में उत्पादित कुल रबर का 90 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में 40 लाख रबर उत्पादक हैं और उनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक परिवार अपनी दैनिक रोज़ी-रोटी के लिए रबर क्षेत्र पर निर्भर हैं। इसलिए, रबर क्षेत्र पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का केरल की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा।

रबर किसानों की वर्तमान समस्या प्राकृतिक रबर के बड़े पैमाने पर आयात और उसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कीमत में गिरावट से उत्पन्न हुई है। पिछले कई वर्षों से रबर आयात की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे पहले प्रतिवर्ष प्राकृतिक रबर का औसत आयात 2 लाख टन था। हालांकि, पिछले 18 महीनों में ही 6.5 लाख टन रबर का आयात किया गया है। पिछले वर्ष देश में निर्मित रबर का 42 प्रतिशत से अधिक आयातित रबर था। इसका मतलब यह है कि देश में उत्पादित रबर का लगभग आधा हिस्सा रबर निर्माताओं की लापरवाही के कारण अधिशेष हो गया।

भारत पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। लेकिन रबर निर्माता हमेशा घरेलू बाजार में कीमत कम करने के लिए बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रबर का आयात करने का प्रयास करते हैं। विदेशी रबर की

भारी आमद घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबर की कृत्रिम अधिशेष पैदा करती है। इसलिए, रबर निर्माता देश में उत्पादित रबर की मांग नहीं कर रहे हैं।

रबर शीट के अलावा, निर्माता रबर के अन्य रूपों जैसे ब्लॉक रबर का आयात कर रहे हैं। सस्ती दर उनका प्रमुख आकर्षण है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्लॉक रबर की कीमत 75 रुपये प्रति कि.ग्रा. के बराबर है। ब्लॉक रबर की भारी आमद से देश में उत्पादित शीट रबर की कीमत में और गिरावट आती है। इसके अलावा, टायर, विशेष रूप से प्रयुक्त टायर का आयात भी देश में रबर किसानों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

रबर बोर्ड द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2011 में प्राकृतिक रबर की कीमत 243 रुपये प्रति कि.ग्रा. थी। फिलहाल इसकी कीमत 106 रुपये प्रति कि.ग्रा. है। यह इतिहास में सबसे कम दर है। देश में रबर किसानों के लिए पिछले दो साल सबसे खराब रहे हैं, क्योंकि इस दौरान रबर की कीमत में 57 रुपये प्रति कि.ग्रा. की गिरावट आई थी। हालांकि आधिकारिक आंकड़े 106 रुपये प्रति कि.ग्रा. की कीमत दर्शाते हैं, लेकिन व्यापार इस दर पर नहीं किया जाता है। इसलिए बिचौलिए 100 रुपये प्रति कि.ग्रा. से कम दर पर रबर खरीदते हैं। गौरतलब है कि एक किलोग्राम प्राकृतिक रबर की उत्पादन लागत 150 रुपये है। परिणामस्वरूप, प्राकृतिक रबर की कीमत उत्पादन लागत से नीचे गिर गयी है। इसके विपरीत, प्राकृतिक रबर की कीमत में गिरावट से रबर के तैयार उत्पादों की कीमत में कोई गिरावट नहीं आती है।

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते।

... (व्यवधान)

**श्री एंटो एन्टोनी:** महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने इस मुद्दे को इस सदन में कई बार उठाया और हमें सरकार से कई आश्वासन मिले। आपको याद होगा कि बजट सत्र के दौरान, हमने अध्यक्ष से सुरक्षा मांगी थी और आपने हस्तक्षेप करके हमें आश्वासन दिया था, लेकिन इस संबंध में अब तक कुछ नहीं किया गया है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अब समाप्त करें।

... (व्यवधान)

**श्री एंटो एन्टोनी:** महोदया, रबर बोर्ड पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। अध्यक्ष, सचिव और रबर उत्पादन आयुक्त के पद अभी भी रिक्त हैं। ... (व्यवधान) इसलिए, हम प्राकृतिक रबर के आयात पर प्रतिबंध की मांग करते हैं। यह हमारा अनुरोध है और हम इस मामले में आपकी सुरक्षा चाहते हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप सभी उनके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री पी.के. बीजू, पी. करुणाकरण, जोस के. मणि, एन.के. प्रेमचंद्रन, कोडिकुन्नील सुरेश, मुल्लापल्ली रामचंद्रन, एम.के. राघवन, डी.के. सुरेश, आर. ध्रुवनारायण, राजीव सातव, एडवोकेट जोइस जॉर्ज और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, ऐसे डॉयलॉग नहीं होता।

... (व्यवधान)

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** अध्यक्ष महोदया, यदि वे चाहते हैं कि मैं इस संबंध में रिस्पॉंड करूं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस अहम सवाल को खड़ा किया है। मैं इस संबंध में संबंधित मंत्री जी से बात करूंगा और उनकी इस बात को वहां पहुंचाऊंगा ताकि उसका समाधान निकालें।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** आज विश्व विकलांगता दिवस है। हमें ऐसे निःशक्तजनों को मानसिक रूप से भी शक्ति देनी है। श्रीमती टीचर और श्रीमती मीनाक्षी लेखी दोनों ने मुझसे इसके लिए अनुरोध किया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती टीचर।

... (व्यवधान)

**श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज विश्व विकलांगता दिवस है और इसे दुनिया भर में कई तरीकों से मनाया जाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। हालांकि, हकीकत में यह आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता है। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) का भी हस्ताक्षरकर्ता है।

यू.एन.सी.आर.पी.डी. के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए समुचित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भौतिक पर्यावरण, परिवहन, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित सूचना और संचार तथा अन्य सुविधाओं और सेवाओं तक दूसरों के साथ समान आधार पर पहुंच होनी चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने विश्व विकलांगता दिवस पर सुगम्यता अभियान की घोषणा की। मैं इसका स्वागत करती हूँ। मैं इस दिन इस प्रकार के अभियानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और यह बहुत आवश्यक भी है। लेकिन, जमीनी हकीकत क्या है?

50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के पास पहचान पत्र नहीं हैं और पहचान पत्र न होने के कारण उन्हें विभिन्न लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं।

इसलिए, इस दिन मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी दिव्यांग लोगों को उनके पहचान पत्र मिलें। यह उनका अधिकार है। इन सभी की पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार को 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए 3000 रुपये प्रति माह विकलांगता पेंशन की घोषणा करनी चाहिए।

धन्यवाद, महोदया।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री पी.के. बीजू, एडवोकेट जोइस जॉर्ज, श्री पी. करुणाकरण, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री राजीव सातव को श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) :** अध्यक्ष महोदया, मेरी मित्र श्रीमती टीचर ने युनाइटेड नेशन्स द्वारा आज जो निशक्त जन दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि हमें निशक्त जनों के प्रति अपनी भावनाओं में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। जहां प्रकृति ने उनकी एक शक्ति को कम किया है, बाकी शक्तियों को औरों से अधिक किया है। निशक्त जनों के प्रति हमारे विचार को बदलना चाहिए और कहीं न कहीं वेल्फेयर की योजनाओं को बदलकर स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल उन्नयन और डिफरेंशिएटेड एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि क्षमताओं की तरफ ध्यान देकर योजनाओं का निर्माण किया जाए और उन क्षमताओं से देश की जो वर्क फोर्स है, वे भी श्रम दान के माध्यम से देश की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। उसे आधार बनाकर हम तमाम योजनाएं स्किल ट्रेनिंग और डिफरेंशिएटेड एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राहुल कस्वां, श्री देवजी एम. पटेल, श्री हरीश मीना को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के प्राचीन तथा उभरते हुए पर्यटन स्थल दतिया के लिए यात्री हवाई सेवाओं की आवश्यकता है। जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल सोनागिरी, उनाव का सूर्य मंदिर, दतिया जहांगीर महल और विश्व प्रसिद्ध पिताम्बरा पीठ तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर दतिया में धार्मिक एवं सामान्य पर्यटकों की निरंतर वृद्धि हो रही है। दतिया से संपर्क के लिए अभी झांसी और ग्वालियर से ही रेल संपर्क संभव है। अतः दतिया पहुंचने के लिए पर्यटकों को बहुत परेशानी होती है। उल्लेखनीय है संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण से भारत सरकार की नीति की घोषणानुसार को उद्धृत करता हूं, 'छोटे नगरों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। मैं केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दतिया को राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल कर लिया है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा दतिया की हवाई पट्टी तैयार कर ली गई है और इस पट्टी पर शासकीय और अशासकीय छोटे हवाई जहाज आसानी से संचालित हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के पर्यटक स्थलों और छोटे नगरों के विकास के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। वर्तमान में आगरा, खुजराहो और वाराणसी में कई वर्षों से हवाई सेवाएं संचालित हैं इसी क्रम में दतिया को जोड़ना उचित होगा। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से दतिया में हवाई जहाज के संचालन की स्वीकृति दी जाए।

**श्री विनोद कुमार सोनकर :** माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देकर बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा व सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता व उत्साह पैदा किया है, जो एक सराहनीय कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच व अभियान से प्रभावित होकर लोगों में बेटियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है, जहां एक तरफ देश में बेटियों के प्रति लोगों में संवेदना बढ़ी है, वही उत्तर प्रदेश में लचर कानून-व्यवस्था के कारण आए दिन बलात्कार व हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं ... (व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ)** : मैडम, यह स्टेट का विषय है इसे यहां नहीं उठा सकते हैं। ... (व्यवधान)

**श्री विनोद कुमार सोनकर** : जहां एक तरफ देश में बेटियों के प्रति लोगों की संवेदना बढ़ी है, वहीं उत्तर प्रदेश में लचर कानून-व्यवस्था के कारण आए दिन बलात्कार व हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-बडगों पूरेहेम, थाना-मानिकपुर, जनपद-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में दिनांक 18 नवम्बर को कक्षा 10वीं की छात्रा कु. कल्पना पटेल सुबह-सुबह कोचिंग जा रही थी उसी समय कुछ मनचले उसे छेड़ने लगे जिसका विरोध करने पर बाइक से कुचल कर इस बच्ची की हत्या कर दी गई, इसके बावजूद पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के इस रवैये से गांव के लोगों व छात्राओं में भय व्याप्त है। मेरे प्रयास से बाद में पुलिस द्वारा हत्या का मुकद्दा आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया। इस घटना से उस गांव की सभी छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है जिससे दिन-प्रतिदिन महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न व हत्या, अपहरण तथा छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष** : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री भैंरो प्रसाद मिश्र, श्री हरिनारायण राजभर और श्री शरद त्रिपाठी को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग)**: धन्यवाद महोदया। जहां तक जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारत सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। हर साल 1.5 प्रतिशत से लेकर 1.7 प्रतिशत तक की दर से 1.2 अरब जनसंख्या बढ़ रही है। यद्यपि हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है।

विश्व बैंक द्वारा कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या के मामले में भारत को विश्व में उच्च स्थान दिया गया है। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण लैंगिक असमानता है क्योंकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति अभी भी अविकसित है। कुपोषण से पीड़ित महिलाएं कम स्वस्थ शिशुओं को जन्म देती हैं।

प्रतिवेदन बताती है कि भारत में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। मुस्लिम परिवारों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में कुपोषण की दर अधिक है। मध्य प्रदेश और झारखंड में कुपोषण की दर बहुत अधिक है।

भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय बाल कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन फिर भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर वर्ष 2.1 मिलियन भारतीय बच्चे पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। भारत में बच्चों में कुपोषण की दर 42 प्रतिशत है। संतुलित आहार की कमी के कारण हर रोज 1,500 बच्चे मर जाते हैं।

हमारी माननीय मुख्यमंत्री, कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए समर्थन, महिला और बाल विकास के लिए संगठनात्मक सहायता, हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, बालिका समरीदी योजना जैसे विभिन्न कदम लिए हैं।

सरकार को गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की पोषण स्थिति सुनिश्चित करके, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के आहार सेवन; सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता; आई.सी.डी.एस. के माध्यम से संतुलित, पौष्टिक आहार प्रदान करना और सरकार और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करना; और अच्छा वातावरण प्रदान करके भारत में बच्चों की पोषण स्थिति की निगरानी और सुधार करना है।

महोदया, मैं सरकार को एक अंतिम सुझाव देना चाहूँगी। कुपोषण उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सदस्यों की एक समिति

गठित की जानी चाहिए तथा इस मानवीय कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती संतोष अहलावत को श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

अब, श्री राधेश्याम बिस्वास।

**श्री राधेश्याम बिस्वास (करीमगंज):** माननीय अध्यक्षा जी, केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में 660 निर्भया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जिला मुख्यालयों में निर्भया केंद्रों के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने में सहायता के लिए मुझे दिनांक 26-6-2014 को एक पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के आधार पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैलाकांडी के उपायुक्त ने अपने पत्र क्रमांक के माध्यम से एक भूखंड आबंटित किया। इस उद्देश्य के लिए एच.आर.सी./11/2015 दिनांक 21 फरवरी। मैंने पहले ही माननीय मंत्री जी से अपने पत्र संख्या आर.बी.डब्ल्यू.सी.डी ./3/15 दिनांक 16-3-2015 के माध्यम से इस बारे में संवाद कर लिया है। लेकिन अभी तक महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

यद्यपि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास को प्राथमिकता देने की घोषणा की थी, लेकिन इस मामले में आज तक कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। इसलिए, मैं इस महती सदन के माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इसके निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करें। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:**कुमारी सुष्मिता देव को श्री राधेश्याम बिस्वास द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

(दो) डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर उनके जन्म स्थान ग्राम जीरादेई जिला सीवान बिहार में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** अध्यक्ष महोदया, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्मदिन है। राजेन्द्र चिंतन समिति उनका प्रोग्राम, संसद परिसर के बाहर जो मूर्ति है, वहां मना रही है और सेंट्रल हाल में भी आपने राजेन्द्र प्रसाद जी के चित्र को पुष्पांजलि दी है, माल्यार्पण किया है। राजेन्द्र चिंतन समिति का एक सुझाव है। मेरा यह कहना है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पैतृक गांव जिरादेई, जिला सिवान, बिहार में स्थित है। अभी चुनाव के दौरान मुझे भी उस गांव में विजिट करने का अवसर मिला। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी द्वारा उपयोग में ली गयी और उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं अस्तव्यवस्थ अवस्था में उनके पैतृक गांव में पड़ी हुई हैं। यद्यपि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उनके घर को संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है और एएसआई का एक अधिकारी भी तैनात कर रखा है। लेकिन इन सबके बावजूद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के जीवन का त्याग और तपस्या को देखते हुए उनके पैतृक घर में एक म्यूजियम बनाने की मांग वर्षों से विचाराधीन है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से मांग है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के जिरादेई स्थित उनके पैतृक गांव में एक उचित स्थान पर, जो उनका पैतृक निवास है, वहां पर एक म्यूजियम की स्थापना की जाये, जिससे उनके जीवन की महत्वपूर्ण झलकियां उपलब्ध हो सकें, ताकि नौजवान और भावी पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रोड़मल नगर, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्री सी. आर. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री देवजी.एम. पटेल, कुमारी सुष्मिता देव, श्री राम चरित्र निषाद, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री श्रीरंग आप्पा

बारणे, श्री सुधीर गुप्ता, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राजीव सातव और श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

### **अपराह्न 01.00 बजे**

[हिन्दी]

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सबने सेंट्रल हॉल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर माला अर्पण की है जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी थे। यह मांग वर्षों से लंबित मांग है। हमने सारन में माननीय जय प्रकाश जी के जन्म स्थान पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कही है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी कास्टीटुएंट असैम्बली के मैम्बर थे और संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। मेघवाल जी ने जो विषय उठाया है, निश्चित रूप से सरकार इसका संज्ञान लेगी और हर संभव राष्ट्रीय स्मारक बनाने के दृष्टिकोण से जो कार्यवाही की जा सकती है, करेगी।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक) :** सदागत आश्रम के बारे भी सोचिए, जहां वह ठहरे थे और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वहां रहे थे।

**श्री राजीव प्रताप रूडी:** अभी वहां कांग्रेस का कार्यालय है। उसे खाली करके अगर कोई विचार बनता है...

**माननीय अध्यक्ष :** इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

**श्री भर्तृहरि महताब:** यह नेशनल प्रापर्टी है।

**श्री राजीव प्रताप रूडी:** यह नेशनल प्रापर्टी है तो कांग्रेस के सदस्यों से बाद में चर्चा की जा सकती है।

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा 'शून्य काल' निवेदन राष्ट्रीय एन.आर.आई. आयोग के गठन तथा राष्ट्रीय एन.आर.आई. कल्याण बोर्ड की स्थापना के संबंध में है।

भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों का एक अच्छा प्रतिशत निम्न या मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। दुर्भाग्य से, वे भारत में या भारत से बाहर बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, कोई भी सरकार हमारे देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और समस्याओं के बारे में गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। वे विदेश में अपने जीवन के दौरान और भारत लौटने पर भी कई समस्याओं का सामना करते हैं। भारत में उनके अधिकारों की सुरक्षा और भारत में उनके परिवारों और रिश्तेदारों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदया, भारत वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों का कल्याण और उनका पुनर्वास सरकार का कार्य बन जाता है। लेकिन वर्तमान में, अनिवासी भारतीयों के कल्याण की देखभाल के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। देश के बाहर और देश के अंदर अनिवासी भारतीयों के सामने आने वाली समस्याएं और मुद्दे भी बिना किसी समाधान के लंबित हैं, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।

इसलिए, मेरा कहना है कि एक अनिवासी भारतीय कल्याण बोर्ड और अनिवासी आयोग की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि केरल राज्य में हमें इन अनिवासी भारतीयों के कारण ही 85,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है; तथा केरल में पहले ही एक अनिवासी भारतीय आयोग का गठन किया जा चुका है।

महोदया, चूंकि यह एक ऐसा मामला है जो विभिन्न देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह भारत में अनिवासी भारतीयों के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय आयोग तथा एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय कल्याण बोर्ड का गठन करे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं सदन में एक बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आज विदेशी बीज उत्पादकों का भारतीय बाजार पर कब्जा होता चला जा रहा है। हमारे किसान विदेशी बीजों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह बाजार करीब 30,000-40,000 करोड़ का है। हमारी मेहनत की विदेशी मुद्रा की जो कमाई फिर से विदेशों में जा रही है। हमारे देश में 40 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं और 200 के आसपास एग्रीकल्चर कॉलेज हैं फिर भी हमारे देश के किसान उन्नत किस्म के बीजों के लिए अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं। यह गंभीर चिंता और विचार करने योग्य विषय है।

महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों से आयातित टमाटर के बीज 40,000 रुपए किलोग्राम, गोभी के बीज 26,000 रुपए किलोग्राम से 60,000 रुपए किलोग्राम, पालक के बीज 70,000 रुपए किलोग्राम, खरबूजा के बीज 75,000 रुपए किलोग्राम, मक्का के बीज 5,000 रुपए किलोग्राम और गेहूँ के बीज 1,000 रुपए किलोग्राम मिल रहे हैं। अब किसान क्या करेगा? उनकी लागत तो बीज, खाद और पानी में लग जाती है। फसल होते-होते किसी न किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो जाती है। उनके पास फिर आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को लागत मूल्य का डेढ़ गुना लाभांश दिया जाएगा लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश की खुशहाली एवं तरक्की सम्भव नहीं है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देश में ही उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन हो, सस्ते से सस्ते, उन्नत किस्म के सभी प्रकार के बीज किसानों को उपलब्ध हों, इससे ही किसानों को राहत पहुंचा सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार किसानों की इस गंभीर समस्या पर तत्परता से ध्यान देगी।

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) :** माननीय अध्यक्ष जी, बिहार राज्य के अन्तर्गत एन.एच.ए.आई. द्वारा बनायी जा रही हाजीपुर से छपरा तक चतुर्भुज सड़क परियोजना आज तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इस परियोजना के विलम्ब के क्या कारण हैं? इस सड़क के पूर्ण नहीं होने के कारण सारण प्रमंडल के छपरा शहर

में हमेशा जाम लगा रहता है जिसके कारण विशेष तौर पर बीमार लोगों को घर से अस्पताल तक लाने ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कई बीमार लोगों के प्राण चले जाते हैं तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल समय पर नहीं पहुंचने के कारण परीक्षा छूट जाती है जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस सड़क परियोजना के पूर्ण होने से पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) के कई जनपदों को सुगम सड़क योतायात का लाभ मिलेगा यानी कि यह सड़क पूर्वांचल एवं बिहार आने जाने वालों के लिए काफी लाभदायक होगा एव देश को इससे काफी ईंधन की बचत होगी।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए सार्थक कदम उठाए। धन्यवाद।

**श्री राहुल कस्वां (चुरु) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपने शून्य काल के तहत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

राजस्थान में वर्षा के अभाव में किसानों की खरीफ की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है और सम्पूर्ण क्षेत्र में अकाल की स्थिति है। चुरु संसदीय क्षेत्र में 77 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है जिसमें से 87 प्रतिशत से अधिक वर्षा पर निर्भर है वहां की स्थिति तो और भी विकट है। किसानों ने खरीफ की फसल के समय बुवाई, बीज, खाद आदि के लिए कर्ज लेकर फसल की बुवाई तो कर ली लेकिन फसल का उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ है। सूखे एवं अकाल के कारण किसान कर्ज के बोझ में दब गया है। इस समय घोर आर्थिक संकट की घड़ी में राजस्थान का किसान हताश एवं निराश महसूस कर रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सूखे एवं अकाल के लिए विशेष पैकेज जारी कर संबंधित पटवारी हल्का से गिरदावरी रिपोर्ट, सर्वे जांच करवा कर आर्थिक सहायता सीधे किसान के बैंक खाते में प्रदान करने का आदेश दें ताकि इस संकट की घड़ी में अकाल की चपेट में डूबे हुए राजस्थान के किसान को कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री देवजी एम.पटेल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं यहीं से बोलूँ। आज देश में मोटा अनाज पैदा करने वाला किसान बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, जैसे जो किसान धान और गेहूँ का उत्पादन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आज के दिन बहुत ही खराब है। इसका कारण यह है कि एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी कम है और दूसरे जो सरकारी दर है, उस पर भी किसान के धान या गेहूँ की खरीद नहीं की जाती। खासकर बिहार की स्थिति तो और भी दयनीय है जहां कि सरकार धान और गेहूँ के खरीदने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए पिछले साल भी यह काफी विफल हुई है। मेरे अपने जिले औरंगाबाद जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, दो जिले औरंगाबाद और गया हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। पिछले साल वहां के किसानों का सौ करोड़ रुपया बकाया है, इसी तरह से गया जिले के किसानों का भी एक अरब से ज्यादा रुपया बकाया है और रोहताश जिले में करीब 37 करोड़ रुपए किसानों के धान के बकाया हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** आपने जो विषय अनाजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि दिया था, उसके अनुरूप नहीं बोल रहे हैं।

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) :** मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि एमएसपी की दर बढ़ाई जाए क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह संशोधित नहीं हुई है। इसके अलावा शत प्रतिशत खरीद की गारंटी की जाए। मैं सुझाव देते हुए यह मांग भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से गन्ना किसानों का गन्ना मिलो के माध्यम से खरीदा जाता है। गन्ना किसान अपना गन्ना मिलों तक पहुंचा देते हैं। उन्हें एक पर्ची मिल जाती है और उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यही व्यवस्था धान और गेहूँ के लिए भी होनी चाहिए। हमारे यहां हजारों-हजार चावल मिल हैं। अगर किसान अपना धान वहां पहुंचा दें और उन्हें पर्ची मिल जाए और उनका पैसा उनके बैंक एकाउंट में चला जाए जब यह व्यवस्था लागू होगी, तब किसानों को फायदा मिलेगा।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री छोटेलाल (राबर्टसगंज) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे किसानों की गंभीर समस्याओं पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में लगातार दो-तीन वर्षों से कम वर्षा के कारण सूखा पड़ा है। इस कारण किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को, खासकर जनपद सोनभद्र, जनपद चंदौली, मिर्जापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। यहां किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए और इनका सभी तरह का कर्ज माफ किया जाए। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के किसानों का कर्ज माफ किया जाए तथा कर्ज वसूली रोकी जाए। कम ब्याज पर किसानों को रुपया देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए एवं किसानों को कृषि कार्य मनरेगा से जोड़ा जाए। किसानों को पचास प्रतिशत सब्सिडी पर डीजल दिया जाए। नगवां लिफ्ट और सोन लिफ्ट के द्वारा सभी नहरों को जोड़ कर हर खेत को पानी दिया जाए। बाढ़ सागर परियोजना को मधोपुर-चंद्रप्रभा नदी में जोड़ा जाय ताकि चकिया-चंदौली तक सभी किसानों को पानी मिल सके।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री रामचरित्र निषाद को श्री छोटेलाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री इदरीस अली (बसीरहाट) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी जी का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं इस प्रतिष्ठित सदन का सदस्य बना हूं।

महोदया, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। पिछले कुछ दशकों में भारत में भूजल का प्रदूषण एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा बन गया है। पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में से नौ जिलों में भूजल में आर्सेनिक संदूषण एक विशिष्ट समस्या है। इनमें से मेरा निर्वाचन क्षेत्र बसीरहाट, जिसकी आबादी 15 लाख से अधिक है, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र

है। अतीत में सभा ने आर्सेनिक के गंभीर खतरे के प्रभाव को दर्ज किया है। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा पूरा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् बसीरहाट अभी भी काले दिनों में है। मुझे आपको यह बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि चार करोड़ से अधिक लोग आर्सेनिक के कारण होने वाली बीमारियों से प्रभावित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, इससे पहले भाजपा सरकार के दौरान इस मुद्दे से संबंधित परियोजना के लिए 75 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार ने दी थी। फिर पिछले कुछ वर्षों में आंवटन घटकर 50 प्रतिशत रह गया और दुर्भाग्यवश हाल ही में इस कोष को बंद कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदया, इसके परिणामस्वरूप, उपचार संयंत्र निष्क्रिय हो गए हैं और भारी रखरखाव लागत तथा आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा के निष्कर्षण के कारण बंद हो गए हैं। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले कि यह हाथ से निकल जाए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह देश के सभी लोगों को आर्सेनिक मुक्त पानी की आपूर्ति पर तुरंत विशेष ध्यान दे, क्योंकि यह न केवल सरकार का कर्तव्य है, बल्कि इसे मानवीय आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि लोगों का अधिकार है। मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि यह एक व्यापक खतरा बन जाए, वह एक समयबद्ध रणनीतिक कार्यक्रम तैयार करे। महोदया, मैं बंगाली में केवल दो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ।

\*हम जानते हैं कि हमारी गतिशील नेता श्रीमती ममता बनर्जी विकास और प्रगति का अवतार हैं। उनकी तुलना मदर टेरेसा से की जा सकती है। वह पहले से ही अपने लोगों के लाभ के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और आम आदमी के हित में अथक काम कर रही हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस संबंध में तत्काल कदम उठाए तथा उसकी पहल को आगे बढ़ाए। \*

[हिन्दी]

\* मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

**श्री छेदी पासवान (सासाराम) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक गंभीर मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी सांसदों के कस्टोडियन और संरक्षक हैं। हम लोगों के क्षेत्र में सभी सांसदों की छवि खराब हो रही है और छवि पर उँगली उठायी जा रही है। इसका कारण यह है कि एक विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को दो करोड़ रुपये विकास के लिए दिये जाते हैं और हम लोगों के संसदीय क्षेत्र में छः-छः विधानसभा क्षेत्र हैं। एक विधानसभा क्षेत्र पर 83-84 लाख रुपये ही पड़ते हैं। इससे कोई भी विकास का काम हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। लोगों के दिमाग में यह है कि एमपी से बड़ा पद विधायकों का होता है। इससे हम लोगों की छवि पर उँगली उठ रही है। आप हम लोगों के संरक्षक हैं। इसलिए इसमें सुधार कीजिए। इसके अलावा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का निर्देश है कि प्रत्येक वर्ष आपको एक आदर्श ग्राम बनाना है और एक ग्राम पंचायत को गोद भी लेना है। हम लोगों को वहाँ भी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इनके लिए अलग से धनराशि विमुक्त नहीं की गयी है। हम लोगों की ऐसी बदनामी हो रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र को सुचारू रूप से विकसित करने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसद निधि में प्रत्येक वर्ष कम से कम 24 करोड़ रुपये किये जाएं। निधि बढ़ाने हेतु सदन के माध्यम से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को निदेशित करने की कृपा की जाए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सांसद निधि बढ़ाने की बात करें, लेकिन बदनामी की बात न करें। आप काम करते रहें। कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

**श्री आर. पी. मरुथराजा (परम्बलूर):** सबसे पहले, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे संसदीय क्षेत्र परम्बलूर की जनता की ओर से इस प्रतिष्ठित सभा में अपना अनुरोध रखने का अवसर प्रदान करने के लिए। मैं विनम्रतापूर्वक तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराच्ची थलाइवी अम्मा को अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

परम्बलूर जिले में इरायुर, इयानपेरायुर और पेन्नेकोनम गांवों के किसानों से लगभग 3000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित की गई। यू.पी.ए शासन के दौरान परम्बलूर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) स्थापित करने

के लिए आंध्र प्रदेश की एक निजी फर्म द्वारा बहुत सस्ती दर पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) की स्थापना के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

जिन किसानों ने इस उद्देश्य के लिए अपनी जमीनें केंद्र सरकार को बेची थीं, उन्हें भी बेरोजगारी और अपनी जमीन पर खेती न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पिछड़े क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को उचित रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। पेरम्बलुर एक पिछड़ा क्षेत्र है। बेरोजगार शिक्षित युवाओं और किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई उद्योग या कारखाने नहीं हैं।

इसलिए, मैं संसद के इस शीतकालीन सत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह पेरम्बलुर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) स्थापित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** मैडम, मैं आपके माध्यम से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती के इस शुभ अवसर पर अपने लोक सभा क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोलने की मांग करता हूँ।

मेरा लोक सभा क्षेत्र अम्बाला वर्ष 1952 से एक आरक्षित क्षेत्र है। वहां गरीब छात्रों के लिए गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा की आजादी के 68 साल बाद भी भारी कमी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 50 करोड़ युवाओं को वर्ष 2022 तक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम जोड़ने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में दो दिन - 26 एवं 27 नवम्बर को भारत के संविधान एवं डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के प्रति योगदान पर चर्चा कराई है, जिससे हिन्दुस्तान के दलितों के दिल और दिमाग में एक सकारात्मक संदेश गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाए।  
धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री फिरोज वरुण गांधी (सुल्तानपुर):** महोदया, मैं इस सभा का ध्यान अपने राज्य उत्तर प्रदेश में गंभीर कृषि संकट की ओर आकर्षित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। भारत के सभी राज्यों में से, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष सबसे अधिक वर्षा की कमी रही है, जिसके कारण राज्य सरकार ने 75 में से 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है।

अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज द्वारा किया गया नवीनतम सर्वेक्षण, जिसे मैंने अभी पढ़ा, जिसमें बुंदेलखंड के सात जिलों के 1,200 परिवारों को शामिल किया गया था, ने दर्ज किया कि रबी की फसल, जो अभी बोई गई है,

सात जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। नब्बे प्रतिशत लोगों ने कहा कि पिछले तीन महीनों से, न केवल उन्होंने किसी भी दाल का सेवन किया है, बल्कि उन्होंने किसी भी दूध का सेवन भी नहीं किया है, जिससे एक गंभीर पोषण घाटा हुआ है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 38 प्रतिशत गांवों ने कम से कम एक भूख से हुई मौत की सूचना दी है। यह बुंदेलखंड में सूखे का लगातार तीसरा वर्ष है और स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों में अकाल के समान है।

महोदया, यदि आप उत्तर प्रदेश में तीन बड़ी फसलों अर्थात् गन्ना, चावल और गेहूं को देखें, तो तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो अब 280 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसे 2012 में 240 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाया गया था। गन्ने की उत्पादन लागत ही 253 रुपये प्रति क्विंटल है जिसमें न तो श्रम और न ही परिवहन शामिल है, जिसका अर्थ है कि प्रति फसल, किसान को वास्तव में पैसे का नुकसान हो रहा है। बेशक, सूखे का मुद्दा एक अलग बहस का विषय है।

यदि आप इस वर्ष बोए गए गेहूं के रकबे को देखें तो इस वर्ष इसमें 10 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। यदि आप धान किसानों के औसत रिटर्न को देखें तो हमें 1,306 रुपये मासिक आय नजर आती है। यह कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग के अनुसार है। यदि आप इस बात पर विचार करें कि एक मजदूर को भी लगभग इतनी ही कीमत मिलती है, तो आप किसानों की वर्तमान हताशा को समझ सकते हैं।

महोदया, इसमें बैंकों की क्या भूमिका है? अकेले बुंदेलखंड के किसानों को विभिन्न बैंकों ने 1,578 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। फिर भी स्थिति इतनी विकट क्यों है? फसल मौसम के पहले छह महीनों के लिए ब्याज दर चार प्रतिशत प्रति वर्ष है, लेकिन यदि आप एक वर्ष में मूलधन का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यह 22 प्रतिशत प्रति वर्ष है, जबकि शहरी आवास ऋण के लिए यह 12 से 13 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

सच्चाई यह है कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनकी या तो प्रतिवेदन नहीं की जाती या फिर कम प्रतिवेदन की जाती है। मैं ललितपुर में कडोरे कुशवाह की मृत्यु के बारे में पढ़ रहा था, और स्थानीय गैर सरकारी

संगठन साईं ज्योति संस्थान ने उल्लेख किया है कि पिछले वर्ष अकेले ललितपुर में 40 से अधिक आत्महत्याएं हुईं, जिनकी पूरी तरह से प्रतिवेदन नहीं की गई। एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि सिर्फ जालौन जिले में ही इस साल मार्च महीने में 24 मौतें हो चुकी हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** आपको पूरी बात नहीं बतानी चाहिए। आप कह सकते हैं कि कृषि संकट पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बस इतना ही।

**श्री फिरोज वरुण गांधी:** महोदया, यदि आप मुझे एक मिनट का समय दे सकें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।  
[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** जीरो ऑवर में संक्षिप्त में बोला जाता है।

[अनुवाद]

**श्री फिरोज वरुण गांधी:** महोदया, सिर्फ बांदा जिले में ही पिछले एक साल में 56,000 लोग पलायन कर चुके हैं और यह सिर्फ इस तथ्य के कारण नहीं है कि ये फसलें खराब हो रही हैं। यह भी एक समस्या है कि वित्त तक पहुंच नहीं है। आप बैंक से ऋण लेते हैं, यह इतना कठोर होता है कि आप इसे वापस नहीं चुका सकते और फिर आपके स्थानीय क्षेत्र में आपको बदनाम कर दिया जाता है। उनकी कुर्की लग जाती है। इन ऋणों से पैसा किसे मिलता है? आंकड़ों के अनुसार, केवल 25 प्रतिशत धनराशि 3 एकड़ या उससे कम भूमि वाले सीमांत किसानों को मिलती है तथा 60 प्रतिशत धनराशि 15 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को मिलती है, जिसका अर्थ है... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** अब, कृपया समाप्त करें।

**श्री फिरोज वरुण गांधी:** महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए। मैं बस इसे खत्म करता हूँ। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ और मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा।

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ।

**श्री फिरोज वरुण गांधी:** मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हालांकि स्वामीनाथन समिति की प्रतिवेदन को 50 प्रतिशत से अधिक एमएसपी के लिए कई सरकारों ने खारिज कर दिया था, लेकिन अगर हम सिर्फ दो चीजों पर गौर करें। एक है कमी मूल्य भुगतान, अर्थात्, जब कीमतें एक सीमा से नीचे गिर जाती हैं तो किसानों को वह स्तर मिल जाता है या, दूसरा, यदि हम कृषि और खाद्य मंत्रालयों में मूल्य खुफिया जानकारी को देखें, तो हम देख सकते हैं कि कीमतें कहां जा रही हैं और किसान कहां अत्यंत निराश्रित होने जा रहे हैं और वे एक योजनाबद्ध तरीके से देखते हैं ताकि अंतर को पूरा किया जा सके। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री अजय मिश्रा टेनी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री फिरोज वरुण गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल के अन्तर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां सैंकड़ों वर्ष पुरानी टाटा जैसे प्रतिष्ठित उद्योग स्थापित हैं। इसके अलावा हजारों बड़े एवं मध्यम आकार के उद्योग स्थापित हैं। वहां विभिन्न प्रदेशों के लोग आकर रोजगार प्राप्त करते हैं। यहां उद्योगों की स्थापना हेतु असीम संभवानाएं हैं। कोल्हान प्रमण्डल के अंतर्गत आयरन ओर, कार्बनाईट, यूरेनियम, कॉपर, सोना एवं उच्च गुणवत्ता युक्त मैंगनीज, पन्ना और नीलम जैसे कीमती धातु की माईन्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उपरोक्त संसाधन एवं अनुकूल वातावरण को देखकर देश-विदेश के निवेशक यहां निवेश हेतु इच्छुक हैं। इसके साथ यहां बसे उद्यमियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर निर्यात होता है, जिससे व्यापारियों को दूसरे प्रदेशों में अपने व्यवसाय कार्य हेतु आना-जाना लगातार होता रहता है। एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर जो जमशेदपुर से सटा हुआ है। जमशेदपुर में उद्यमियों तथा नागरिकों द्वारा एक लम्बे समय से एक हवाईअड्डा बनाने की मांग की जाती रही

है, फिर भी अब तक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह क्षेत्र वायु मार्ग से कटे होने से, खास कर उद्यमियों तथा निवेशकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर को निकटतम एयरपोर्ट रांची से जोड़ने वाले सड़क मार्ग की भी स्थिति काफी बदतर है, जिसके कारण एयरपोर्ट पहुंचने में काफी समय लगता है।

महोदया, जमशेदपुर को एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु सभी अनुकूल वातावरण होते हुए भी एकमात्र एयरपोर्ट के अभाव में निवेशक विनिवेश करने हेतु उत्साह नहीं दिखाते हैं। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और टाटा के आपसी सहयोग के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है।

महोदया, इसके अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चाकुलिया और धालभूम गढ़ में सैंकड़ों वर्ष पुराना हवाई अड्डा उपलब्ध है, जो ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध में विश्व की दूसरी बड़ी डिफेंस हवाईअड्डा के रूप में बनाया गया था। यह 13 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह झारखण्ड, बंगाल और ओडिशा के सिमांचल एरिया में स्थित है। यहां हवाईअड्डा बनने से तीनों राज्य को लाभ मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस क्षेत्र के विकास की असीम संभवानाओं को देखते हुए यहां एक आधुनिक अंतर्राज्यीय हवाईअड्डा स्थापित करने की मांग करता हूं।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ओडिशा में उर्वरकों के लिए रेक प्वाइंटों की कमी का मुद्दा उठाने का अवसर दिया।

मेरे राज्य ओडिशा में लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनमें से अधिकांश लोग उर्वरकों के उपयोग पर निर्भर हैं। पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने

के लिए, आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे प्लेटफार्म, कवर्ड शेड, बिजली, पेयजल, गाड़ियों के लिए पहुंच मार्ग आदि सहित उर्वरक रेक प्वाइंट का होना आवश्यक है। वर्तमान में इस उद्देश्य के लिए जो रेक प्वाइंट उपलब्ध हैं, वे भी स्तर के नहीं हैं। इसलिए, मैं रसायन और उर्वरक मंत्री जी तथा रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे उर्वरकों के लिए अधिक संख्या में रेक प्वाइंट उपलब्ध कराएं तथा ओडिशा में मौजूदा रेक प्वाइंटों का आधुनिकीकरण करें, ताकि मेरे राज्य में किसानों के लिए उर्वरकों का भंडारण तथा समय पर वितरण सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद, महोदया।

**श्री एम. उदयकुमार (डिंडिगुल):**माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने डिंडिगुल निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.जी.डी.पी.) के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दे को उठाने का यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.जी.डी.पी.) को पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए डिण्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। अग्नि निवारण कार्य, मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, शिकार विरोधी उपाय और सौर बाड़ लगाना इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं। डिंडिगुल, मदुरै और थेनी जिलों में यह योजना पूर्व में तमिलनाडु वाटरशेड विकास एजेंसी निधि के माध्यम से क्रियान्वित की गई थी।

जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के साथ-साथ वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण करने के लिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में तमिलनाडु वन विभाग ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना "तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और हरियाली परियोजना" को लागू किया है। भारत सरकार और जापान सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यह परियोजना सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रबंधन इकाई के निर्माण के माध्यम से 686 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2011-12 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जानी है।

पद्गई नदी की भूमि पर सागौन के वृक्षारोपण का उद्देश्य राज्य में लकड़ी के संसाधनों का सृजन करना है, इसके लिए नहरों के किनारों और पद्गई नदी की भूमि पर सागौन के वृक्ष लगाए जाएंगे, ताकि आरक्षित वनों के बाहर वृक्षावरण को बढ़ाया जा सके और नहरों तथा नदी के किनारों पर मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। डिण्डीगुल, मद्रुरै, शिवगंगा और अन्य जिलों के नहरों और नदी तटों तथा पद्गई पर सागौन के बागान लगाने का प्रस्ताव 2008-09 से 2013-14 तक छह वर्षों की अवधि में 35.31 करोड़ रुपये की कुल लागत से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 20,700 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस योजना को एक और छह साल तक बढ़ाएं।

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम केवल नीलगिरी जिले के वन क्षेत्रों में संरक्षण के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, वनों की बाड़बंदी, अग्नि निवारण उपाय, अवैध शिकार विरोधी उपाय तथा वन्यजीव आवासों में सुधार किया जा रहा है। मैं पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस योजना को डिण्डीगुल जिले में भी लागू किया जाए।

तेरहवें वित्त आयोग ने तमिलनाडु के लिए 142.48 करोड़ रुपये की धनराशि की सिफारिश की है, जो जंगलों के विकास और वन धन के संरक्षण के लिए 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए वनों के लिए अनुदान-सहायता की ओर है। मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रभावी तरीके से पश्चिमी घाट के विकास को लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए। धन्यवाद।

**श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवनमलाई):** माननीय अध्यक्ष, जबकि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का एक प्रतिशत आबंटित किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराची थालावी अम्मा के गतिशील नेतृत्व के तहत तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत हिस्सा लिया था। यह देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक आबंटन है। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई समावेशी उच्च शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा को ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद मिली है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, हमारी प्रिय नेता डॉ. पुराच्चि थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने 52 कॉलेज शुरू किए थे। उच्च शिक्षा पर ईमानदारी से ध्यान देने के कारण, तमिलनाडु का मानव विकास सूचकांक अब 0.736 है

जबकि राष्ट्रीय औसत 0.619 है। तमिलनाडु में उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात मुख्यमंत्री जी के ईमानदार प्रयासों के कारण 38.2 प्रतिशत है। देश में किसी अन्य राज्य ने ऐसा अनुपात हासिल नहीं किया है।

इसलिए, मैं जानना चाहूँगी कि क्या सरकार उच्च शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) :** अध्यक्ष महोदया, आज विश्व के जो भी लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले हैं, वे बहुत आहत हैं। मैं भी बहुत ही भरे मन से यह बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सारा सदन और आप भी जब यह बात सुनेंगे तो इस बात पर आपको भी दुख होगा। क्योंकि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, वह मानवता को जिंदगी जीने का तरीका बताता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई एक भाषा का, एक सूबे का, एक राज्य का नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हमारे गुरुओं ने जहां लिखा, उसको खास तौर पर 15 भक्तों ने, जिसमें भक्त रविदास जी, भक्त कबीर जी, भक्त परमानंद जी, भक्त नामदेव जी और अनेकों हमारे ऐसे लोग हैं। जिस ग्रंथ ने यह बताया हो कि :

" अक्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे,

एक नूरु ते सब जग उपज्या, कौन भले, कौन मंदे। "

मैडम, लेकिन आज पंजाब में जो हालात बने हैं, आपने भी आखिर में मौका दिया है। परंतु पंजाब में 12 अक्टूबर को सबसे पहले फरीदकोट में, गांव बरगाड़ी में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ने, जिनको हम अंग बोलते हैं, उनकी ऐसी हालत कि कहने से भी मन घबराता है, जो हालात पंजाब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ किए गए, और उसके बाद ब्रज जवाहर सिंह वाला, आज मैडम, छह महीने हो गए हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वहां से चोरी हो गए, जहां सिखों की पार्टी बताने वाली अकाली दल बीजेपी, वहां पर राज कर रही है, आज छह महीने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले नहीं हैं। ... (व्यवधान) मैडम, यह बात सुननी पड़ेगी।

**माननीय अध्यक्ष :** आप एक अच्छी बात उठा रहे हैं, किसी पर एलिगेशन मत कीजिए।

... (व्यवधान)

**श्री रवनीत सिंह :** मैडम, ये क्या बात है? ये टॉलरेंस की बात करेंगे? ... (व्यवधान)

**श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) :** मैडम, ये राजनीति कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बैठिए गुबाया सिंह जी, सभी आहत हैं। वही बोल रही हूँ। इस पर राजनीति मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष :** इसमें से कोई राजनीति न करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रवनीत सिंह:** मैडम, मौका मिलेगा इनको, ये बोलें। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष :** यह कार्यवाही वृत्तांत पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... \*

[हिन्दी]

**श्री रवनीत सिंह:** मैडम, उसके बाद, जब नौजवान लड़के इस बात पर गांवों में बैठे तो उनको बरगाड़ी में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला कर मार डाला, जो लड़के वहां लंगर दे कर गए थे। ... (व्यवधान) मैडम, हमने काले दिन पंजाब में देखे हैं। ... (व्यवधान) यह इलैक्शन से पहले की साजिश है कि वे काले दिन पंजाब में आ जाएं।

... (व्यवधान)

---

\* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज आप बैठिए, यह झगड़ा लगाने की बात नहीं है।

... (व्यवधान)

**श्री रवनीत सिंह :** मैडम, उसके बाद लुधियाना में धवद्वी गांव में, अमृतसर में, भटिंडा में, महाराज गांव में, फिरोजपुर में, संगरूर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों की बेअदबी की गई और कोई चीफ मिनिस्टर या कोई अकाली मंत्री जी वहां नहीं गया। वहां गया कौन? हमारे नेता वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी वहां पर मलहम लगाने गए। ... (व्यवधान) उसके बाद राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी को मिले और यह मांग की, क्योंकि मरने वालों के परिवार की मांग थी, पंजाब की मांग थी कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है। ... (व्यवधान) उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इंकवायरी की मांग की। ... (व्यवधान) आज आपके सामने मेरी मांग है, पंजाब के लोगों की मांग है, जो अत्याचार पंजाब में हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज से वहां पर इंकवायरी करवाई जाए कि किसलिए हमारे ये नौजवान लोग मारे गए हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** आरोप मत लगाइए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रवनीत सिंह:** मैडम, किसलिए हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से बेअदबी की गई है? ... (व्यवधान) सिखों के प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी यहां बोले। ... (व्यवधान) होम मिनिस्टर साहब ने सन् 1984 की बात की है। ... (व्यवधान) लेकिन अगर यह बात करते कि पंजाब में आज क्या हो रहा है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भगवंत मान को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** सभा की कार्यवाही बाद दोपहर 2.40 बजे आरंभ होने के लिए स्थगित की जाती है।

**अपराह्न 01.39 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर चालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

---

**अपराह्न 02.43 बजे**

*लोक सभा दो बजकर तैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।*

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

**माननीय उपाध्यक्ष :** अब सदन नियम 377 के तहत मामलों को उठाएगा।

## नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में समयपूर्व प्रसव के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने हेतु उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) :** महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ जिसका सम्बन्ध गरीब एवं निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से है। पिछले दिनों मुम्बई में हुए निओनेटोलोजिस्टों के सम्मेलन में जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वे देश के लिए चिन्तित करने वाले हैं। उस सम्मेलन में निकला निष्कर्ष यह कहता है कि दुनिया में जन्म लेने वाला हर तीसरा बच्चा प्रीमेच्योर यानी उचित 9 महीने की अवधि से पहले जन्म लेता है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के बारे में परिवार को चिन्ता बनी रहती है। जो आँकड़े एन.एन.एफ. और फाउण्डेशन ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज द्वारा दिए गए हैं, उनके मुताबिक वर्ष 2010 में दुनिया में होने वाली प्रीमेच्योर डिलीवरीज में से 25 प्रतिशत भारत में हुई थीं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे बच्चों में दो-तीन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रथम, गर्भावस्था के दौरान उचित न्यूट्रीशनल खुराक दी जानी चाहिए। दूसरा, बच्चों के जन्म के समय उन्हें संक्रमित रोगों से बचाने हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और तीसरा, सरकारी अस्पतालों में ऐसे समय में उचित साधनों की एवं योग्य चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए योग्य कार्यक्रम तय किया जाए और देश में कार्यरत स्वास्थ्य संगठनों को साथ लेकर आगे के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में देश में गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री सुशील कुमार सिंह – उपस्थित नहीं।

डॉ. भोला सिंह

**(दो) बिहार में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत होने वाली अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता**

**डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में इंदिरा आवास की योजनाएँ भ्रष्टाचार एवं घोटाले की भेंट चढ़ गई हैं। इंदिरा आवास आबंटन के सिलसिले में जितनी प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं एवं पारदर्शिता दिखाने की कोशिशें हुई हैं, वे सभी दिखावटी हैं। घोटाले की दुर्गंध बड़े पैमाने पर उपस्थित है। प्रथमतः, जो बी.पी.एल. सूची तैयार की गई, उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति का प्रवेश तक नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी सीमाओं और रेखाओं का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, चाहे बैंक में इंदिरा आवास की निधि के द्वारा आबंटन हो अथवा डाकघर के माध्यम से सभी बिचौलियों के पेट में पड़े। नतीजा यह है कि जिन्हें इंदिरा आवास दिये जाते हैं, वे बन नहीं पाते। बनते भी हैं तो आधे-अधूरे, उनमें भी अत्यंत घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नहीं बनने के कारण लाभकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। वे तथाकथित इंदिरा आवास छोड़कर पलायन कर जाते हैं जिससे गाँवों में ये सारे आवास खंडहर दिखाई पड़ते हैं। जिन्हें इंदिरा आवास उपलब्ध नहीं हैं, वे अपनी टूटी-फूटी झोपड़ियों में अभी भी रह रहे हैं। इंदिरा आवास की योजना इस सदी की सबसे बड़ी घोटाले की योजना के रूप में लहलुहान होकर पड़ी है। गरीबी हटाओ, उनका उद्धार करो, यह एक छलावा ही साबित हुआ है। ऐसे महा घोटाले की जाँच भारत सरकार सीबीआई से कराने के लिए कदम उठाए। इंदिरा आवास योजना महाघोटाले ने शिकार बनाकर करोड़ों विपन्न परिवारों को मूर्छित लहलुहान करके रख दिया है।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री वीरेंद्र कश्यप। उपस्थित नहीं।

श्री सतीश चंद्र दुबे

**(तीन) बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन स्थापित करने की  
आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर अनुसूचित जाति, जनजाति व थारू बाहुल्य क्षेत्र है। आज के समय में यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। पहले वाल्मीकि नगर के वन से लकड़ी वगैरह निकालकर लोग अपना जीवन-यापन करते थे, लेकिन टाइगर रिज़र्व हो जाने के कारण वन से कोई भी सम्पदा निकाल पाना बंद हो गया है। तभी से यहाँ स्थानीय लोग बेरोज़गार हो गए हैं। पहले नदी से पत्थर, मिट्टी और बालू भी निकाला जाता था। आज़ादी के 68 साल बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र में उद्योग-धंधे स्थापित नहीं हो पाए हैं। अगर विदेश मंत्रालय यहाँ भंसार (एल.सी.एस.) खोलता है तो भारत सरकार को आर्थिक रूप से फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ वाल्मीकि नगर के हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार की प्राप्ति होगी तथा पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के संबंध और मज़बूत होंगे।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** डॉ. अंशुल वर्मा। उपस्थित नहीं।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल।

(चार) महाराष्ट्र में कल्याण-टिटवाला-मुरबाड को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण किए जाने की  
आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी (महाराष्ट्र) में मुरबाड तहसील है जो मध्य रेलवे के टिटवाला स्थान से केवल 15 किलोमीटर और कल्याण से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुरबाड तहसील के अंतर्गत एम.आई.डी.सी. क्षेत्र आता है जिसके कारण यहाँ रोजगार हेतु भारी संख्या में लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इस क्षेत्र में आयात-निर्यात का एकमात्र साधन प्राइवेट सड़क ट्रांसपोर्ट है जिसके कारण यहाँ के लघु उद्योगों को राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने में मुश्किल हो रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कल्याण-टिटवाला-मुरबाड तक रेलवे की नई लाईन बिछाने हेतु आवश्यकत कदम उठाने की कृपा की जाए। इस रेलवे लाईन के निर्माण से यहाँ के लघु उद्योग भी राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना सकेंगे।

(पाँच) देश के सैन्य बलों में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे युवाओं के लिए रोजगार हेतु विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाने की आवश्यकता

**श्री जुगल किशोर (जम्मू) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर में भारत पाक सीमा से लगे इलाके में रहने वाले देशभक्त लोगों की तरफ दिलाना चाहूंगा, जो कि बिना हथियार के भारत पाक सीमा पर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार गोलीबारी को सहन करते हैं। रोजाना पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार गोलीबारी में इन लोगों की जान चली जाती है, घर-बार तबाह हो जाते हैं, पशु-मवेशी भी मारे जाते हैं, जिससे ये लोग फसल नहीं उगा पाते हैं और इनके बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान होता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर में भारत पाक सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले देशभक्त नौजवानों के लिए सेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा अन्य अर्धसैनिक बलों में भर्ती का विशेष अभियान चलाया जाये, जिससे ये देश की सेवा करते हुए सीमा क्षेत्रों पर डटे रहकर सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार का पालन-पोषण भी कर सकें। इससे न सिर्फ इनको रोजगार प्राप्त होगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।

**(छः) मध्य प्रदेश के भिंड में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का भिण्ड जिला विशेष रूप से भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत के केन्द्र स्थल में अवस्थित है। इस क्षेत्र में डाकुओं का वर्चस्व होने के कारण केन्द्र सरकार के औद्योगिक संस्थान अथवा कारखाने स्थापित नहीं हो पाए हैं। सड़क एवं रेल मार्ग का अभाव भी बड़े औद्योगिक संस्थान स्थापित होने में बाधा कर रहे हैं, परन्तु अब यह क्षेत्र डाकुओं के वर्चस्व से मुक्त हो चुका है और गुना इटावा रेल लाइन चालू होने से यह क्षेत्र देश के सभी प्रमुख रेलमार्गों से जुड़ चुका है।

इस क्षेत्र में लगभग दो लाख हैक्टेयर शासकीय भूमि उपलब्ध है। यद्यपि यहां की भूमि के बीहड़ होने के कारण बड़े औद्योगिक संस्थान या कारखानों की स्थापना के उद्देश्य से इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, जो आसानी से किए जा सकते हैं। इतना बड़ा भू-भाग उपलब्ध होने तथा विकास से वंचित होने के कारण यहां रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़े कारखाने एवं संस्थान, परीक्षण संस्थान आदि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसका सम्पर्क भारत के किसी भी नगर में आसानी से हो सकेगा। भिण्ड इटावा रेल लाइन शुरू होने तथा इस बीच उदी से बटेश्वर होते हुए आगरा से नई रेल लाइन जुड़ रही है, जो सुरक्षा, उत्पादन एवं सेना के आवागमन के लिए बहुत ही सुरक्षित तथा आसान मार्ग है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भिण्ड से मध्य प्रदेश के सवारधिक सैनिक जाते हैं तथा भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो रेल और सड़क मार्ग से अब सुविधाजनक हो गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से निवेदन है कि भिण्ड (मध्य प्रदेश) में रक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जायें।

(सात) मध्य प्रदेश में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एवं कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता  
[हिन्दी]

**श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर, मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। मंदसौर जिला मुख्यालय पर न सिर्फ क्षेत्रीय, बल्कि समीपस्थ राज्य राजस्थान तक से मरीज़ आते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। मंदसौर में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के चलते आकस्मिक घटनाओं के समय मरीज़ों को उदयपुर, अहमदाबाद या इंदौर लेकर जाना पड़ता है। पिछली सरकारों का ध्यान छोटे शहरों, कस्बों एवं गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की ओर कम ही रहा है। इंदौर से उदयपुर के बीच के जिलों में, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के मंदसौर, नीमच जिलों सहित जावरा एवं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ आदि जिले आते हैं, इनमें न तो कोई सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल की सुविधा है और न मेडिकल कॉलेज की, जिसका परिणाम दुर्घटनाओं के समय लोगों को जान गंवाकर और गंभीर बीमारियों में बाहर खर्चीला इलाज कराने को मज़बूर होकर भुगतना पड़ता है। आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता नाकाफी है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनता के अमूल्य जीवन की रक्षा एवं उन्हें इलाज के महंगे खर्चों से बचाने के लिए मंदसौर में सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना चाहिए।

(आठ) देश में, विशेषरूप से बुन्देलखंड क्षेत्र में तालाबों और झीलों से अतिक्रमण हटाए जाने की

### आवश्यकता

**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान देश में ऐतिहासिक राजाओं द्वारा बनाए गए तालाबों और झीलों पर अवैध कब्जों पर दिलाना चाहता हूँ। यद्यपि इतिहास लेखन में राजाओं द्वारा जल संचयन हेतु विकसित की गई तकनीक को उचित स्थान नहीं दिया गया, पर तथ्य के रूप में जल की कमी वाले क्षेत्रों में इन तालाबों ने जनता की प्राण रक्षा की। पर, आज उन्हीं तालाबों एवं जल संचयन स्रोतों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जहां पानी की समस्या एक यथार्थ सामाजिक दुःख है। बुन्देलखण्ड में मुख्य आजीविका का साधन कृषि है और आश्चर्यजनक रूप में यहां पानी की बहुत कमी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मानव जीवन को सुखी बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक तकनीकी विकास हुआ, परन्तु मेरे क्षेत्र का जनमानस जल उपलब्धता और आधुनिक तकनीकी में सह-संबंध को अभी तक खोज नहीं पा रहा है, जो इस क्षेत्र के चन्देल राजाओं ने एक हजार वर्ष पूर्व खोज लिया था। भारत सरकार द्वारा हमीरपुर और महोबा जिले में घोषित डार्क जोन में इन तालाबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय जनता आंदोलन को एक विकल्प के रूप में देख रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड सहित पूरे देश में जीवन रेखा वाले तालाबों एवं झीलों से तुरन्त अवैध कब्जे हटाए जाएं एवं संबंधित व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री हरिशंकर उर्फ हरीश द्विवेदी – उपस्थित नहीं।

**(नौ) पालघर, महाराष्ट्र में नया बीएसएनएल दूरसंचार जिला स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री चिंतामन नवशा वनगा (पालघार):** महाराष्ट्र के ठाणे जिले के विभाजन के परिणामस्वरूप 1 अगस्त, 2014 को पालघार का एक नया जिला स्थापित किया गया था, लेकिन जिला बी.एस.एन.एल. टेलीफोन कार्यालय कल्याण में बना हुआ है।

नये पालघर जिले की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। वासई-विरार नगर निगम, पालघाट, दहंद, जवाह जैसी जगहें पालघर जिले के अधीन हैं। बोईसर शहर एक बड़ी औद्योगिक संपत्ति है और तारापुर परमाणु विद्युत स्टेशन नए जिले में आ रहा है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण, उपनगरीय ट्रेनें चर्चगेट-मुंबई से दहानू रोड स्टेशन तक चल रही हैं। वर्तमान में पालघर जिले में लगभग 1,50,000 बी.एस.एन.एल. लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन और दो लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं। इसलिए पालघर के लिए एक नए टेलीफोन जिले की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सरकार से पालघर राजस्व जिले के लिए एक नया बी.एस.एन.एल. टेलीफोन जिला स्थापित करने का अनुरोध करता हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** डॉ. मनोज राजोरिया – उपस्थित नहीं।

### अपराह्न 03.00 बजे

(दस) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में [हिन्दी]

**श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) :** महोदय, हमारी सरकार द्वारा छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ने की एक योजना संचालित की जाने वाली है, जिसके अंतर्गत सहारनपुर जनपद में भी हवाई अड्डे का निर्माण कर इसको हवाई सेवा से जोड़ा जाना बेहद उपयोगी रहेगा।

सहारनपुर जनपद प्राचीन काल से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र रहा है। यहां विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला उद्योग एवं होजरी उद्योग संचालित हैं जिसके उत्पादों का सम्पूर्ण विश्व में निर्यात होता है। इससे संबंधित देशी-विदेशी व्यापारी प्रतिदिन सहारनपुर आते हैं। आई.टी.सी., स्टार पेपर मिल्स जैसे बड़े उद्योग भी यहां स्थापित हैं एवं विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठ माता शाकुम्भरी देवी का मन्दिर व दारूल उलूम देवबन्द भी यहां पर स्थित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'स्मार्ट सिटी योजना' में भी सहारनपुर का चयन हो चुका है। सहारनपुर नगर मण्डल मुख्यालय भी है।

अतः इतने महत्वपूर्ण जनपद में पूर्ण रूप से चालित हवाई अड्डे का निर्माण होना बेहद उपयोगी कार्य रहेगा जो नई दिल्ली स्थित हवाई अड्डे का बोझ कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हरिद्वार, यमुनानगर आदि जनपद सहारनपुर के बेहद नजदीकी एवं महत्वपूर्ण जनपद हैं। इन सभी जनपदों के यात्री प्रतिदिन यहां से हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में एक पूर्ण रूप से चालित हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**(ग्यारह) मध्य प्रदेश के गुना और मक्सी होते हुए इलाहाबाद और अजमेर के बीच एक नई रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) :** महोदय, भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और यहां कई ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इसी क्रम में ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी के रूप में इलाहाबाद और अजमेर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन दोनों नगरों को जोड़ने के लिए तो बहुत सी रेलगाड़ियों का परिचालन होता है, मगर गुना-मक्सी ट्रैक होते हुए कोई भी रेलगाड़ी का परिचालन नहीं होता है। इस ट्रैक से अगर रेलगाड़ी का परिचालन होता है तो रेल मंत्रालय के साथ-साथ वहां की आम जनता के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इस रेलगाड़ी को इलाहाबाद से माणिकपुर, करवी, झांसी, बीना, गुना ब्यावरा, मक्सी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच एवं चित्तौड़ होते हुए अजमेर तक चलाया जा सकता है। इस ट्रैक पर रेलगाड़ी चलाने का एक मकसद और भी है, क्योंकि इस रेलगाड़ी से धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को गंगा स्नान, चित्रकूट, ओरछा, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ, माउंट आबू, पुष्कर और अजमेर शरीफ आने-जाने में काफी सुविधा होगी। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को इन स्थानों पर जाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र की जनता के पास रेलवे द्वारा इन स्थानों पर आने-जाने का साधन नहीं है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 2 करोड़ है और रेलवे को इस रेलगाड़ी के परिचालन से ज्यादा से ज्यादा राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

दूसरी बात, इस ट्रैक पर रेलगाड़ी के परिचालन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और वहां के लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ-साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस ट्रैक पर रेलगाड़ी के परिचालन के लिए अलग से ट्रैक बिछाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गुना-मक्सी ट्रैक पहले से कार्य कर रहा है और ज्यादा समय खाली पड़ा रहता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुना-मक्सी ट्रैक पर इलाहाबाद से अजमेर तक रेलगाड़ी का परिचालन जल्द से जल्द प्रारम्भ किया जाए ताकि आम जनता के साथ-साथ पर्यटकों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके एवं ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पर्यटक स्थलों तक पहुंच सुगम हो सके।

**(बारह) तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में बाढ़ की स्थिति का समाधान करने हेतु नेवेली लिग्नाइट  
कॉरपोरेशन द्वारा सीएसआर फंड जारी किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**श्री ए. अरुणमणिदेवन (कुड्डालोर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु का कुड्डालोर जिला वर्तमान उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के हजारों निवासी प्रभावित हुए तथा 25000 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई। नेवेली लिग्नाइट निगम (एन.एल.सी.) की खदानों से लगभग 300-1200 क्यूबिक मीटर पानी बाहर निकाला गया और परवनार नदी में प्रवाहित कर दिया गया, जिससे भारी बाढ़ आ गई और आसपास के गांवों को नुकसान पहुंचा।

एन.एल.सी. की यह जिम्मेदारी है कि वह एन.एल.सी. खदानों के आसपास के गांवों में अतिरिक्त पानी की पम्पिंग के कारण होने वाले नुकसान को कम करे और एन.एल.सी. के लिए अपने सी.एस.आर. फंड से इस पर खर्च करना उचित होगा। यह स्थिति हर बार तब उत्पन्न होती है जब एन.एल.सी. की खदानें बारिश और बाढ़ के पानी से भर जाती हैं।

इसलिए, मैं नेवेली लिग्नाइट निगम से आग्रह करता हूं कि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सी.एस.आर. फंड से तत्काल धनराशि जारी करें और एन.एल.सी. को भी एहतियाती गतिविधियां शुरू करनी चाहिए जैसे बांध के स्तर को मजबूत करना और ऊपर उठाना तथा ऊपरी परवनार से गाद निकालना।

## (तेरह) अटल मिशन शहरों में जलापूर्ति परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

**श्री वी. एलुमलाई (अरानी):** महोदय, तमिलनाडु के शहर और कस्बे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पहले ही शहरी विकास मंत्रालय को अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत 3249 करोड़ रुपये के परियोजना परियोजना के साथ 2015-16 के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है। समुचित मूल्यांकन के बाद यह पाया गया कि तमिलनाडु में केवल 48 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास जलापूर्ति कनेक्शन हैं, जबकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 81 लीटर जलापूर्ति हो रही है, जबकि मानक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर का है। केवल 27 प्रतिशत शहरी घर सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हैं, जो कुल उत्पादित सीवरेज का केवल 26 प्रतिशत ही प्राप्त करता है। तमिलनाडु के 27 अटल मिशन शहरों में जलापूर्ति पल्लवरम में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 लीटर से लेकर सलेम में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक थी।

तदनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल तमिलनाडु के 12 शहरों में से सात को जलापूर्ति संबंधी योजनाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि इनमें से किसी भी शहर में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानक के अनुसार नहीं है। ये शहर हैं - चेन्नई (वर्तमान में 58 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल आपूर्ति), कोयम्बटूर (58 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन), वेल्लोर (60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन), इरोड (64 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन), मदुरै (76 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन), तंजावुर (88 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) तथा तिरुप्पुर (110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)। शेष स्मार्ट शहरों को आगामी वर्षों में कवर किया जा सकता है।

तमिलनाडु में अटल मिशन शहरों की जनसंख्या 1.37 करोड़ है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या 7.20 करोड़ है। यह समय की मांग है कि अगले चार से पांच वर्षों में सभी शहरी परिवारों को जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क सेवाओं के साथ 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाए, साथ ही 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से जलापूर्ति सक्षम की जाए।

इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि, जैसा कि राज्य सरकार की मांग है, 27 अटल मिशन शहरों में से 11 में 3147 करोड़ रुपये के निवेश से जलापूर्ति परियोजनाएं क्रियान्वित की जानी चाहिए, इसके अलावा वैलांकन्नी में सीवरेज नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए 34 करोड़ रुपये और सभी 27 मिशन शहरों में पार्को और हरित स्थानों के विकास के लिए 69 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना चाहिए।

**(चौदह) ओडिशा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि० को टेनटुलोई कोल ब्लॉक के बदले छेनडीपाड़ा एवं  
छेनडीपाड़ा-दो कोल ब्लॉक आबंटित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** महोदय, ओडिशा सरकार ने कई बार कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से टेंटुलोई कोल ब्लॉक के बदले मेसर्स ओडिशा थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को छेंडीपाड़ा और छेंडीपाड़ा II कोल ब्लॉक आबंटित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि छेंडीपाड़ा और छेंडीपाड़ा-II कोल ब्लॉक से कोयला निकालने की लागत टेंटुलोई कोल ब्लॉक की तुलना में बहुत सस्ती है। हालांकि, मंत्रालय से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

ओडिशा राज्य देश में विद्युत ग्रेड कोयले के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। राज्य में घरेलू कवरेज और उच्च खपत के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए, ओडिशा सरकार राज्य के लोगों के लाभ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना स्थापित कर रही है। इसलिए, ओडिशा ताप विद्युत निगम लिमिटेड को इन कोयला ब्लॉकों का आबंटन ओडिशा के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ओडिशा के लाखों उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, तेंतुलोई कोल ब्लॉक के बदले में छेंडीपाड़ा और छेंडीपाड़ा II कोल ब्लॉक ओडिशा ताप विद्युत निगम लिमिटेड को आबंटित किया जाए।

**(पंद्रह) महाराष्ट्र के मुंबई में लाल बहादुर शास्त्री कालेज में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महती सदन के माध्यम से सरकार और जहाजरानी मंत्रालय का ध्यान मर्चेट मैरीन एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट द्वारा संचालित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, मुंबई में 1994 से कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

चपरासी, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, ड्राइवर आदि विभिन्न श्रेणियों में 21 कर्मचारी अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए थे। इसके बाद ट्रस्ट को बंद कर दिया गया और कॉलेज को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया, जिसकी स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में की गई थी। दुर्भाग्यवश, उन 21 कर्मचारियों को सेवा में स्थायी नहीं किया गया तथा वे बीस वर्ष की निर्बाध सेवा पूरी करने के बाद भी अभी तक अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे भारी मन से कहना पड़ रहा है कि उन्हें स्थायी कर्मचारी के सभी विशेषाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वे लगातार इस आशंका में जी रहे हैं कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए।

इसलिए मैं जहाजरानी मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे 20 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके 21 कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश जारी करें ताकि उनके परिवार सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें।

(सोलह) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में डेयरी किसानों को शामिल किए जाने  
की आवश्यकता

**एडवोकेट जोएस जार्ज (इडुक्की):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पशु शेड निर्माण और चारा संयंत्र पहले से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में शामिल हैं। अन्य राज्यों की तुलना में केरल में भूमि की उपलब्धता बहुत कठिन है और परिणामस्वरूप, इस कार्यक्रम के तहत लाभ पाने वाले डेयरी किसानों की संख्या केरल में कम हो गई है। अधिकांश मौजूदा डेयरी किसानों के पास आजीविका के लिए 2 से 8 दुधारू गायें हैं और केरल में खपत होने वाले कुल दूध का 80 प्रतिशत इन किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं बीमारियां, पशु चारे और श्रमिकों की अनुपलब्धता हैं। वे डेयरी फार्मिंग के अपने पेशे को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि वे इससे अपनी आजीविका नहीं चला सकते।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि डेयरी किसानों को भी मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाए तथा इस क्षेत्र में अधिकाधिक किसानों को आकर्षित करने के प्रयास भी किए जाएं।

**(सत्रह) हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के गीरी-पार क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने की  
आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) :** उपाध्यक्ष महोदय, गत कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हाटी समुदाय के लोग अपने क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने के लिए मांग करते आ रहे हैं। सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे कम विकसित जिला है तथा गीरी-पार क्षेत्र से जाना जाता है। इसे जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाना बिल्कुल न्यायसंगत एवं तर्कसंगत है। उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र जो सिरमौर रियासत के समय का ही हिस्सा हुआ करता था, अब उत्तराखंड प्रदेश में है जिसे कई वर्षों पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इन दोनों क्षेत्रों के रहन-सहन, वेश-भूषा, सामाजिक आदान-प्रदान तथा अन्य रीति-रिवाज एक जैसे हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश के गीरी-पार क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करवाने के लिए यहां के लोग प्रयासरत व संघर्षरत हैं।

गत वर्षों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया था तथा वर्ष 2011 में वहां के स्थानीय लोक सभा सांसद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला और अपना पक्ष रखा जिस पर माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने प्रदेश सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी जिसे अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र को शीघ्रातिशीघ्र जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए।

**(अठारह) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

**डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जनहित में माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं पेयजल और स्वच्छता मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 वह 2014-15 में सम्मानित सांसदगणों के प्रस्तावों पर कौन-कौन से मार्ग निर्माण कार्य कराये गये हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र हरदोई (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने के लिए अपने पत्र दिनांक 13.11.2014, 30.11.2014, 31.10.2014 वह 08.08.2015 से इनह मार्गों के निर्माण हेतु अनुरोध कर चुका हूं लेकिन सरकार के दो वित्तीय वर्ष गुजर जाने के बाद भी लंबित प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया गया है। क्षेत्रीय को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। यह मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिससे किसानों को ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य वाहनों के आवागमन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में निम्नलिखित मार्गों का सीएसआर/सीएनसीपीएल के अनुसार निर्माण कार्य कराने की कृपा की जाये :-

1. श्रीमऊ से उमरौली जेतपुर
2. पाली नगर से लौकहा हथौड़ा
3. कटिघरा से दौलतपुर तिराहा
4. ग्राम सादुल्लापुर से सैंतियापुर
5. ग्राम पेंग से थमरवा, शाहपुर बिनौरा
6. दौलतपुर से थमरवा
7. ग्राम कनकापुर से ग्राम संगरावों
8. ग्राम बेलाकपूरपुर से टेनी नहर पटरी

(उन्नीस) बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने और फसल में रोग लग जाने से पीड़ित किसानों को समुचित क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

**श्री सुशील कुमार सिंह :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद और गया जिला के गांवों में खरीफ की फसल पर्याप्त वर्षा न होने और फसल में रोग लग जाने के कारण सूख गई है जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। गैर-नहरी क्षेत्र के अलावा नहरी क्षेत्र के किसानों की फसलों की भी समान स्थिति है। नहर में सिंचाई के पश्चात् भी जलाशयों में पानी सूख गया है और तकनीकी खराबी अर्थात् पानी का स्तर नीचे रहने, पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने और नहर-नालों की उड़ाही ढंग से नहीं होने के कारण किसानों को प्रायः फसलों की बर्बादी होती है जिसके कारण प्रतिवर्ष किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इस वर्ष में हमारे क्षेत्र के प्रायः सभी किसानों की फसल नष्ट हो गई है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में फसलों की क्षति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय दल का गठन कर प्रभावित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और संबंधित किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक मुआवजा राशि प्रदान कराने की कृपा की जाए।

**(बीस) जिला धौलपुर, राजस्थान की राजाखेड़ा तहसील में नया नागर विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**डॉ. मनोज राजोरिया :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जिला धौलपुर(राजस्थान) की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश के आगरा एवं मध्य प्रदेश के मुरैना व ग्वालियर जिले से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का आगरा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां स्थित ताजमहल दुनिया के सात अजूबे में शामिल है। परंतु दुर्भाग्य से आगरा में सिविल एयरपोर्ट नहीं है। राजाखेड़ा में एयरपोर्ट बनने से 20-25 मिनट में सड़क मार्ग द्वारा आगरा पहुंचा जा सकता है। यदि राजाखेड़ा में सिविल एयरपोर्ट बन जाता है तो न केवल ताजमहल देखने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली जिलों तथा मध्य प्रदेश के मुरैना व ग्वालियर जिलों तथा आगरा के निवासियों को एयरलाइन्स की सुविधा प्राप्त होगी तथा इन क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील में सिविल एयरपोर्ट बनवाए जाने की कार्यवाही करवाकर आम जन को लाभ दिलाएं।

**अपराह 03.19 बजे****भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015**

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष महोदय:** अब हम मद सं10, भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर चर्चा कर रहे हैं।

अब प्रो. के.वी. प्रो. के.वी. थॉमस बोलेंगे।

**प्रो. के.वी. थॉमस (एर्नाकुलम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करना चाहता हूँ जिसे माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जी श्री रामविलास पासवान ने पेश किया है। यह कानून भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) को राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करता है, ताकि बी.आई.एस. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों में हमारे देश का वैध रूप से प्रतिनिधित्व कर सके।

मुझे स्मरण है कि 2013 में उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे इसी सदन में लगभग यही विधेयक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और फिर इसे आगे की जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। अब नई सरकार आ गई है, नई संसद आ गई है। श्री पासवान ने इस विधेयक पर गहनता से विचार किया है और केवल कुछ अनुपूरक सुझावों के साथ, मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूँ।

प्रस्तावित विधेयक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 उनकी ही देन हैं। अब, आज यह कानून लाकर श्री रामविलास पासवान वास्तव में श्री राजीव गांधी को कल्पनाशील कानून - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के लिए बधाई दे रहे हैं।

प्रस्तावित कानून की मुख्य विशेषताएं, *अन्य बातों के साथ-साथ*, भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करना चाहता हैं, ताकि केंद्र सरकार को भारतीय

मानकों के अनुरूपता मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए आवश्यक मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेंसी को अधिकृत करने का अधिकार मिल सके; सरकार को मानकीकरण के दायरे में और अधिक उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं को लाने में सक्षम बनाया जा सके; अपराधों के शमन का प्रावधान किया जा सके, तथा कुछ अपराधों को संज्ञेय बनाया जा सके, ताकि मानक चिह्न के दुरुपयोग को रोका जा सके, आदि।

जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कानून है, जिसमें न केवल सरकारी निकायों को बल्कि अन्य संगठनों और यहां तक कि स्व-प्रमाणन को भी मानक तय करने की अनुमति दी जा रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विधेयक में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय विधेयक के निम्नलिखित पहलुओं पर नए सिरे से विचार करें।

धारा 3 की उप-धारा 1 अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ बी.आई.एस. को एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित करती है। हालांकि, शासी परिषद की स्थापना के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिसमें ब्यूरो और अन्य सदस्य शामिल होंगे। धारा 3 की उपधारा 3 में ब्यूरो और शासी परिषद के गठन को परिभाषित करने में कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है।

धारा 3 की उपधारा 3(ड) केंद्रीय सरकार को सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं, उपभोक्ताओं आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है, तथा सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या पर एक सीमा होनी चाहिए। सदस्यों की कुल संख्या तय करने के लिए सरकार को विवेक देना वांछनीय नहीं है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल के बराबर है।

अधिनियम में ही परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट नहीं है कि गवर्निंग काउंसिल एक स्थायी निकाय है या विघटित हो सकता है, और यदि ऐसा है तो उसकी परिस्थितियां क्या हैं।

इसी प्रकार, विधेयक का खंड 5 कार्यपालिका को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी संख्या में समितियां गठित करने की असीमित शक्तियां प्रदान करता है। यह पुनः अत्यधिक एवं अनिर्धारित प्रतिनिधित्व है। स्थापित की जाने वाली समितियों की संख्या पर एक सीमा होनी चाहिए। गठित की जा सकने वाली समितियों की कुल संख्या अधिनियम में ही निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

विधेयक के खंड 34 में प्रावधान है कि धारा 13,14,17 और 33 के अंतर्गत पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति महानिदेशक, बी.आई.एस. के समक्ष अपील कर सकता है। तथापि, यह देखा गया है कि ऐसे सभी उपरोक्त निर्णय, जिनके विरुद्ध अपील प्रस्तावित की गई है, केवल महानिदेशक, बी.आई.एस. द्वारा ही लिए जाने के लिए प्राधिकृत थे। दूसरे शब्दों में, महानिदेशक, बी.आई.एस. को मूल रूप से मुद्दों पर निर्णय लेने तथा उनके द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों पर अपील करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह न्यायशास्त्र के उस सिद्धांत का खंडन करता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय पर निर्णय नहीं दे सकता। यह वांछनीय है कि अपीलीय शक्तियां कार्यकारी समिति में निहित हों।

खंड 34 के उप-खंड 3 में यह प्रावधान है कि खंड 34 के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो निर्धारित की जा सकती है। अपील करने के लिए शुल्क लगाना अनुचित है और ग्राहक हितैषी नहीं है। अपील के लिए शुल्क लगाने का प्रावधान हटा दिया जाना चाहिए।

विधेयक के अध्याय 4 के खंड 20 में "भारतीय मानक ब्यूरो निधि" नामक एक निधि के गठन की परिकल्पना की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ब्यूरो को दिए गए सभी अनुदान और ऋण, प्राप्त सभी शुल्क, प्रभार और जुर्माना तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां जमा की जाएंगी। यह भी निर्धारित किया गया है कि इस निधि का उपयोग ब्यूरो के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक, अपने कार्यों के निर्वहन में ब्यूरो के व्यय और प्राप्त जुर्माने की राशि के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग विशेष रूप से उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण और देश में वस्तुओं, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, बी.आई.एस. कोष से प्राप्तियां और भुगतान बजटीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं लाए जाते हैं क्योंकि इन्हें भारत की

समेकित निधि से बाहर रखा गया है। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय के मौजूदा आदेशों में यह प्रावधान है कि किसी भी संस्था द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां - चाहे वह स्वायत्त हो या अन्यथा - मुख्य रूप से सार्वजनिक धन है और ऐसी संस्थाओं द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां भारत की संचित निधि का हिस्सा होंगी। ऐसी निधियों का व्यय केवल लोक सभा द्वारा अनुमोदित विनियोजन के माध्यम से ही किया जा सकता है। कोई भी धन प्राप्ति या व्यय संसद की जांच से बच नहीं सकता।

ये कुछ सुझाव हैं जो मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा। अब, मैं हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। हम उन देशों में से एक हैं जो उपभोक्ता संरक्षण के मामले में कई विकसित देशों से भी आगे हैं।

हमारा आदर्श वाक्य है 'उपभोक्ता ही भगवान है'। भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिसका उपभोक्ता संरक्षण के लिए नारा है: 'जागो ग्राहक जागो', अर्थात् उपभोक्ताओं को जगाओ। हमारे पास अनेक कानून हैं। उदाहरण के लिए, कल माननीय मंत्री जी ने हॉलमार्किंग की बात कही। यह ऐतिहासिक प्रावधानों में से एक है। हमने बी.आई.एस. बनाया है। यह काम केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता; अन्य एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। इसमें एक स्व-प्रमाणन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा स्वीकार किया गया है।

भारत उन देशों में से एक है जहां पेयजल का मानकीकरण किया जा रहा है। वजन और माप का मानकीकरण किया जा रहा है। यहां तक कि बिस्कुट, साबुन आदि को भी मानकीकृत किया जा रहा है। 1986 में इस कानून को लाने में राजीव गांधी के योगदान का दूरगामी प्रभाव है। यहां तक कि सेवा को भी मानकीकृत कर दिया गया है।

मैं माननीय सभा और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दो मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करना है। एक यह है। जब मैं यह मंत्रालय संभाल रहा था, तो हमने दो समितियों का गठन किया था। एक मुद्दा भ्रामक विज्ञापनों के बारे में है जो उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं। समाचार पत्रों में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के विज्ञापन आ रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के विज्ञापन इस स्तर पर

पहुंच गए हैं कि माताएं भी स्तनपान के बजाय तैयार भोजन की ओर रुख कर रही हैं। इसलिए, यह ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीर होना होगा।

फिर सौन्दर्य प्रसाधन संबंधी वस्तुओं के विज्ञापन आते हैं कि यदि आप अमुक हेयर ऑयल का उपयोग करेंगे तो आपके बाल अच्छे से बढ़ेंगे।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रो. थॉमस, आजकल आयुर्वेदिक उत्पादों के बहुत सारे विज्ञापन दिए जा रहे हैं।

**प्रो. के.वी. थॉमस:** लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हमने भोजन की बर्बादी के संबंध में एक और समिति गठित की थी। भारत एक ऐसा देश है जहां एक तरफ बहुत धनवान लोग हैं। उनके पास प्रचुर मात्रा में भोजन है। खाना बर्बाद हो रहा है। यहां तक कि शादी-ब्याह, समारोहों में भी 70 फीसदी से ज्यादा खाने की बर्बादी होती है। केरल जैसे राज्य में हमें पीड़ा होती है। कुछ सप्ताह पहले हमारे पास एक खबर आई थी कि वायनाड जिले में एक पूरा परिवार मध्याह्न भोजन से मिलने वाले भोजन पर निर्भर है। यदि स्कूलों में छुट्टियां हो जाएं तो पूरा परिवार भूखा मर जाता है। तो, यह स्थिति है। हम यह भी पाते हैं कि केरल जैसे राज्यों में विवाह समारोह उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। देश में भोजन की भारी बर्बादी हो रही है। देश में एक बड़े वर्ग को एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं है। तो, मैं सोचता हूं, ये कुछ मुद्दे हैं। हमारे पास एक समिति थी; उसकी कार्यवाही आपके समक्ष है।

इसलिए, इन मुद्दों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके सामने एक बड़ा कार्य है और हम देश के विकास के लिए आपके सभी प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

**डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) :** महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं प्रो. थॉमस का भी आभारी हूँ कि उन्होंने अपने तथा अपने दल के द्वारा इस बिल का पूर्ण समर्थन किया है।

### अपराह्न 03.35 बजे

(श्री कोनाकल्ला नारायण राव पीठासीन हुए)

जैसा थॉमस जी बता रहे थे कि बीआईएस एक्ट 1986 से मौजूद है और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता था लेकिन अब इसकी सरकारी तौर पर मान्यता नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी आफ इंडिया के रूप में हो रही है जो कि पहले नहीं थी, हम इसके लिए माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। अभी भारतीय उद्योग जगत विश्व में अपने सामानों को आराम से निर्यात कर सके, उसके लिए बीआईएस की हॉल मार्किंग बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा सामान विश्व मानक के अनुरूप होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा लाभ हमारे भारतीय उपभोक्ताओं को यह होगा कि वे एश्योर्ड रहेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वह क्वालिटी प्रोडक्ट है। इस बिल के लाने से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदुस्तान को उद्योग जगत का मैनुफैक्चरिंग हब बनाने का सपना देखा है, जिसके तहत मेक इन इंडिया पर विभिन्न जगहों पर काम चल रहा है, हिंदुस्तान विश्व में उद्योग का सिर मौर बन सके, उसके लिए भी यह बिल बहुत ही आवश्यक था क्योंकि जब तक भारत के सामान की गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रमाणित नहीं होगी, तब तक हम विश्व में अपने प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारा पड़ोसी देश, जो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, पूरी दुनिया में उसका सामान सप्लाई होता है, लेकिन उस देश के सामान की रेपोटेशन हिंदुस्तान के गांवों तक इतनी खराब है कि उसे मजाक के तौर पर लिया जाता है। हमारे यहां उस देश के सामान के बारे में एक चुटकला प्रचलित है। " एक हिंदुस्तानी व्यक्ति की शादी उस पड़ोसी देश की लड़की से हो गई। कुछ ही दिनों में उस लड़की का स्वर्गवास हो गया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस मुल्क की थी, इसलिए कितने दिन चलती। " इस तरह से जब हम किराने की दुकान में भी जाते हैं और पूछते हैं कि

अगर यह इस देश का सामान है तो कितने दिन चलेगा। दुकानदार कहता है कि जब तक आप पैसा नहीं दे रहे हैं तब तक मेरी गारंटी है और जब आपने पैसा दे दिया तो यह आपकी गारंटी पर निर्भर करेगा। इस तरह के सामानों का निर्यात वह मुल्क हमारे यहां करता है और हमारे देश को डंपिंग ग्राउंड बना कर रखा है। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब डब्ल्यूटीओ में हम जाएंगे तो वहां एक नियम है कि अगर आपके यहां किसी सामान का स्टैंडर्ड निश्चित है तो दूसरे मुल्कों को भी उसी स्टैंडर्ड का माल उनके देश में भेजना है। चीनी खराब सामान का हमारा देश जो डम्पिंग ग्राउंड बन गया है, इस बिल के आने के बाद यह रुक सकेगा। हमारे देश में भी स्टैंडर्ड सामान बनेगा और विदेशों से भी जो सामान आएगा, उसकी क्वालिटी पर नियंत्रण लगेगा। यह इस बिल से बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा इस बिल की जो खासियत है, वह यह है कि यह केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि कोई भी एजेंसी जिसके पास प्रोपर एक््रीडिटेशन है वह इंडियन स्टैंडर्ड की जांच करवा सकती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है या नहीं। इस तरह की जांच इंडिपेंडेंट बॉडी से करवाने पर हमारे सामान को विदेशों में बेचने के लिए निर्यात करने में बहुत सुविधा होगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बेहद आभारी हूँ।

यह ओपन सीक्रेट है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है तो वह भारतीय गृहणियों के पास है लेकिन जब सचमुच में उन्हें जरूरत होती है और उस गोल्ड को बेचने की जरूरत पड़ती है तो बेचते समय पता चलता है कि यह तो 14 कैरेट का गोल्ड है या 18 कैरेट का गोल्ड है। इससे उन्हें बहुत नुकसान होता है। गोल्ड में हॉल मार्किंग एसेंशियल करने का प्रावधान कीमती धातुओं के लिए उठाया गया है, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि कम से कम जो भी सोना वे खरीदेंगी, प्लेटिनम या सिल्वर, वह धातु मानक के अनुसार होगी।

इसके अलावा बीआईएस में साढ़े नौ हजार से अधिक उत्पादों में 19300 स्टैंडर्ड्स निधाररित किए गए हैं लेकिन अभी तक केवल 92 प्रोडक्ट्स पर ही कानून लागू है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 400 प्रोडक्ट तक इसे ले जाने की सोच रहे हैं। यह बहुत अच्छा कदम है और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हम इसके तहत लेकर आएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद इस बिल में मंत्री जी ने इंस्पेक्टर राज का खात्मा किया है। इसके

लिए भी मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि इस बिल के द्वारा सिम्प्लीफाइड कंपरमेट्री असेसमेंट स्कीम है कि वह सैल्फ सटीरफिकेशन कर सके, इंडस्ट्री खुद मार्केट सर्विलेंस करके अपने प्रोडक्ट्स की जांच कर सके, जरूरत पड़ने पर उन्हें वापिस ले सके, यह एक बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा इस बिल में सर्विसेज और प्रोसेस को पहली बार शामिल किया गया है, यह भी बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हम लोग विदेशों से जो इक्विपमेंट्स लाते हैं, मैं डाक्टर हूँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स बाहर से मंगाए जाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि हर इक्विपमेंट का अलग सटीरफिकेशन होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है और हम लोग बिलकुल एश्योर्ड होते हैं जबकि इंडियन एक्विपमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो केबल या दूसरे प्रोडक्ट्स लगे हैं, वे किस क्वालिटी के हैं, यह पता नहीं चलता था। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो प्रोसेस शामिल किया है, वह बहुत अच्छा है।

इसके अलावा स्मार्ट सिटी के लिए जो प्लानिंग हो रही है, फूड की यहां तक कि पीने के साधारण जल को भी इसमें लाने का प्रयास हो रहा है, उसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इसके साथ ही मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव यह है कि आईएसआई का बहुत ज्यादा दुरुपयोग इस देश में होता है। बहुत सारी ऐसी घटिया कम्पनियां हैं जो नकली माल बनाती हैं और आईएसआई मार्क लगाकर बेचती हैं और उपभोक्ता समझ नहीं पाता है कि यह माल सही है या गलत है। बहुत जगह तो रेड करके पकड़ा जाता है लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं, मैं अपने ही प्रदेश की बात कहता हूँ। मैं बिहार का डाटा देख रहा था कि तीन साल में एक रेड भी नहीं की गई। केंद्र सरकार की कोई एजेंसी होनी चाहिए जो कि दूसरे प्रदेश में जहां उनका कोई रेड का इंटरैस्ट नहीं हो तो वहां कम से कम नकली सामान नहीं बिके। कौशलेन्द्र जी भी हमारे सामने हैं। इस चीज का प्रयास होना चाहिए कि हर जगह सामान की गुणवत्ता की जांच हो सके। उन प्रदेशों में भी होना चाहिए जहां सरकारें इसमें दिलचस्पी न रखती हों कि नकली माल बिक रहा है या असली माल बिक रहा है। इसके अलावा हम जो सैल्फ एक््रीडिटेशन इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, इसका अगर दुरुपयोग होता है तो पांच लाख का जुर्माना या सजा, यह बहुत कम है। इसके लिए बहुत कड़ा कानून बनाने की जरूरत है।

हम देखते हैं कि दूध में यूरिया डाल कर मिलावट की जाती है। इस तरह हम पूरी जेनरेशन को खराब करते हैं, इसके लिए तीन-चार महीने की सजा का प्रावधान बहुत कम है। अगर हम सैल्फ एंक्रिडिटेशन की पावर इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं और वह गलत करती है तो सजा बहुत होनी चाहिए। खास कर फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि इसमें गड़बड़ी मिलती है, तो इसके लिए इतना कड़ा प्रावधान होना चाहिए जिससे कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत न करे। हम लोग देखते हैं कि यदि पाँच हजार किलो दूध-निर्मित सामान की जरूरत है तो दो दिन में बनकर आ जाता है। दूध का उत्पादन तो फिक्स होता है, लेकिन दीपावली में जितना चाहिए उतना मावा मिल जाता है। ये सब चीजें बंद हो सके, इसके लिए मैं कहूंगा कि कड़ा कानून बनाया जाए। इसके अलावा जो टैस्टिंग लैबोरेट्री का प्लान बन रहा है, इसमें अगले साल चार-पाँच लैब्स जोड़े जाएंगे, यह सफिशिएंट नहीं है। यदि बीआईएस को आगे बढ़ाना है तो माननीय मंत्री जी को वित्त मंत्री से कहकर एक साथ बहुत-सारे एंक्रिडिटेशन सेन्टर खोलने चाहिए, जहाँ पर सामान की भी जाँच हो सके और जो व्यापारी अपना एक्सपेंशन करना चाहें, तो तुरंत इसकी जाँच हो सके। इसके साथ ही मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण बिल को लाये। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'मेक इन इंडिया' कैम्पेन का सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन है, वह है- 'शून्य दोष, शून्य प्रभाव' होने का, यह तभी हो सकता है, जब यह बिल पास हो। इसलिए इतना अच्छा बिल लाने के लिए मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूँ तथा इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

**श्री ए अनवर राजा (रामनाथपुरम):** माननीय सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्वी थलाइवी अम्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

विधेयक में एक राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिक उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं को मानकीकरण के दायरे में लाने में सक्षम बनाएगा।

यह विधेयक मूल्यवान स्वर्ण धातुओं की अनिवार्य हॉलमार्किंग को सक्षम करेगा तथा मानक चिह्न के दुरुपयोग को रोकेगा। विधेयक में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 अर्थात् अधिनियम 63, 1986 को निरस्त करने का भी प्रावधान है।

बी.आई.एस. पहले से ही विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और 16 श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 9,500 उत्पादों और सेवाओं के लिए 19,300 से अधिक मानक तैयार कर चुका है।

कीमती, नकली और घटिया वस्तुओं की बिक्री एक चिंताजनक मुद्दा है। यह समग्र रूप से उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए मानकीकरण अनिवार्य हो। गैर-मानक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वे चीनी उत्पाद हों या स्थानीय, एक व्यापक कानून की आवश्यकता पर बल देते हैं।

ज्ञातव्य है कि औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अनुसार केवल 122 श्रेणियों की वस्तुओं के लिए अनिवार्य मानक हैं। केवल आयातित वस्तुएं ही नहीं, बल्कि हमारे कई घरेलू उत्पाद भी किसी मानक का पालन किए बिना बेचे जाते हैं।

केवल आयातित वस्तुएं ही नहीं, बल्कि हमारे कई घरेलू उत्पाद भी किसी मानक का पालन किए बिना बेचे जाते हैं। इसलिए, हमें निर्माताओं के लिए कुछ मानक अनिवार्य बनाना चाहिए।

यूरोप में मानकों का 100 प्रतिशत अनुपालन होता है। मुझे उम्मीद है कि भारत धीरे-धीरे उस दिशा में आगे बढ़ेगा। एक ही बार में बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं को कवर किया जाना है। यदि मानकीकरण को अनिवार्य बना दिया जाता है, तो सरकार निर्माताओं द्वारा स्व-प्रमाणन का विकल्प भी चुन सकती है। निर्माता स्व-प्रमाणन से पहले अपने उत्पादों का परीक्षण सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं या परीक्षण केंद्रों के माध्यम से करा सकते हैं। ऊर्जा दक्षता, बाल-अनुकूल और पर्यावरण-अनुकूल जैसे मानकों से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक तंत्र भी हो सकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने माल के भारतीय मानक के अनुरूप होने का विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक दावा नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा।

वर्तमान विधेयक में तीन और पहलू प्रासंगिक हैं: 1) सभी कीमती धातु वस्तुओं के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग; 2) मानक चिह्न के दुरुपयोग की रोकथाम; और 3) गैर-मानक वस्तुओं को 'अनिवार्य रूप से वापस मंगाना' तथा उपभोक्ताओं को मुआवजा देना।

भारतीय मानक ब्यूरो ने सभी मानकीकृत स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क अंकित करना अनिवार्य कर दिया है, जिसे बी.आई.एस. हॉलमार्क आभूषण कहा जाता है। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा होती है।

आजकल सोने के आभूषण आधुनिक मशीनों में बनाए जाते हैं और कोई भी वस्तु बेकार नहीं जाती। हालांकि, बर्बादी की गणना करने की यह परंपरा जारी है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो ग्राहकों से वसूला जाता है। बर्बादी शुल्क आम तौर पर 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक होता है और अधिकांश दुकानों में यह 18 प्रतिशत होता है। सोने के व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कुछ समान प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

धारा 18 लाइसेंस धारक के लिए उत्पाद की निर्माण और लेबलिंग आवश्यकताओं को प्रदर्शित करना अनिवार्य प्रावधान बनाती है। इसमें वस्त्र, पैकेज्ड पानी, खाद्य पदार्थ आदि सहित 16 व्यापक श्रेणियां हैं। यदि

कोई व्यक्ति वर्तमान सूची में कोई नई श्रेणी जोड़ना चाहता है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह घटिया उत्पादों से बचने के लिए कई क्षेत्रों को कवर करता है।

उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी नीतियां सावधानीपूर्वक और सुविचारित ढंग से तैयार की गई हैं। इसलिए, बी.आई.एस. को स्वैच्छिक योजना को समाप्त कर देना चाहिए तथा सभी उत्पादों के लिए बुनियादी गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर देना चाहिए।

फिलहाल उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदते समय आई.एस.आई. मार्क देखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, उपयोग के लिए लाइसेंस देना काफी कठोर है। आमतौर पर, उत्पाद प्रमाणन योजना स्वैच्छिक प्रकृति की होती है। हालांकि, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई उत्पादों के लिए आई.एस.आई. मार्क को अनिवार्य कर दिया है।

अनुसूचित उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए वर्तमान कानून की धारा 16 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निर्देश दिया गया है। सरकार को अनुसूचित उद्योग से परे उत्पादों की सूची का विस्तार करने के लिए आगे आना चाहिए।

भारतीय मानक ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि हाल ही में पंजीकृत 60 प्रतिशत से अधिक उत्पाद 'चीन में निर्मित' हैं। यह चीनी निर्माताओं की अपनी प्रक्रियाओं को बढ़ाने तथा हमारे तेजी से बढ़ते बाजारों में प्रवेश करने के लिए भारतीय मानकों को पूरा करने की उत्सुकता को दर्शाता है।

लेकिन बिजली के बल्बों और थर्मामीटरों से लेकर गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों तक, अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं जिनके लिए सरकार के पास अभी भी घरेलू मानक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीनी उत्पादों का अनियंत्रित प्रवेश हो रहा है। यह बढ़ते व्यापार घाटे में परिलक्षित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों में यह प्रावधान है कि आयातित वस्तुओं के लिए मानक स्थानीय निर्माताओं के मानकों के समान होने चाहिए। भारत की सहायता के लिए शिक्षा, आई.सी.टी., पर्यटन, खुदरा और लॉजिस्टिक्स जैसे सेवा क्षेत्र के मानकीकरण की आवश्यकता है।

वर्तमान कानून में वापस मंगाने का प्रावधान भी है, जिसमें मानक चिह्न वाले किन्तु प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप न होने वाले उत्पादों के लिए दायित्व भी शामिल है। धारा 31 यह सुनिश्चित करती है कि गैर-अनुरूप माल के कारण हुई क्षति के लिए लाइसेंस धारक उत्तरदायी होगा।

2001 से 2008 तक आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से बी.आई.एस. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्पादों पर गलत आई.एस.आई. चिह्न का उपयोग करने वालों के खिलाफ बी.आई.एस. द्वारा अदालतों में केवल 815 मामले दायर किए गए थे।

बी.आई.एस. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े स्वयं बहुत परेशान करने वाले हैं। इसके अलावा, बी.आई.एस. अधिनियम के तहत एकल शिकायत मामले को दर्ज करने और आगे बढ़ाने में लगभग एक लाख रुपये का खर्च आता है और मुकदमेबाजी में दो से तीन साल लग जाते हैं। निस्संदेह, बी.आई.एस. अधिनियम में दम नहीं है।

बी.आई.एस. की प्रवर्तन मशीनरी बहुत संतोषजनक नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया और लंबित मामलों की स्थिति ऐसी चीज है जिस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए, बी.आई.एस. को प्रत्येक मामले पर कार्रवाई करने के लिए पूर्ण अभियोजन शक्तियां दी जानी चाहिए।

हाल ही में मुंबई में तीन दिनों के भीतर 6438 बाइक चालकों पर आई.एस.आई. लोगो के बिना हेलमेट पहनने के कारण दो-दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया। हेलमेट टूटने की खबरें आम बात हैं, इनमें से 85 प्रतिशत से अधिक हेलमेट अनिवार्य आई.एस.आई. प्रमाणीकरण के बावजूद घटिया गुणवत्ता के बताए जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम देश में वस्तुओं और सेवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि बोतलबंद पानी भी अभी भी मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है। हमारी माननीय पुरात्वी थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु राज्य सरकार आम लोगों की सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के कल्याण और वस्तुओं के मानकीकरण को बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने में पथ-प्रदर्शक और अग्रणी है।

में तमिलनाडु में क्रियान्वित की जा रही कुछ योजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्हें सभी वर्गों के लोगों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इस योजना में सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि सस्ती और बेहतरीन, बहुत ही स्वच्छ 'अम्मा कुटीर' (बोतलबंद मिनरल वाटर) बस टर्मिनलों और यहां तक कि लंबी दूरी की एक्सप्रेस बसों में भी दस रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर यही पानी की बोतल 'रेल नीर' के नाम से पंद्रह रुपये में तथा खुले बाजार में बीस रुपये में बेची जा रही है। लेकिन तमिलनाडु में इसे केवल दस रुपये में बेचा जाता है।

दूसरी योजना 'अम्मा उनावकम' (अम्मा टिफिन सेंटर) है, जिसमें एक रुपये में इडली, सांभर और चटनी के साथ बहुत ही स्वास्थ्यकर भोजन बेचा जा रहा है। होटल में वही इडली 10 रुपये प्रति पीस बिक रही है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हाल ही में केंद्रीय टीम ने चेन्नई का दौरा किया था। टीम के सदस्यों ने अम्मा उनावगाम में भोजन का स्वाद भी चखा और योजना की सराहना की।

तीसरा है 'अम्मा मेडिकल शॉप' जो बिना किसी आय वर्ग के प्रतिबंध के मरीजों को 15 प्रतिशत छूट पर दवाइयां बेच रहा है। इस अभियान से ग्राहकों को बेची जा रही नकली दवाओं को खत्म करने में मदद मिलेगी।

चौथा है 'अम्मा नमक'। यह खुले बाजार मूल्य से कम दर पर आयोडीन युक्त नमक बेच रहा है।

पांचवां है 'अम्मा सब्जी मार्केट', जो सबसे सस्ती दर पर हरी सब्जियां बेच रहा है क्योंकि सरकार सीधे किसानों से सभी ताजी हरी सब्जियां खरीद रही है और बिना किसी लाभ के लोगों को बेच रही है।

छठा नाम है 'अम्मा सीमेंट'। इस योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए 50 किलोग्राम सीमेंट 190 रुपये प्रति बोरी की दर से बहुत सस्ती दर पर बेचा जा रहा है, जिससे अनेक गरीब लोगों के मकान के सपने पूरे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सस्ती दर पर उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता को बनाए रखने तथा लोगों को नकली उत्पाद खरीदने से बचाने के लिए किया जा रहा है।

यह इस विधेयक का विषय है। इसलिए, मैंने तमिलनाडु में चल रहे सभी कार्यक्रमों का उल्लेख किया तथा इन्हें पूरे देश में अपनाया जा सकता है।

**माननीय सभापति:** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री ए. अनवर राजा:** महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देश में जिस प्रकार के मानक मौजूद हैं, परीक्षण, निरीक्षण और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए जो विशाल बुनियादी ढांचा उपलब्ध है--इन सबकी एक लागत है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि क्या उपभोक्ताओं के पैसे का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि यह विधेयक अधिनियमित होने पर निश्चित रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मानकीकरण, निर्माण और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देगा। भारतीय मानक ब्यूरो को इस अवसर पर पूरे उत्साह के साथ मानक निर्धारित करने में आगे आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ और सभापति को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

**डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं समझती हूँ कि हम सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं तथा इस विधेयक को लाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, जो वास्तव में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 का ही कुछ संशोधनों के साथ विस्तार है। यह अधिक प्रमाणीकरण, उत्पादों के अधिक विस्तार, दृष्टिकोण, दंड आदि के साथ आ रहा है।

बी.आई.एस. एक ऐसा निकाय है जो भारतीय मानकों को निर्धारित करता है और यह राष्ट्रीय मानकों को प्रामाणिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इस विधेयक में सेवाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा मानना है कि उत्पाद प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके यह विधेयक उपभोक्ताओं के लिए मददगार साबित होगा। यह उपभोक्ता अनुकूल होगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी बल्कि व्यापारिक लेन-देन में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, यदि मानक कमोबेश अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर होंगे तो इससे भारतीय सामग्रियों और व्यापार के निर्यात और आयात को प्रमाणित करने में भी मदद मिलेगी।

### **अपराह्न 04.00 बजे**

बी.आई.एस. के मुख्य कार्य हैं मानकीकरण, औपचारिकीकरण, प्रमाणन, लाइसेंस के तहत उत्पादों और प्रक्रियाओं पर ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना और चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना। भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है। जैसा कि मेरे कुछ सहयोगियों ने पहले ही बताया है, लागू होने वाले अधिकांश मानक स्वैच्छिक हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह वैश्विक परिदृश्य के विपरीत है, जहां किसी भी व्यवसाय या उपभोक्ता उत्पाद के लिए मानक प्राप्त करना अनिवार्य है। भारत में केवल 122 उत्पाद ऐसे हैं जिनके लिए

अनिवार्य मानक हैं। इस सूची में सीमेंट, इस्पात उत्पाद और घरेलू बिजली के सामान शामिल हैं तथा इसे बढ़ाया जाएगा।

**अपराह 04.02 बजे** (श्री हुक्मदेव नारायण यादव पीठासीन हुए।)

हमारी मानक व्यवस्था अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है। मानकीकरण के प्रति जागरूकता और स्वीकृति बहुत कम है। भारतीय निर्यात को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा अनिवार्य मानकों को पूरा करने के आधार पर उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसी स्थितियां अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे प्रमुख बाजारों में सामने आती हैं। अब तक बी.आई.एस. ने 9500 उत्पादों और सेवाओं के मानकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 19300 मानक तैयार किए हैं। लेकिन अब तक विभिन्न खंडों में लगभग 400 उत्पादों की पहचान की गई है, जिनके लिए सरकार योजना और सुरक्षा मानक स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे पता चलता है कि हमें अभी बहुत आगे जाना है।

नया विनियमन पहले के अधिनियम को निरस्त करने के लिए है। बी.आई.एस. विधेयक, 2015 निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदान करना चाहता है। इसका पहला उद्देश्य बी.आई.एस. को राष्ट्रीय मानक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित करना है। ऐसा पहली बार किया जा रहा है। मूल रूप से, 1947 में भारतीय मानक संस्थान था जो मानकीकरण से संबंधित कार्य करता था। लेकिन यह केवल एक अनौपचारिक निकाय था। फिर, इस संबंध में 1986 में एक विधेयक आया, जिसने ब्यूरो को सही मायने में एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया तथा इसका दायरा माल तक बढ़ा दिया। पहले यह केवल सामग्री और प्रक्रियाओं के लिए था। वर्तमान में इसे सेवाओं और प्रणालियों तक विस्तारित किया जा रहा है।

मेरे माननीय सहयोगी श्री थॉमस पहले ही इस निकाय के गठन के बारे में बता चुके हैं जिसमें एक शासी परिषद और कार्यकारी निकाय शामिल होंगे। इसमें निदेशक, कार्यकारी सदस्य, सरकारी अधिकारी और राज्य मंत्री शामिल होंगे। चूंकि यह मानकीकरण का प्रश्न है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कुछ

विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए। हो सकता है कि वे शासी परिषद का हिस्सा न हों लेकिन वे कार्यकारी निकाय में हो सकते हैं।

हममें से कई लोगों ने कहा है कि यह बहुत अच्छी बात है कि हम विधेयक को 'सेवाओं' तक विस्तारित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, चिकित्सा सेवाओं में चिकित्सा पेशेवर सेवा के साथ अस्पताल सेवा और चिकित्सा अस्पताल सेवा शामिल हो सकती है। यह शिक्षा, रेस्तरां आदि कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं जानता कि ब्यूरो द्वारा यह विशाल कार्य कैसे किया जा सकेगा। 'सेवाएं' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। किस प्रकार की सेवा को कवर किया जाएगा तथा किस सीमा तक मानकीकरण किया जाएगा तथा इसका मानकीकरण कौन करेगा। इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

यह भारत सरकार को अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था लाने में सक्षम बनाता है जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम और शांति और सुरक्षा की स्थापना के दृष्टिकोण से उपभोक्ता के साथ-साथ व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला लेख प्रक्रिया या सेवा। यह उपभोक्ता को आई.एस.आई. प्रमाणित उत्पाद प्राप्त करने और निम्न स्तर के उत्पादों के आयात को रोकने में सहायता करेगा। कई प्रकार की सरलीकृत अनुरूपता मूल्यांकन योजनाएँ होंगी। यह अच्छा है कि जो व्यक्ति उत्पाद बेच रहे हैं, वे स्वयं आकर प्रमाणन प्राधिकारी से इसे प्रमाणित करवा सकते हैं। किसी भी मानक के विरुद्ध अनुरूपता की स्व-घोषणा होगी ताकि निर्माताओं को मानक पालन के लिए कई सरलीकृत विकल्प दिए जा सकें। यह ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि संभवतः अधिक संख्या में निर्माता प्रमाणन के लिए आएंगे।

यह विधेयक केंद्र को उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता की पुष्टि के लिए बी.आई.एस. के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकरण की नियुक्ति करने में सक्षम बनाएगा। इसमें 'किसी भी प्राधिकरण' का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किस प्रकार का प्राधिकरण होगा तथा प्रत्येक मद के संबंध में उसका स्वरूप क्या होगा।

इससे भारत सरकार को बहुमूल्य धातु वस्तुओं, अर्थात् सोना, प्लेटिनम आदि की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने में भी मदद मिलेगी। यहां, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लोहा, पीतल और स्टील जैसी अन्य धातुएं भी हैं जो उपभोक्ताओं के लिए इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इन धातुओं के घटिया उपयोग से पुल के क्षतिग्रस्त होने और ढहने जैसी आपदाएं तथा निर्माण क्षेत्र से संबंधित कई अन्य खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इस युग में जहां हम भूकंप, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, हमें मानव जीवन को बचाने के लिए अधिक ठोस सामग्रियों की आवश्यकता है।

इसमें प्रयोगशालाओं की जांच के लिए मान्यता प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है। विधेयक में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए था। खैर, यह विधेयक काफी अच्छा है।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है कि कुछ प्रतिवेदनों में पहले ही यह आशंका व्यक्त की जा चुकी है कि क्या बी.आई.एस. इस समय इस विशाल कार्य की चुनौती लेने के लिए तैयार है। डब्ल्यू.जी.सी. अध्ययन में कहा गया है कि बी.आई.एस. के पास परीक्षण, निगरानी और प्रवर्तन के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि वह विधेयक पारित करे।

खैर, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रही हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर) :** सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2015 बिल पर भाग लेने का मौका दिया। महोदय, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। एक बार यह विधेयक पारित हो जाए और अक्षरशः लागू हो जाए तो यह हमारे देश के उपभोक्ताओं के हित में सकारात्मक योगदान देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह विधेयक ऐतिहासिक है। मैं यहां विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ।

मैं इसी पॉइंट से चर्चा शुरू करना चाहूँगा। कल मंत्री जी का सदन में वक्तव्य था। उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी। उसी पॉइंट से मैं चालू करूँगा। उनका वक्तव्य यह था कि बाहर से घटिया सामान आता था। यह वह मुद्दा है जिसे माननीय मंत्री जी ने कल सदन में उठाया था।

[अनुवाद]

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) नामक एक कंपनी है। यह जनता क्षेत्र की कंपनी है। यह एक नवरत्न कंपनी है और सभी भारतीयों को बी.एच.ई.एल. जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर गर्व है। बी.एच.ई.एल. ने अभी-अभी चालू वित्त वर्ष के लिए पहली तिमाही के परिणाम की घोषणा की है। उस रिजल्ट में क्या निकला? कंपनी की लाभप्रदता 82 प्रतिशत कम हो गयी है। 82 प्रतिशत का प्रॉफिट घट गया। इसके पीछे कारण क्या हैं? बेशक, इसके कई कारण हैं, लेकिन प्राथमिक कारण यह है कि चीन में काली सूची में शामिल चीनी कंपनियां हमारे देश में अपने उत्पाद डंप कर रही हैं और उन कंपनियों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं जो हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बना रही हैं। यह एक चुनौती है और माननीय मंत्री जी इसी बात का उल्लेख कर रहे थे।

यह एक चुनौती है और माननीय मंत्री जी इसी बात का उल्लेख कर रहे थे। कृषि विभाग ने लगभग 20,600 नमूने एकत्र किए हैं और इनमें से 3,800 नमूनों में कीटनाशक अवशेष पाए गए तथा 1,180 नमूनों में

ऐसे कीटनाशक अवशेष पाए गए, जिनके हमारे देश में उपयोग की अनुमति नहीं है। यह उन उत्पादों की गुणवत्ता है, जिन्हें हम दिन-प्रतिदिन खा रहे हैं।

मैं एक और उदाहरण दूंगा। चाय का जो एक्सपोर्ट होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में उत्पादित होने वाली चाय का लगभग 18-20 प्रतिशत हिस्सा भारत से बाहर निर्यात किया जाता था। अब यह आंकड़ा घटकर 10-12 प्रतिशत रह गया है। मामला क्या है? मुद्दा यह है कि गुणवत्ता कम हो गई है और हम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

मैं अंतिम उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार हम सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को लेकर परेशान हैं, जिसके बारे में पहले ही कई वक्ता बोल चुके हैं। एक बात हम सबको पता होनी चाहिए कि हमारे देश में हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी 15 साल पहले चालू हुई थी। इस वर्ष जुलाई में, विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है कि इंडिया में लगभग 30 प्रतिशत गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग होती है। कोई 9 कैरेट का गोल्ड बेच रहे हैं, कोई 22 कैरेट का बेच रहे हैं, कोई 14 कैरेट का बेच रहे हैं। लेकिन गरीब उपभोक्ता को 9 कैरेट का सोना मिल रहा है, फिर भी उसे 22 कैरेट का सोना ही देना पड़ रहा है। यही समस्या है। इसलिए, यह विशेष विधेयक उस मुद्दे को संबोधित करेगा।

आज औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अनुसार केवल 122 श्रेणियों की वस्तुएं ही बी.आई.एस. के दायरे में आती हैं। लेकिन इस विधेयक के साथ अच्छी बात यह है कि हमारे देश में बेचे जाने वाले सभी उत्पाद, सेवाएं और प्रक्रियाएं इस नए कानून के दायरे में आएंगी। इसलिए, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है क्योंकि इसका हम सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लेकिन इस विधेयक के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं। मेरी पांच प्रमुख चिंताएं हैं, जिन्हें मैं सरकार और माननीय मंत्री जी के विचारार्थ रखना चाहूंगा। पहला यह है। जो बोर्ड गठित किया जाएगा उसमें कौन-कौन शामिल होंगे? हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बोर्ड बिना किसी भय या पक्षपात के काम करे और भारत सरकार का एक और अंग न बन जाए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भय और पक्षपात की संभावना

बनी रहती है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिए, जिस पर देश कानून बनाने जा रहा है, हमारे पास एक स्वतंत्र बोर्ड क्यों नहीं हो सकता?

दूसरा, आप किस आधार पर मानक तय करने जा रहे हैं? ऐसी अनेक संख्या में वस्तुएं, सेवाएं और प्रक्रियाएं हैं जो आने वाली हैं। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इस विशाल कार्य को करने की क्षमता और संसाधन अभी मौजूद हैं? क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे हम भूल नहीं सकते। एक बार हम भूल गए तो उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचेगा।

तीसरा, हमारी परीक्षण प्रयोगशालाएं कहां हैं? उन सभी प्रयोगशालाओं का संचालन कौन करेगा? क्या हमारे पास सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक मानवशक्ति है तथा क्या हमारे पास मानकीकरण के लिए विनिर्देश हैं, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं?

चौथा बिंदु स्व-प्रमाणन से संबंधित है। बिहार से हमारे माननीय सदस्य डॉ. जायसवाल, जो यहां उपस्थित थे, ने बिहार में जो कुछ हो रहा है, उसका उल्लेख किया था। देश के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा होगा। दुर्भाग्यवश भारत में स्व-प्रमाणन कारगर नहीं रहा। हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं कि दुनिया भर में 80 प्रतिशत मामलों में यह स्व-प्रमाणन पर आधारित है, लेकिन भारत में यह कारगर नहीं हुआ है। तो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास सिस्टम में क्या जांच और संतुलन है, क्योंकि उपभोक्ता को फिर से कीमत नहीं चुकानी चाहिए? क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं या सुसज्जित हैं?

अंतिम बात, निर्यात के मुद्दे पर पुनः आते हुए, यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संबंध में हम क्या मानक बनाने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आयातित वस्तुओं के लिए हमारे पास एक मानक होगा, तो हम किन मानकों का पालन करने जा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानकों में कई चीजें शामिल हैं - हमारे पास अमेरिकी मानक हैं; हमारे पास यूरोपीय मानक हैं; और हमारे पास कई अन्य मानक हैं। तो, वे कौन-से मानक हैं जिन्हें हम अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी देश के अपने मानक हो सकते हैं, लेकिन आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद के लिए मानक एक ही होने चाहिए?

उपर्युक्त के आलोक में, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, सरकार और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे विधेयक को पारित करने से पहले उन सभी चिंताओं का संज्ञान लें जो बहुत गंभीर प्रकृति की हैं, और हमारे देश के उपभोक्ताओं की चिंताओं का ध्यान रखें। धन्यवाद।

**श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर):** महोदय, मुझे बी.आई.एस. विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जिसे मौजूदा 1986 अधिनियम की जगह लेने का प्रस्ताव है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और हम इस प्रकार के विधेयकों को पारित किए बिना वैश्विक आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकते। यह व्यापार करने में आसानी और हमारे मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अच्छा है कि विधेयक दायरे को व्यापक बनाने और मानकों की व्यवस्था के तहत अधिक उत्पादों को लाने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित कानून के माध्यम से पहली बार इसके दायरे में आने वाली सेवाओं और प्रक्रियाओं के लिए मानक निर्धारित करना भी है। किसी वस्तु, प्रक्रिया या सेवा का अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम, सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसलिए, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

मुझे आशा है कि इससे देश में कारोबार को और अधिक आसान बनाने में मदद मिलेगी। यह एक अच्छा संकेत है कि विधेयक कारखानों में निरीक्षकों के दौरे के स्थान पर स्व-प्रमाणन और बाजार निगरानी सहित कई प्रकार की सरलीकृत अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं की अनुमति दे रहा है, जिससे मानकों पर इंस्पेक्टर राज समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, विधेयक में उन उत्पादों को भी वापस लेने का प्रस्ताव है, भले ही वे आई.एस.आई. मार्क वाले हों, लेकिन प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं हों। इस विधेयक का दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि यह ब्यूरो के अलावा विदेशी और भारतीय संस्थाओं को मानकीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ऐसा निवेशक-अनुकूल विनियामक ढांचा बनाने के लिए किया गया है, जो उपभोक्ता की सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।

लेकिन विधेयक के साथ समस्या यह है कि यह कई गतिविधियों को एक ही स्थान पर रखने का प्रयास करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा नहीं है और दुनिया में कहीं भी राष्ट्रीय मानक निकाय का उपयोग उस तरह नहीं किया गया है जैसा कि हम भारत में करते हैं, क्योंकि यह नियामक कार्य, बाजार निगरानी, पंजीकरण आदि

कर रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव देता हूँ कि वे बी.आई.एस. को केवल प्रमाणन और मानकीकरण पर ही ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दें।

परिभाषा खंड की बात करें तो मुझे 'प्रमाणन' या 'मान्यता' की कोई परिभाषा नहीं मिली। मैं अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए इन शर्तों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार्य माना जाए। महोदय, बी.आई.एस. ने एक मानक आई.एस./आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17000:2004 तैयार किया है जिसमें 'समीक्षा' और 'सत्यापन' की परिभाषाएं दी गई हैं। अतः इसी प्रकार 'प्रमाणन' और 'प्रत्यायन' को भी परिभाषित किया जा सकता है।

अब मैं विधेयक के खंड 7 पर आऊंगा जो महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित है। महोदय, बी.आई.एस. एक पूर्णतया स्वायत्त निकाय है जो केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं है। खंड 7 (3) में यह दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार महानिदेशक की नियुक्ति करेगी, जो उचित नहीं है। यह एक स्वायत्त संगठन के मामलों में हस्तक्षेप करने के समान है। दूसरा, बी.आई.एस. एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन है और इसके प्रमुख के रूप में एक वैज्ञानिक या तकनीकी व्यक्ति की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती एन.डी.ए. सरकार के तहत श्री शरद पवार जी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सिफारिश की थी कि बी.आई.एस. का नेतृत्व एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को करना चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे लागू नहीं किया। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूँ कि मानकों के बेहतर रखरखाव के लिए, बी.आई.एस. का नेतृत्व एक वैज्ञानिक को करना चाहिए।

अब, खंड 9(2)(फ) के तहत, विधेयक बी.आई.एस. द्वारा प्रत्यक्ष मान्यता का प्रस्ताव करता है जो सीधे हितों के टकराव में है। मैं यह कह रहा हूँ कि यह हितों का टकराव है, क्योंकि बी.आई.एस. स्वयं परीक्षण या प्रमाणन सेवा या मानक निर्धारण सेवा के लिए अनुरूपता मूल्यांकन निकाय है। तो फिर वह अन्य समान निकायों को मान्यता कैसे दे सकता है? यह मान्यता प्रदान करने की गतिविधि में हितों का टकराव है और जब यह कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद में प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड द्वारा किया जा रहा है और स्वयं बी.आई.एस. को इसके प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना के लिए एक मान्यता निकाय द्वारा मान्यता दी गई है,

तो बी.आई.एस. अन्य निकायों को कैसे मान्यता दे सकता है? यह स्पष्टतः हितों का टकराव है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

यह विधेयक उपभोक्ता-हितैषी है और अनुचित एवं बेईमान व्यापार प्रथाओं को रोकने में मदद करता है, क्योंकि मौजूदा विधेयक में अनुचित लोगों पर मुकदमा चलाने की कानूनी शक्ति का अभाव है। यह एक अच्छा कदम है। इसके अलावा, मैं यह सुझाव दूंगा कि किसी तरह हमें इसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के साथ भी संरेखित करना होगा। कई बार मैंने देश में देखा है कि विभिन्न निर्माता अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में कुछ ऐसे दावे करते हैं जो सत्य नहीं होते हैं, ऐसे में वे लोगों को कैसे जवाबदेह बना सकते हैं और इसे बी.आई.एस. और अन्य निकायों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, यह कुछ ऐसा है जिसका अध्ययन करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से सरकार बी.आई.एस. को वित्तीय सहायता नहीं दे रही है और बी.आई.एस. स्वयं ही अपना जीवन चला रहा है। अब विधेयक में बी.आई.एस. को और अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बी.आई.एस. द्वारा ऐसा करने के लिए 'सरकार की पूर्व स्वीकृति' का उल्लेख करने से बी.आई.एस. को ब्लॉक स्तर तक जाकर यह सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न होती है कि ग्राहक को बी.आई.एस. प्रमाणित माल की आपूर्ति की जाए। इससे बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी बाधा आती है, जो तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के साथ मानकीकरण के क्षेत्र में आवश्यक है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बी.आई.एस. पर से सरकारी नियंत्रण हटा दें और इसे पूरे देश में अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार करने दें।

धारा 10(3) तकनीकी समितियों के गठन की बात करती है। व्यवहार में, वर्तमान में, मानक निर्माण से संबंधित बी.आई.एस. की सर्वोच्च समिति मानक सलाहकार समिति है। इसके बाद डिजीजन काउंसिल है जो मानकों को अंतिम रूप देती है। प्रभाग परिषद अनुभागीय समितियों, उप-समितियों और पैनलों का भी गठन करती है। लेकिन, विधेयक में डिजीजन काउंसिल का कोई उल्लेख नहीं है। आप केवल तकनीकी समिति की

बात कर रहे हैं जो बी.आई.एस. की वर्तमान व्यवस्था में मौजूद ही नहीं है। इसलिए, भ्रम की स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसे स्पष्ट करें।

अगला बिंदु यह है कि बी.आई.एस. धारा 13 के अंतर्गत अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करता है। लेकिन, यदि इसके प्रमाणन से कोई जोखिम उत्पन्न होता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? यह सर्वविदित है कि बी.आई.एस. को उस भौगोलिक क्षेत्र में अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को कवर करना होता है जिसमें वह परिचालन करता है। ऐसी किसी भी स्थिति में बीमा या कोष के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपने केवल यह कहा है कि बी.आई.एस. धारा 3(2) के तहत एक निगमित निकाय है और वह मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि सरकार अब बी.आई.एस. को वित्त पोषित नहीं करने जा रही है, तो बीआईएस इस मुद्दे का समाधान कैसे करेगा।

प्रमाणीकरण से परे एक प्रमुख मुद्दा प्रवर्तन का है। देश में बहुत सारी प्रवर्तन संस्थाएं और एजेंसियां हैं और उन सभी के बीच समन्वित समन्वय से यह अधिक प्रभावी बन सकेगा। इस ठोस प्रयास को हम किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, इस पर विचार करने की ज़रूरत है।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित विधेयक के साथ भारत विश्व मानकों के अनुरूप चलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे "शून्य दोष, शून्य प्रभाव" को पूरा करेगा।

**श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला):** माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मानक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं; वे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मानक निर्माताओं और उद्योगों को प्रभावित करते हैं। वे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। लेकिन इससे भी अधिक, वे सरकारी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। मानक वैश्विक मंच पर हमारे देश की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। और स्वास्थ्य देखभाल में, मानक वास्तव में मरीजों की जान बचा सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं।

मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। पिछली सरकार ने भी इसे माना, इसका श्रेय उन्हें भी जाता है और उन्होंने इसे स्थायी समिति को भेज दिया। स्थायी समिति ने लगभग 12 सिफारिशें दी हैं। एक बार फिर मैं वर्तमान सरकार और मंत्री जी को तत्कालीन स्थायी समिति द्वारा दी गई 12 सिफारिशों में से लगभग 10 को स्वीकार करने और उन्हें विधेयक में शामिल करने के लिए बधाई देता हूँ। यह जानकर खुशी होती है कि हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, ऐसी दुर्लभ परिस्थितियों में हम सभी देश के हित में एकजुट होते हैं। मुझे आशा है कि अन्य विधेयक भी इसी प्रकार पारित होंगे।

विधेयक का उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो के 1986 अधिनियम को निरस्त करना है। यह समयानुकूल और बहुत आवश्यक है। इसका उद्देश्य ब्यूरो के भीतर कार्यकारी और सलाहकार समितियों की सहायता से एक शासी परिषद की स्थापना करना है। बी.आई.एस. को अपने कार्यों - उपभोक्ता संरक्षण और मानकीकृत वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने - के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एक मजबूत कार्यपालिका निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है।

यह कीमती धातुओं, विशेष रूप से सोने को प्रमाणित करता है। इसके बिना प्रधानमंत्री स्वर्ण मुद्राकरण योजना जैसी सरकार की अन्य योजनाएं क्रियान्वित नहीं की जा सकतीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ ही स्वर्ण मुद्राकरण योजना को अब आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। विधेयक में सेवाओं, विशेषकर

स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण पद्धति, सुरक्षा और संरक्षा के मानकीकरण को शामिल करने का प्रयास किया गया है। यह वास्तव में समय की मांग है।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने अब तक केवल 51 अस्पतालों को मान्यता दी है, जबकि 358 आवेदन अभी भी लंबित हैं और उनमें से हजारों ने आवेदन भी नहीं किया है और उन्हें एनएबीएल द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानक इतने निम्न हैं कि असामयिक मृत्यु और रोकथाम योग्य बीमारियों के कारण भारत को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 66 प्रतिशत नुकसान होता है। हमें सेवा क्षेत्र के लिए भी मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन की आवश्यकता है।

हजारों-हजारों मानक हैं, बल्कि लाखों मानक हैं। प्रकाश के लिए मानक हैं, ईंट के लिए मानक हैं, माइक, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर उस उत्पाद के लिए मानक हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। हर उत्पाद का एक मानक होता है। लेकिन सरकार के लिए मानकीकरण, कार्यान्वयन और मानकों की निगरानी और विनियमन की एकमात्र जिम्मेदारी लेना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसलिए, यह उद्योग और अन्य निजी निकायों की जिम्मेदारी है।

यह बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि कल मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है तथा देश के भीतर और बाहर अन्य मानक संस्थानों को मान्यता, समर्थन और प्रत्यायन प्रदान किया है। यह हमारी सरकार और हमारे मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है।

विधेयक में स्व-प्रमाणन का प्रावधान है। पुनः, यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कोई भी व्यक्ति हजारों-लाखों मानकों की निगरानी नहीं कर सकता। इसलिए, स्व-प्रमाणन से चीजें सरल हो जाती हैं। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति स्वयं प्रमाणित करता है, तो जब वह न्यायालय में जाता है, तो उसे यह प्रमाण मिल जाता है कि उसने प्रमाणित किया है और वह नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा कदम है।

यह विधेयक डी.एस.पी. रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के तलाशी लेने, जब्त करने का अधिकार देता है। फिर से, एक स्वागत योग्य कदम। हम विधेयक का समर्थन करते हैं। देश में मानकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह विधेयक बहुत आवश्यक है।

मेरे पास कुछ सुझाव हैं। अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही कई सुझाव दिए जा चुके हैं, इसलिए मैं कुछ सुझावों तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा। बी.आई.एस. को भारत में निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को न केवल मान्यता देकर बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए तथा योग्य ग्राहकों को परीक्षण की लागत में सब्सिडी देनी चाहिए। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए इंटरों और अन्य चीजों के परीक्षण की लागत पर सब्सिडी दें। भले ही वे निजी प्रयोगशालाओं में जाएं, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सब्सिडी देने पर विचार करना चाहिए।

विधेयक में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों को बी.आई.एस. तक पहुंच प्रदान करने का प्रावधान शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह प्रशासनिक एवं प्रवर्तन कार्य नहीं है। मानकों को विकसित करने में बहुत अधिक विज्ञान और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसलिए, सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत देश के सभी वैज्ञानिक संगठनों को बी.आई.एस. के साथ शामिल किया जाना चाहिए।

मुझे लगता है कि विधेयक में एक बात को नजरअंदाज किया गया है और यह स्थायी समिति के समक्ष था कि बी.आई.एस. एक कम कर्मचारियों वाला तथा कम शोध वाला संगठन है। कई भारतीय उत्पाद अभी भी प्रमाणित नहीं हो पाते, क्योंकि प्रयोगशालाएं प्रमाणित नहीं हैं। इसलिए, मेरा मानना है कि हमें बी.आई.एस. को मजबूत बनाने तथा इसमें अधिक कर्मचारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। बदलती प्रौद्योगिकियों और प्रगति के अनुरूप मानकों की नियमित समीक्षा और संशोधन आवश्यक है और इसके कई उदाहरण हैं।

दूसरे, कई नियामक प्राधिकरण हैं जो अपने स्वयं के मानक प्रकाशित करते हैं, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एन.ए.बी.एल., भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि। अतः, कई

मानक संगठन हैं। उन्हें भी एक जैसा ही दर्जा दिया जाना चाहिए। जब उन मानकों का उल्लंघन किया जाए तो समान दंड का प्रावधान होना चाहिए तथा निगरानी के लिए समान शक्तियां होनी चाहिए।

अंत में, इन सभी पर एक सामंजस्य होना चाहिए। सरकार को नई नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानकों पर ध्यान देना चाहिए तथा भारी निवेश करना चाहिए। इस स्वर्ण मुद्रीकरण के मामले में, हमें बहुत खुशी है कि सोने और कीमती धातुओं के लिए मानक हैं।

हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मानक मौजूद नहीं हैं और निश्चित रूप से हमें भारत-विशिष्ट मानकों की आवश्यकता है। मैं सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। हम हजारों करोड़ रुपए का निवेश करने और चीन तथा जर्मनी से सौर पैनल आयात करने की योजना बना रहे हैं। वे एक किलोवाट का पैनल निर्यात करते हैं लेकिन भारत में वह एक किलोवाट का पैनल एक किलोवाट बिजली भी पैदा नहीं करता। यदि यह अच्छे स्तर का भी हो तो भी यह उससे आधी बिजली ही पैदा करता है। इसलिए, भारत में सौर ऊर्जा पर आधारित सभी उद्योग घाटे में हैं, सिवाय दो या तीन के। जिन लोगों ने सौर पैनल का निर्माण शुरू किया था, वे या तो बंद हो गए या घाटे में हैं। जब वे परियोजना का मूल्यांकन करते हैं, तो वे कहते हैं कि सौर मेगावाट की लागत 6 करोड़ रुपये है, लेकिन जब आप इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं, तो पाते हैं कि प्रत्येक सौर मेगावाट की लागत 36 करोड़ रुपये है और यह अव्यवहारिक है। इसलिए, मेरा मानना है कि न केवल निर्यात बल्कि आयात पर भी नजर रखी जानी चाहिए और भारत-विशिष्ट मानक होने चाहिए।

जहां तक फ्लाइ-ऐश ईंटों का सवाल है, एक बार फिर हमारे पास पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं नहीं हैं। फ्लाइ-ऐश ईंटें प्रदूषण को कम करती हैं तथा छोटे उद्यमियों को रोजगार और व्यवसाय प्रदान करती हैं, लेकिन इनका परीक्षण करने तथा निश्चित मानक बनाए रखने में असमर्थता के कारण इन्हें निर्माण उद्योग में अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए, ऐसा करने के लिए और अधिक प्रयोगशालाएं होनी चाहिए।

एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि मैं मानक के लिए कई चीजों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं या उन्हें दोषी ठहरा सकता हूं, लेकिन आज मुझे जो खांसी आ रही है, उसके लिए भी मैं हवा के गुणवत्ता मानक

को जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा। यहां से ठीक 9.9 किलोमीटर दूर एक कचरा प्रबंधन केंद्र है। वे कचरे को जलाते हैं और 30 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मुझे लगता है कि आई.एल. एंड एफ.एस. या उस जैसी कोई कंपनी ऐसा करती है। आज हम दिल्ली में 4,000 टन प्लास्टिक के साथ मिला कर कचरा जला रहे हैं और यह हवा में जा रहा है और प्रदूषण पैदा कर रहा है। इसलिए, वायु के लिए हमारा गुणवत्ता मानक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। वे प्लास्टिक जला रहे हैं और हवा में धुआं छोड़ रहे हैं। जब आप चिमनी को देखते हैं तो वहां कोई धुआं नहीं दिखता क्योंकि अंधेरे के कारण वह अदृश्य है। जब हम यह बात कर रहे हैं, तब यह घटित हो रहा है। हमें मानक लाना चाहिए और इसे कानूनी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि यह वायु गुणवत्ता मानकों का हिस्सा नहीं है।

अंत में, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने कहा कि जी.एस.टी. विधेयक हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसे सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर सकता है। हम विधेयक का समर्थन करते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और भारत के गौरव पर असर पड़ता है।

**श्री पी.के. बीजू (अलथूर):**माननीय सभापती महोदय, सबसे पहले मैं इस विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत करने के सरकार के कदम का स्वागत करता हूँ। सी.पी.आई.(एम ) की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 ने वस्तुओं और प्रक्रियाओं के मानकीकरण, अंकन और प्रमाणन के उद्देश्य से एक ब्यूरो की स्थापना की। 29 वर्षों के बाद, हमें मौजूदा अधिनियम को बदलना होगा और दूसरा विधेयक लाना होगा। 29 वर्षों में, हमने 19,300 मानकों और लगभग 9,500 उत्पादों और सेवाओं का सूत्रधार किया है। जैसा कि पहले सदस्य ने यहां बताया, लाखों उत्पादों और सेवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।

महोदय, यह विधेयक इसके दायरे को व्यापक बनाता है तथा केंद्र सरकार को कुछ अधिसूचित वस्तुओं, वस्तुओं और प्रक्रियाओं के लिए इसे अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।

महोदय, विधेयक में वस्तुओं, सेवाओं और प्रणालियों को शामिल किया गया है तथा इसमें वस्तुओं, सेवाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को भी परिभाषित किया गया है।

बी.आई.एस. की स्थापना के संबंध में कहा गया है कि ब्यूरो ऐसे मानकों को तैयार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति का गठन करेगा तथा एक सामान्य परिषद का गठन करेगा जो ब्यूरो के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन पर नजर रखेगी। हमें ब्यूरो के मानकों और कार्यप्रणाली पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी समिति का भी गठन करना होगा।

महोदय, जहां तक वस्तुओं और सेवाओं के प्रमाणीकरण का प्रश्न है, ब्यूरो गुणवत्ता मानकों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी होगा। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव था। जब मैं राजस्थान की यात्रा पर था, तो मैंने दिल्ली में एक बिसलेरी पानी की बोतल खरीदी। जब मैंने बोतल पर नाम देखा तो उसमें से 'एस' अक्षर गायब था। इसलिए, पूरे देश में ढेर सारे डुप्लिकेट उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। आप देश में स्व-प्रमाणन कैसे लागू कर सकते हैं? मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें।

ब्यूरो माल, सेवाओं और वस्तुओं के गुणवत्ता मूल्यांकन और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित और रखरखाव कर सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देश में वर्तमान प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है। मुझे एक समाचार मिला है और महोदय, आपकी अनुमति से मैं उस समाचार को उद्धृत करना चाहूंगा। हमारे केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने रविवार को पटना स्थित एक प्रयोगशाला का दौरा किया। कार्यालय और प्रयोगशाला के निरीक्षण के दौरान श्री पासवान ने पाया कि गुणवत्ता जांच के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपकरण काम नहीं कर रहे थे। जब कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी तो मंत्री जी ने उनसे पूछा कि वे अपना काम कैसे कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारी का तबादला भी अन्यत्र कर दिया। हमारे देश में आठ प्रयोगशालाएं हैं और हमारे पास अधिकारी भी हैं, लेकिन वे अच्छी कार्यशील स्थिति में नहीं हैं।

मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, हम हर साल 25,000 वस्तुओं और सेवाओं को प्रमाणित करते हैं। वह कैसे संभव हो सकता है? पर्याप्त कार्यशील उपकरणों के बिना प्रतिवर्ष वस्तुओं एवं सेवाओं को 25,000 प्रमाण-पत्र देना कैसे संभव हो सकता है? मंत्रालय स्तर पर हमारी प्रयोगशालाओं तथा देश भर में हमारे अधिकारियों की स्थिति पर गंभीर निगरानी की आवश्यकता है।

हॉलमार्किंग का उपयोग चांदी, सोना, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी कीमती धातु वस्तुओं और उनकी मिश्र धातुओं को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। हॉलमार्क भारतीय मानकों के अनुसार किसी वस्तु में कीमती धातु की आनुपातिक मात्रा को दर्शाता है। हमारे देश में सोने की वार्षिक खपत, जो 1982 में 65 टन अनुमानित थी, 2015 में बढ़कर 500 टन से अधिक हो गयी है। इसलिए, विशेष रूप से सोने के हॉलमार्किंग कार्य में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान कार्यालय और प्रयोगशालाएं हमारे देश की इस आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकती हैं? यह इस विधेयक में भी अनुपस्थित है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पर गौर करें। हमारे देश में एक लाख से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं। हमें इस मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा।

भारत सोने की हॉलमार्किंग के संबंध में 1972 और 1975 के वियना कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। लेकिन आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पीछे हैं।

जहां तक वस्तुओं के अनिवार्य प्रमाणीकरण का सवाल है, विधेयक केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं और सामानों को अधिसूचित करने की अनुमति देता है, जिन पर सार्वजनिक हित, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार और व्यवहार की रोकथाम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में मानक चिह्न लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन खाद्य पदार्थ इस सूची में शामिल नहीं हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें खाद्य पदार्थों को भी शामिल किया जाए।

हम अपने देश में नेस्ले मैगी पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध से अवगत हैं। लेकिन वे अदालत गए और उन्हें कुछ राहत मिली। यह कैसे संभव है कि किसी खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में सीसा पाया जाता है, जो हमारे देश में कई वर्षों से जारी है? मैगी पर प्रतिबंध के बाद भी पतंजलि ने नूडल्स पेश किया और हमारे देश में इसकी मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। यह कैसे संभव है? मेरा मानना है कि खाद्य पदार्थों की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका असर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पर पड़ेगा। इसलिए, जहां तक हमारे देश में खाद्य पदार्थों के मानकीकरण का प्रश्न है, सरकार द्वारा इस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

इस विधेयक में 5 लाख रुपए जुमाने का प्रावधान है। मेरा मानना है कि इसे पर्याप्त मात्रा तक बढ़ाया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण के लिए अध्याय 5 में धारा 31 है लेकिन वह स्पष्ट नहीं है। विभिन्न एजेंसियों से उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ मिलेगा? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें।

हमारे देश में बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। हाल ही में मीडिया में एक प्रतिवेदन आई थी कि हमारे देश में उत्पादित 20 प्रतिशत दवाइयां निर्धारित मानकों से पीछे हैं। इसके अलावा, इनमें से कुछ दवाएं पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि इससे हमारे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी असर पड़ेगा।

[हिन्दी]

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) :** सभापति महोदय, आपने अति महत्वपूर्ण इंडियन स्टैन्डर्ड इंस्टीट्यूट बिल पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। इस देश की सारी जनता के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक कानून में संशोधन लेकर आए हैं। इस कानून में 29 सालों के बाद सुधार आ रहा है और मेरी सरकार यह सुधार ला रही है। इसे मैं बहुत आनंददायी घटना समझता हूँ।

सभापति महोदय, मैं छोटी-छोटी चीजों की तरफ देखता हूँ, तो हर चीज में आईएसआई मार्क लगा होता है। मंत्री जी ने इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि वह हॉल मार्क जैसा आना चाहिए। कोई भी आईएसआई मार्क के लिए प्लास्टिक की पर्ची लगा देता है। पता नहीं, वह आईएसआई है या नहीं, उसे कौन जांचेगा? अब कोई भी मैटीरियल ले लो, बर्तन ले लो या कोई भी चीज हम मार्केट से लेते हैं, चाहे वह धातु हो या कोई अन्य चीज। हर चीज पर कभी-कभी आईएसआई मार्क मिलता है। दूध की थैली पर भी आईएसआई मार्क मिलता है, लेकिन फिर भी उस दूध में प्रदूषण है। उसमें कुछ जहर इत्यादि मिक्स किया हुआ है। ऐसा करने में किसी को डर नहीं लगता था। यह पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। आपने कौन सी चीजें को लिया है? आपने एक भी छोटी चीज नहीं छोड़ी। मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य श्री बीजू ने खाद्य उत्पादों का उल्लेख किया या नहीं। लेकिन खाद्य उत्पादों को भी बी.आई.एस. द्वारा प्रमाणित किया जाता है क्योंकि उनका प्रसंस्करण किया जाता है। ऐसा नहीं है? मानक तो होंगे ही। बी.आई.एस. को इसका प्रमाणन करना होगा। हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहां चाइना की चीजें आ रही हैं। उन पर भी आईएसआई मार्क लगाकर मार्केट में बेच देंगे। आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि अगर गाड़ी भी ले लें, नया मॉडल भी बाहर आ गया और उसे यहां लाना है तो सटीरफिकेशन करना पड़ेगा और बिना सटीरफिकेशन के गाड़ी मार्केट में नहीं आयेगी। यह बहुत ही स्वागत योग्य घटना है।

मैं इसमें दो-तीन चीजों का ही जिक्र करूंगा। जब आप आईएसआई कर ही रहे हैं, तो इन चीजों में हमारी जो यंत्रणा खड़ी होगी, उस पर मुझे संदेह है। अच्छा हुआ कि लाइसेंस राज चला गया, लेकिन जो यंत्रणा हम

खड़ी करने वाले हैं, वह बहुत सशक्त होनी चाहिए। अगर वह सशक्त नहीं हुई, तो फिर हमें इसके परिणाम नहीं मिलेंगे।

सभापति महोदय, मैं बहुत डिटेल में बोलने की बजाय दो-तीन चीजों का खास जिक्र करूंगा कि इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, उसमें यह कम्प्लसरी कर दिया है कि गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा, उसे लेकर आना ही पड़ेगा, सर्टीफाइड करना ही पड़ेगा। उसके बाद वह मार्केट में आयेगा। अब जब मार्केट में आया है, तो उसकी जांच करने के लिए एक टीम होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब सटीरफिकेट आ गया, पता नहीं वह आया या नहीं। लाइसेंस राज न हो, लेकिन सरप्राइज विजिट करके मार्केट में देखना चाहिए। मैं फूड प्रोडक्ट्स में देखता हूँ खासकर दूध के बारे में प्रताड़ना हो रही है। हम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए जो शासन होना चाहिए था, वह शासन इससे भी ज्यादा सख्त इस कानून में आना चाहिए था। हम जो जहर बच्चों को दे रहे हैं, उसके लिए सख्त शासन होना चाहिए। मानक चिह्न के बिना कुछ वस्तुओं के निर्माण/बिक्री पर प्रतिबंध। मैं समझता हूँ कि यही उसकी बहुत महत्वपूर्ण कलम है। इन्होंने एक चीज और कही है। एक क्लोज और है कि - भारत के बाहर भी मान्यता। यदि यह कार्य भारत से बाहर किया गया है, तो भारत में या बाहर किसी ऐसे संस्थान को मान्यता या प्रत्यायन प्रदान किया जाना चाहिए जो मानकीकरण में लगा हुआ है। ये चीजें पब्लिक को कैसे मालूम होंगी? मैं माननीय मंत्री जी से विनती है कि छोटी-छोटी चीजों की जानकारी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता की तरफ जानी चाहिए। हम कानून अच्छे बनाते हैं, लेकिन हाल ही में मैगी का क्या हुआ? हमने देखा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि मैगी जहरीली है, इसलिए उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। उसके बाद किसी ने कह दिया कि मैगी अच्छी है, तो फिर वह मार्केट में आ गयी। अब हमारी सरकार कहती है कि हम मैगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे, लेकिन तब तक लोग मैगी खा लेंगे। ये जो चीजें हो रही हैं, उसे रोकने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह कानून आगे चलकर इसमें रुकावट लायेगा।

आजकल बाजार में आ रहे केले देखिए। पहले केले का छिलका पीला दिखता था, तो अच्छा समझते थे, अगर उस पर दाम रहते थे तो और अच्छा समझते थे। लेकिन आजकल टेबल वेराइटी आ गई है, उसका

छिलका पीला होता है, पूछते हैं तो कहा जाता है कि किसी कैमिकल में डुबाकर लाते हैं। इसे कौन देखने वाला है? बाजार में सब्जियां, फ्रूट बेचे जा रहे हैं, क्या इस पर ध्यान है? जैसे केले की बात है, वैसे ही आम की भी बात है। आम का सीजन अप्रैल से शुरू होता है लेकिन हम देखते हैं कि दिसंबर में भी मार्केट में आ जाता है। इसका भी छिलका पीला होता है, इसके लिए कुछ कैमिकल यूज करते हैं। मेरा प्रश्न है कि कैमिकल यूज पर कैसे प्रतिबंध लगेगा?

पहली बात है कि मैनुफैक्चर और प्रोडक्शन पर कंट्रोल होना चाहिए। प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आगेरनिक खेती की बात हो रही है। सिक्किम राज्य आगेरनिक खेती करता है, यह बहुत स्वागत योग्य है। मेरा प्रश्न है कि इन प्रोडक्ट्स के लिए क्या करने वाले हैं? सेब देखो तो लगेगा कि बहुत सुंदर प्रदेश से आए हैं। इनके बारे में पूछते हैं तो कहा जाता है कि कश्मीर से आए हैं, अच्छे हैं। इन चीजों पर विचार होना चाहिए। मुझे लगता है एक ही समय पर सब कुछ नहीं होगा लेकिन मेरा विश्वास है कि इन चीजों पर सरकार ध्यान देगी। माननीय मंत्री जी इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देंगे।

अंत में, मैं एक बार दोबारा इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर):** महोदय, भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मैं केंद्र सरकार और माननीय मंत्री जी को 1986 के अधिनियम के स्थान पर यह महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूँ, वह भी ऐसे समय में जब भारत ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम के आसान और मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था को और अधिक वैश्विक बनाने की आशा कर रहा है। हमारी मानक व्यवस्था अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। यदि हमें वैश्विक बाजारों में नाम कमाना है तो हमारे पास विश्व स्तर पर स्वीकार्य मानकों को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

भारतीय निर्यातकों को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें उत्पादों को अनिवार्य मानकों पर खरा न उतरने के आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी स्थितियां अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे प्रमुख बाजारों में सामने आती हैं। इसी प्रकार, यदि हमारे पास उचित मानक व्यवस्था नहीं होगी, तो हम घटिया उत्पाद आयात करेंगे और यही इस समय हो रहा है।

जो उद्देश्य और कारण इस विधेयक का हिस्सा बन रहे हैं, उनका सार इस प्रकार है:

“व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) अनुबंध सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने और प्रमाणन प्रणालियों की पारस्परिक मान्यता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व व्यापार संगठन के दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि मानकों का प्रवर्तन घरेलू उद्योग और आयातित वस्तुओं दोनों के लिए एक समान होना चाहिए। विश्व व्यापार में मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रणालियों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, यह आवश्यक है कि बी.आई.एस. भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में भविष्य की चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करने के लिए खुद को फिर से उन्मुख करे।”

विधेयक की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- (एक) वर्तमान में केवल उत्पाद एवं प्रणालियां ही मानकों के दायरे में आती हैं। विधेयक में मानकीकरण व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त सेवाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।
- (दो) यह सरकार को ऐसी वस्तु, प्रक्रिया या सेवा को अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के अंतर्गत लाने में सक्षम बनाएगा जिसे वह स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम, सुरक्षा आदि की दृष्टि से आवश्यक समझती है।

(तीन) अनिवार्य प्रमाणीकरण से उपभोक्ताओं को आई.एस.आई. प्रमाणित उत्पाद प्राप्त करने में मदद मिलेगी और घटिया उत्पादों के आयात को रोकने में भी मदद मिलेगी।

समाचारों में यह बात व्यापक रूप से बताई जा रही है कि दूध, फल, घी, मत्स्यपालन, जलकृषि, बागवानी आदि जैसे महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादों में खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, फास्ट फूड आदि की तो बात ही छोड़िए।

### **अपराह 04.55 बजे** (माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

केवल तीन दिन पहले ही सरकार ने नकली मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जो किसी और को नहीं बल्कि तिरुमाला बालाजी मंदिर को दिया जाता था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 15 अक्टूबर 2015 को पश्चिम विहार डी.डी.ए. प्लैट में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। यह पूरे देश में हो रहा है।

हेडलाइंस टुडे द्वारा किए गए खुलासे से पता चला है कि हम जो घी खाते हैं, वह दूध से नहीं बनाया जाता है। बल्कि, घी तैयार करने के लिए पशु वसा, कुचली हुई पशु हड्डियां, गंध के लिए ताड़ का तेल, एसेंस और खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें शामिल लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बावजूद भी काम कर रहे हैं।

कुछ महीने पहले ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों सरकारों को निर्देश दिया था कि वे सभी फलों की दुकानों, विशेषकर आम की दुकानों पर तुरंत छापेमारी करें, क्योंकि वे फलों को पकाने के लिए खतरनाक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा,

"कुछ अतिरिक्त रूप कमाने के लिए आप कई लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे व्यापारी आतंकवादियों से भी बदतर हैं, जो धीमे जहर से लोगों की कई पीढ़ियों को मार रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसके दो मुख्य उत्पाद, एसिटिलीन, एक

रंगहीन गैस, जिसका व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और कैल्शियम साइनामाइड, जिसका उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है, मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है और कैंसरकारी है। किसान प्राकृतिक रूप से पकने से पहले ही फलों को तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में भेज देते हैं, जहां उन्हें कैल्शियम कार्बाइड से उपचारित किया जाता है, जो हार्मोन उत्तेजक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार पकने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। ”

तेलंगाना सरकार ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसमें दूध बनाने में यूरिया और डिटर्जेंट मिलाया जा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कैंसर रोग जंगली आग की तरह बढ़ रहा है।

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी ने मार्च में संसद के बजट सत्र में स्वीकार किया था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बहुत गंभीर मुद्दा है। एफ.एस.एस.ए.आई. की वार्षिक सार्वजनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन 2014-15 के अनुसार भारत में पांच में से एक खाद्य नमूना गुणवत्ता परीक्षण में असफल हो जाता है। शीर्ष खाद्य निकाय द्वारा जांचे गए 49,290 खाद्य नमूनों में से 8,469 नमूने खाद्य सुरक्षा के लिए प्रयोगशाला परीक्षण में खरे नहीं उतरे, जिससे खाद्य पदार्थों में मिलावट, संदूषण या गलत लेबलिंग की दर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह 2011-12 में केवल 13 प्रतिशत था। फिर भी खाद्य पदार्थों में आर्थिक उद्देश्य से मिलावट के लिए सजा की संख्या 2013-14 में 3,845 से घटकर अब केवल 1,256 रह गई है।

अब समय आ गया है कि देश में सभी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत द्वारा निर्यात बाजार पर कब्जा न कर पाने का एक कारण गुणवत्ता का मुद्दा है। यद्यपि अच्छे इरादे से कानून बनाना स्वागत योग्य है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में उच्च मानकों को प्राप्त किया जाए। अन्यथा, एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने के हमारे सभी प्रयास सफल नहीं होंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। हम लोगों द्वारा, इस सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि हमारा देश तेजी से तरक्की की ओर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका सांचा बना हुआ है, वह अंदर से खोखला है क्योंकि चाहे हम इंसान की बात करें या देश की बात करें, जिस तरह के माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें जो मिलावट होती है, उससे हम सभी लोगों का, इंसानों का और इस देश का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।

### **अपराह्न 05.00 बजे**

सदन में हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जब ये हमारी उम्र के थे, उस समय घी-दूध और अच्छी मात्रा में खाते थे, लेकिन कोई भी इन चीजों में मिलावट न होने की वजह से बीमार नहीं पड़ता था। आज की तारीख में अगर हम इनकी तरह एक-एक लोटा भरकर घी खा लें तो जिंदा नहीं बचेंगे। यह सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है? डाक्टर मना कर देता है कि घी मत खाना, दूध मत पीना क्योंकि कोलोस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यह सब मिलावट के कारण ही हो रहा है। जो चीजें प्राकृतिक हैं, आप उनका कितना भी सेवन कीजिए वे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी लेकिन अगर वही चीज नकली है तो वह आपको तुरंत नुकसान करेगी।

माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा देश तरक्की की ओर चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा देश तरक्की की तरफ चल रहा है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं कि हम जिस बिल को लेकर आए हैं, इसमें इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात कही गई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन जब भी कहीं सख्ती की जाती है, कड़ा कानून आता है तो उसका एक डर भी रहता है कि क्या यह कानून सही रास्ते पर जाएगा या गलत रास्ते पर जाएगा। कहीं इस कानून के द्वारा भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। कोई प्रोडक्ट अगर पास करवाना है, क्या उसे पास कराने के लिए कहीं गलत तरीका तो नहीं अपनाया जाएगा, इस चीज को भी माननीय मंत्री जी को देखना पड़ेगा। मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर फोरम है, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाए कि उनकी भी राय है और

प्रोडक्ट को जांचने की उनकी क्षमता को देखा जाए। मैगी का मामला हम सभी ने देखा कि एक लैब उसे पास कर देती थी और दूसरी लैब उसे फेल कर देती थी। उसकी क्या हकीकत रही, किस लैब ने उसके सैम्पल को पास किया और किसने फेल किया, अगर आपस में लैब के रिजल्ट्स में विरोधाभास है तो इसका मतलब है कि हमारी लैब में भी खामियां हैं। हम यह बिल ले कर आ रहे हैं लेकिन इनके प्रोडक्ट्स की जांच जब लैब में की जाएगी, तो उनकी रिपोर्ट्स अलग-अलग आएगी, तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता जांचने में समस्या सामने आएगी।

महोदय, हम लोग हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें। हम सभी में से बहुत से सदस्य दिल्ली में खान मार्केट जाते होंगे। वहां जॉनसन एंड जॉनसन की एक क्रीम रखी है। उसमें से एक हिंदुस्तान में बनी है और एक विदेश में बनी है। हम लोग बाहर वाली क्रीम को क्यों प्रेफर देते हैं। ऐसा उसमें क्या है? हमारा भरोसा हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पर से उठा हुआ है। इस भरोसे को हमें बरकरार करना पड़ेगा। मैं सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों से और जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी अपील करूंगा कि हमारे यहां की जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनकी रक्षा हम लोगों को ही करनी पड़ेगी और इस बिल को हम सर्वसम्मति से पारित करें तथा यह बिल अच्छी तरह से लागू हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री ओम बिरला (कोटा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे एक महत्वपूर्ण बिल इस सदन में लेकर आये हैं। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बिल की आवश्यकता थी। भारतीय मानक ब्यूरो, 1986 को हटाकर भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 लाया जा रहा है। भारत देश उपभोक्ताओं का एक बड़ा देश है। यह देश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामानों का एक बहुत बड़ा बाजार भी है। जिस तरीके से हिन्दुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे उत्पाद वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए, सेवाएँ देने के लिए एक नया अध्याय शुरू किया है। इस देश के अंदर भारतीय उत्पादों का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। भारतीय वस्तुओं के सेवाओं का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसी तरीके से हमारी कुछ धातु की वस्तुएँ जिसमें सोना, चांदी आदि वस्तुएँ आ जाती हैं। एक बहुत बड़ा व्यापार हिन्दुस्तान से बाहर भी होता है। इसलिए हम देश के अंदर हमारे मानक इतने स्टैंडर्ड के हों कि विश्व के अंदर भारत का माल जाए, तो उस माल की एक खास पहचान बनी रहे।

केवल निर्यात ही नहीं, जिस प्रकार से हिन्दुस्तान की आबादी 125 करोड़ है और उसके कारण हमारे यहाँ उपभोक्ता गांव की अंतिम ढांणी तक हैं, उनको भी माल-वस्तुएं, सेवाएँ बेहतरीन क्वालिटी की मिले, उसके लिए एक नये अध्याय की शुरुआत मंत्री जी ने की है। इस बिल के माध्यम से हम वस्तुएँ और सेवाएँ भी ले रहे हैं। आज दुनिया में एक नया चलन है कि आज सिस्टम के आधार पर सारा विश्व चल रहा है, उस सिस्टम को भी इस मानक ब्यूरो के तहत लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

आज ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की आवश्यकता है क्योंकि यदि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार बनाना चाहते हैं और इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और डब्ल्यूटीओ के तमाम मानकों को भी स्टैंडर्डइज्ड करने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 18(चार) में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आईएसआई द्वारा प्रमाणित कंपनी बाद में गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर हो जाती है, उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाती है, तो बाजार से उस कंपनी के माल को वापस मंगाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहता हूँ।

माननीय मंत्री महोदय, भारत एक बहुत बड़ा देश है। कुछ चीजें एफएसएसआई के तहत आती हैं, कुछ भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड के तहत भी आती हैं, कहीं न कहीं दोनों में कुछ टकराहट की स्थिति बन रही है क्योंकि जो खाद्य वस्तुएँ हैं, वे एफएसएसआई के अंतर्गत भी आती हैं और कुछ खाद्य वस्तुएँ भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड के तहत भी आती हैं।

नियमों में प्रावधान है कि जब कभी कंट्रोवर्सी होगी, दोनों एजेंसीज बैठकर इसका फैसला करेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम हॉलमार्किंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश में इतना बड़ा बाजार होने के बाद भी हमारे पास केवल 321 ऐसी एजेंसीज हैं जो हॉलमार्किंग को स्टैंडर्डाइज करेंगी। केवल 321 एजेंसी और इतना बड़ा हिन्दुस्तान का बाजार, इसलिए आपने इसमें सेल्फ-सर्टिफिकेशन की क्लॉज रखी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हॉलमार्क के अंदर भी आपने सेल्फ-सर्टिफिकेशन को एलाऊ किया है? यह बात आप अपने वक्तव्य में स्पष्ट करें। यह बात सही है कि आईएसआई के बारे में कई माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि हमारे यहां खराब उत्पाद, कम क्वालिटी वाले उत्पाद भी देश का इतना बड़ा बाजार होने के कारण आईएसआई मार्क लगाकर बिकता है। इसलिए आज जिस तरह से पूरे विश्व में टेस्ट लेबोरेट्रीज बन रही हैं, आधुनिक यंत्र आ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप इनके लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन एलाऊ करें या हमारी लैब तैयार करें तो वह लैबोरेटरी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हमने इस विधेयक को ठीक से लागू कर दिया और इसके आधार पर जो शर्तें रखी गयी हैं, इसमें जो दण्ड रखा गया है, वह बहुत कम है। भारत में पांच लाख रुपये और एक साल का दण्ड कम है। देश के इतने बड़े बाजार और उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए यदि कोई ट्रेडर या मैन्यूफैक्चरर बड़ी गड़बड़ कर दे और पांच लाख रुपये के जुर्माने के बाद छूट जाए तो यह गंभीर बात है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से खाद्य कानून के अंतर्गत आजीवन सजा का प्रावधान है, उसी तरह से आजीवन सजा का प्रावधान भले ही न हो, कानून इतना कठोर हो कि उसमें कोई भी आईएसआई मार्क का दुरुपयोग नहीं कर सके, कम स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान नहीं बना सके, ताकि भारत का माल विश्व में जाए और भारत के उत्पाद वहां बिकें

तो आईएसआई मार्क की एक अलग पहचान रहे, तभी हम इस विधेयक के माध्यम से देश के उपभोक्ताओं को नई दिशा दे पाएंगे।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद।

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आज बहुत ही गंभीर विषय पर बहस चल रही है क्योंकि इस बिल का संबंध हमारे करोड़ों देशवासियों की सेहत से है, उनकी जिन्दगी और मौत से है। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्री जी की मंशा चीजों को अधिक क्वालिटी वाला बनाना, खान-पान की वस्तुओं को मिलावटरहित करना है। लेकिन मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी यही कहा था कि हमें इसमें दो-तीन चीजों का ख्याल रखना होगा कि कहीं कड़ा कानून बनाकर हम इंस्पेक्टर राज में रिश्त को बढ़ावा देने का मौका न दें। बाकी चीजों में भी कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन वे लागू कितने प्रतिशत होते हैं, यह देखने की बात है। अभी बात चल रही है सब्जियों की, हमारे पंजाब में ऐसे बहुत से केसेज आए हैं कि बड़ी नामवर मंडियों में भी जो सब्जियां हर रोज आती हैं, कहा जाता है कि उन सब्जियों को मार्केट में पहले आने के लिए केमिकल के टीके लगाकर जल्दी पकाया जाता है। इसी तरह से फल मार्केट में भी केमिकल्स का इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर यह विधेयक इस चीज को रोकने की मंशा से लाया जा रहा है तो हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि जितने भी मिलावट के केस पकड़े जाते हैं, कितने प्रतिशत में सजा हुई है। सिर्फ दीवाली के दिनों में या त्योहार के दिनों में छापे पड़ते हैं और अखबार में खबरें आती हैं कि इतने क्विंटल नकली मिठाई पकड़ी गयी। लेकिन उनमें से कितने लोगों को सजा हुई? नकली दूध पकड़ा गया, लेकिन कितनों को सजा हुई? मैगी का उदाहरण लगभग सभी वक्ताओं ने दिया है। लैब के स्टैंडर्ड की जहां तक बात है तो कोई लैब उसको पास कर देती है और कोई लैब उसको फेल कर देती है। इससे मुझे कमी लैब में नहीं, कमी नीयत में लगती है। नीति में कोई कमी नहीं है, बल्कि नीयत में कमी है। अगर नीयत उसको लागू

करने की है तो नीतियां तो हैं। इसलिए लैब्स अगर करप्शन या इंस्पेक्टर राज में चलती हैं तो हमारे देश में यह माना जाता है कि अगर आप रिश्त लेते हुए पकड़े गए तो रिश्त देकर छूट भी सकते हैं। इसलिए यह न हो कि मिलावट के केस में कितनी सजा है? पांच लाख का जुर्माना है। यह तो कुछ भी नहीं है, जब तक उनको पता चलेगा तब तक हम करोड़ों कमा जाएंगे। ऐसा न हो कि इस कानून का मिसयूज हो जाए। बहुत से डॉक्टर्स ने भी कहा है। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब के लोग खाने-पीने के लिए जाने जाते हैं। हेल्दी फूड में सरसों का साग, दही, लस्सी, मक्खन और परांठे इत्यादि हैं। लेकिन आजकल पंजाब की खुराक जहरीली हो चुकी है। फसलों और सब्जियों पर जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। उससे काला पीलिया और कैंसर होता है। हम सब्जियों को जो पानी देते हैं, वह भी दूषित हो चुका है। क्योंकि फेक्टरिज़ का दूषित पानी वह धरती में डायरेक्ट डम्प कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि यह कानून इंस्पेक्टर राज से बचे। कहीं ऐसा न हो कि हम करप्शन करने के लिए लोगों को एक मौका दे दें। दूसरा, इसको केवल त्योहारों तक ही सीमित न रखा जाए। मैं यहां विदेशों की मिसाल दूंगा, अमेरिका में दो-तीन साल पहले टमाटर में कुछ कमजोरी कीटनाशक की वजह से नजर आयी थी। उसमें ऐसा कुछ पाया गया था कि लोग बीमार हो रहे थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पूरे टमाटर का वापस ले लिया था और किसी बर्गर, पिज्जा और किसी खाने-पीने की चीज में टमाटर अलाऊ नहीं था, जब तक उन्होंने उसको क्लीयर नहीं किया कि टमाटर खाने लायक है। अगर हम इस तरह का स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मेरी यह बार-बार विनती है कि कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन कानून लागू नहीं होते हैं। यह कानून भी केवल चर्चा और घोषणा तक सीमित न रहे, इसको सख्ती से लागू करें ताकि देश के करोड़ों लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे बचा जा सके और भारत को हम तंदरुस्त और हेल्दी भारत बना सकें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री अभिजीत मुखर्जी (जंगीपुर):** महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेतृत्व का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी।

महोदय, इस विधेयक के समर्थन में मैं कुछ मुद्दा उठाऊंगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन पर विचार करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 मौजूदा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 का स्थान लेगा। मूल रूप से यह नई बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है। नये उपाय मूलतः पुराने उपायों की पुनः पैकेजिंग हैं।

इस विधेयक में भारतीय मानक ब्यूरो को एक राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसे 'राष्ट्रीय मानक ब्यूरो' कहा जाएगा। विधेयक में मानकीकरण व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, प्रणालियों के अलावा लेख और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। यह एक बहुत अच्छी पहल है।

चूंकि प्रस्तावित विधेयक में कुछ नए कदम सुझाए गए हैं, इसलिए इस विधेयक के कार्यान्वयन की सफलता मानकीकरण के लिए इस नए विधेयक में उल्लिखित प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों में प्रशिक्षण पर निर्भर करेगी। कहा जाता है कि शैतान विस्तार में छिपा होता है; यह बात इस मामले में भी सत्य है। विधेयक के नियम और उसका वास्तविक कार्यान्वयन इस अधिनियम की प्रभावकारिता तय करेंगे।

ई-गवर्नेंस पद्धति में आजकल बहुत सी चीजें ऑनलाइन की जा रही हैं, जिससे संगठन या किसी भी इंसान के साथ व्यक्तिगत संपर्क खत्म हो रहा है, जिससे अंततः भ्रष्टाचार कम हो रहा है।

नया विधेयक इस संबंध में विश्वास नहीं जगाता है और न ही यह इरादा व्यक्त करता है कि वह ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देगा। संशोधन हर दिन नहीं होते, इसलिए जब भी किया जाए तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए, इस विधेयक में ई-गवर्नेंस की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की मंशा दर्शाई जानी चाहिए थी।

'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा देने के लिए 'अनुरूपता की स्व-घोषणा' (एस.डी.ओ.सी.) का प्रावधान शुरू किया गया है। यह एक बहुत ही नई पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि स्व-घोषणा कैसे की जाएगी, इस अधिनियम के उपयोगकर्ता कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, कदाचारों पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा, आदि। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

इस विधेयक में सेवाओं को उचित महत्व नहीं दिया गया है। इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि सेवाएं प्रदान की जानी हैं और उनकी गुणवत्ता सत्यापन योग्य और मात्रात्मक होनी चाहिए।

इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि सेवाएं प्रदान की जानी हैं और उनकी गुणवत्ता सत्यापन योग्य और मात्रात्मक होनी चाहिए। यह अधिकारियों के साथ-साथ सेवाओं के निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं पर भी लागू होना चाहिए। अपने-अपने उत्तरदायित्वों में विफल रहने की स्थिति में अधिकारियों और निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी या जवाबदेही तय की जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों तथा भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या अधिकारियों को दी जाने वाली सजा की मात्रा को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

यह विधेयक किसी विनिर्माता या किसी विशेष इकाई को कार्यान्वयन एजेंसियों या किसी कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने या परेशान किए जाने की स्थिति में किसी निवारण तंत्र पर भी मौन है। उदाहरण के लिए, आयकर विभाग में शिकायत निवारण तंत्र के दो स्तर हैं: एक अपीलीय प्राधिकरण और दूसरा न्यायाधिकरण। ऐसी ही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए ताकि अगर कोई समस्या हो तो व्यक्ति को पता हो कि अमुक सीमा के लिए वह अमुक एजेंसी के पास जा सकता है और अगर वह इस एजेंसी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह किसी अन्य उच्च अधिकारी के पास जा सकता है।

मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, जिसके बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यह एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए जो सरकार के प्रभाव, नौकरशाही के प्रभाव से बिल्कुल अलग हो। सभी मानकों को मानकीकृत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के इंजीनियर, डॉक्टर, सी.ए. और अन्य पेशेवरों जैसे विशेषज्ञों को

इसकी परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगा। श्री पासवान पूर्व इस्पात मंत्री थे और मेरे बॉस भी थे। हम हॉट रोल्ड कॉइल्स और सीआर (कोल्ड रोल्ड) कॉइल्स जैसी स्टील सामग्री का निर्यात करते हैं। हम इसे अमेरिकी मानकों के अनुसार रसायन विज्ञान और भौतिक गुणों के अनुसार बनाते हैं। लेकिन साथ ही, रोलिंग टॉलरेंस आदि जैसे भौतिक मानकों के लिए, हम भारतीय मानकों का पालन करते हैं, जिनमें आयामों में बहुत भिन्नताएं होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय देशों द्वारा इसे आम तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है और इसके कारण हम बहुत सारे निर्यात ऑर्डर और विदेशी मुद्रा खो देते हैं। इसलिए, मेरी अपील यह भी होगी कि सभी मानकों को मानकीकृत किया जाए ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य हों, तभी हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक स्वीकार्य होंगे। इसे आयात के साथ-साथ निर्यात पर भी लागू किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**\*श्री चरनजीत सिंह रोड़ी (सिरसा):** माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक: 'भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015' पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस ऐतिहासिक विधेयक को इस महती सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे आम आदमी को काफी मदद मिलेगी। मैं अपनी पार्टी 'इंडियन नेशनल लोकदल' और अपनी ओर से इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत करता हूँ।

महोदय, यह विधेयक निश्चित रूप से नकली उत्पादों की समस्या पर रोक लगाएगा। बाजार मिलावटी चीजों से भरा है। जब भी कोई कंपनी कोई उत्पाद लॉन्च करती है, तो उस उत्पाद की नकली प्रतियां बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। यह भारत के लिए अभिशाप रहा है। लोगों को यह पता नहीं होता कि कौन-सा उत्पाद असली है और कौन-सा नकली।

महोदय, मिलावटी या नकली सामान के कारण आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाजार में बेचा जा रहा सोना या चांदी शुद्ध या असली है। इसमें कोई हॉलमार्क या प्रमाणीकरण नहीं है। इसलिए, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इससे निश्चित रूप से नकली या मिलावटी सामान की समस्या पर लगाम लगेगी..

महोदय, मैं हरियाणा के सिरसा निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ। पिछले वर्ष पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा एक कीटनाशक का प्रयोग किया गया था। इसे 8000 रुपये की ऊंची कीमत पर बेचा गया। हालांकि, फसल से भरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भी हम फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट से छुटकारा नहीं पा सके। बेकार कीटनाशक के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें ऊंची कीमत चुकानी पड़ी लेकिन कीटनाशक बेअसर रहा।

महोदय, इस विधेयक को लाने में माननीय मंत्री जी की पहल की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने अप्रभावी कीटनाशक बेचने वाली फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई

---

\* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

नहीं की। इसके मालिकों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की थी लेकिन उन्हें सजा नहीं दी गई। यहां तक कि असहाय किसानों को भी उनके वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दिया गया। यह एक दुःखद स्थिति है।

हालांकि, मैं माननीय मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। इससे आम आदमी की परेशानी कम होगी। इस पहल के लिए हरियाणा और भारत के किसान माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे। इस कानून के सही ढंग से लागू होने से निश्चित तौर पर आम आदमी को मदद मिलेगी। मानकीकरण के आई.एस.आई. मार्क से निश्चित तौर पर नकली और फर्जी उत्पादों पर लगाम लगेगी। बाजार में असली फल, सब्जियां और यूरिया आदि बेचे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कानून का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा।

महोदय, माननीय मंत्री जी एक कर्मठ व्यक्ति हैं। संविधान और डॉ. भीम राव अंबेडकर पर चर्चा के दौरान माननीय मंत्री ने एक प्रभावशाली दोहा सुनाया था। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। यह एक भावपूर्ण दोहा था।

माननीय उपाध्यक्ष, इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय मंत्री राम विलास पासवान जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि पहली बार किसी मंत्री ने किसी बिल के बारे में विस्तृत चर्चा के पहले यहां पर जानकारी दी है, जिससे बहुत सारे सदस्यों को एक दिशा प्राप्त हुई है। ऐसा मैं मानता हूँ। जब देश ने डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती के माध्यम से संविधान दिवस के ऊपर बहुत सारी अच्छी बातें चर्चा के माध्यम से करते हुए, देश में एक अच्छा वातावरण जब निर्माण हुआ, ऐसे समय पर एक क्रांतिकारी बिल लाने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ कि राम विलास पासवान जी ने अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में दिया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मैं ऐसा मानता हूँ।

महोदय, मुझे प्रधानमंत्री जी का लालकिले का वह भाषण भी याद आता है, जो बच्चे 10वीं या 12वीं पास होते हैं, तो उनको अटेस्टेशन के लिए बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता था। बच्चों को एक तोहफा उन्होंने दिया कि आप सेल्फ अटेस्टमेंट करिए, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो पेंशनकर्ता हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वे जीवित हैं, इसका प्रमाण देने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर सर्टिफाई करवाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने उनको भी एक बहुत बड़ी दिलासा दी कि आप सेल्फ अटेस्टमेंट करिए, इस प्रकार की घोषणा करके उनको भी उन्होंने बहुत अच्छा तोहफा दिया। मैं मानता हूँ कि व्यापार जगत के लिए तीसरा यह उनका काम है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से आने वाले दिनों में अपने देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के माध्यम से रोजगार, व्यवसाय करें, प्रोडक्ट का निर्माण करें और देश को बहुत आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान इसके माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बिल में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी पहल यह है कि बहुत सालों से जो हम बाबूराज समाप्त करने की बात करते थे, ब्यूरोक्रेसी के अंडर में यह सारा देश का माहौल जो चल रहा है, इस पर लगाम लगाने के लिए भी इस बिल का बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई भी एक व्यवसाय करोड़ों रूपए पूँजी इनवेस्टमेंट करने के बाद में अगर

कोई प्रोडक्ट तैयार करता है और उस प्रोडक्ट को आईएसआई का मार्क लेने के लिए किसी ऑफिसर के पास जाकर महीने भर तक उसके दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा होने के बाद भी, लोक सभा में बिल पास होने के बाद भी, हमारे देश में एक सिस्टम है, चाहे वह राज्यों में हो या देश में हो, जो अधिकारी कहेगा, वही कायदा है, जो लोक सभा में और विधान सभा में पास हुआ है, वह कायदा नहीं है। इस बिल में एक बहुत बड़ी नई बात यह भी है कि राम विलास पासवान जी ने कल कहा कि बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट के साथ बहुत बड़ा बिल हुआ और उसमें एक नया अमेंडमेंट करने के बाद में, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बिल पास करने वाले भी पूरा बिल नहीं पढ़ते हैं, बिल इंप्लीमेंट करने वाले भी पूरा बिल नहीं पढ़ते हैं और बिल जिसके ऊपर लागू होता है, वह तो बेचारा पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद में उसे कौन सुनेगा? जो अधिकारी कहेगा, वही सही होता है। इस चक्कर में सारे देश के लोग हैरान-परेशान थे। देश का दुर्भाग्य और कैसा हो सकता है, जब हम इनटॉलरेंस की बात करते हैं, चाइना का प्रोडक्ट, अपने देश का व्यापारी, बिजनेसमेन चाइना में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ लाकर माल बेचेगा, वह चलता है। लेकिन यदि वह अपने देश में किसी प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, जिससे हमारे देश के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है, लेकिन ऐसे में लोगों को हैरानी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अगर वे विदेशों में जाकर प्रोडक्ट तैयार करके लाते हैं तो विदेश में तैयार हुआ प्रोडक्ट अपने देश में बेचने के लिए एक ओपन मार्केट हमारे देश में उपलब्ध है। इस प्रकार की स्थिति से यह देश गुजर रहा है। पानी के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बताया।

महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन संक्षेप में यह बात कहना चाहूँगा कि इन दिनों जो बिसलेरी की बोतल बिकती है, बड़े-बड़े पूँजीपति लोग इस प्रकार का काम करके हाई कॉस्ट में बेचने का काम करते हैं। इस बिल के माध्यम से मैं मानता हूँ कि सामान्य लोगों को भी वाटर सप्लाई के काम में लाकर एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी काम करते हुए देश के लोगों को सुविधा देने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। इससे छोटे लोगों को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। इसमें जो दण्ड का प्रोविजन है, मैं मानता हूँ कि अलग-अलग लोगों का इस पर अलग-अलग विचार हो सकता है, लेकिन जितना दण्ड आप कैश में ज्यादा रखोगे, उतना फिर वापस वह ऑफिसर के पास चला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि दस लाख रुपया आप

दण्ड का प्रावधान रखते हो तो कोई भी अगर छोटी-मोटी गलती भी करता है तो वह ऑफिसर को दो-पाँच लाख रूपया देकर सेटलमेंट करने का प्रयास करता है। ऑफिसर के हाथ में किसी भी प्रकार के ज्यादा अधिकार न हों, ऐसा हमें आने वाले दिनों में देखने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैगी के बारे में जो इन दिनों अपने देश में हुआ है, उसको बन्द किया गया, फिर वापस वह अभी शुरू हो रही है, उसके कम्प्टीशन में रामदेव जी भी हैं, उनके दस मित्र इस देश में हैं तो दो उनके शत्रु भी हैं। जो इटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में कल मंत्री महोदय ने एक बात यह भी कही कि जो उपभोक्ता है, अगर वह शिकायत करेगा तो सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी, हम उसकी इंकवायरी करेंगे। शिकायतकर्ताओं के बारे में भी हमें आने वाले दिनों में बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपना धंधा, अपना व्यवसाय बना लिया है, बहुत सारा हैरान, परेशान करने का लोग काम करते हैं। ऐसे जो शिकायतकर्ता हैं, उनके बारे में भी कहीं न कहीं एक स्टाक चेकिंग की व्यवस्था अपने देश में होनी चाहिए ताकि इनके ऊपर भी एक लगाम लग सके। जो धंधा, व्यवसाय करने वाले बिजनेस मैन हैं, जो इस देश को रेवेन्यू भी देते हैं, देश को काम भी देते हैं, ऐसे लोगों को एक खुली व्यवस्था में काम करने का, व्यवसाय करने का अवसर आने वाले दिनों में मिले, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं फिर एक बार रामविलास जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही उनसे यह निवेदन भी करूँगा कि यह बिल जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो, इसके बारे में भी ध्यान दे। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी):** बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। यह बहुप्रतीक्षित विधेयक है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह कानून हमारे पुराने बी.आई.एस. अधिनियम का एक व्यापक उन्नत संस्करण है। अब हम अनुभव से समृद्ध हो चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारे उत्पादों के मानकीकरण में वास्तव में क्या हो रहा है और हम इस क्षेत्र में हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत हैं। यह कानून वास्तव में इन सभी चिंताओं को दर्शाता है। इसीलिए, मैंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूँ।

महोदय, भारतीय स्थिति में मानकीकरण की प्रासंगिकता की बहुत आवश्यकता है। हमारा सपना भारत को गुणवत्ता वाले उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय गंतव्य बनाना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं को झूठे दावों और विक्रय तकनीकों व इस तरह की चीजों से धोखा न दिया जाए। यह प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रतिस्पर्धा के इस युग में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय मानक हों। इसी तरह, यहां सब कुछ महत्वपूर्ण है - पिन से लेकर प्लेन तक। हमें बहुत सावधान रहना होगा। वास्तव में कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा, लेकिन भारत को बड़े देशों के लिए अवांछित/निम्न मानक सामग्री के आयात हेतु डंपिंग बाजार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आयातित सामग्री भी हमारे मानदंडों और शर्तों के अनुसार उपयोगी मानक पर बनी रहे।

महोदय, इस कानून में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं देख रहा हूँ, वह यह है कि इसमें सभी हितधारकों जैसे निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, मानक निर्धारण प्राधिकरणों, उपभोक्ताओं और यहां तक कि उपभोक्ता संगठनों को जवाबदेह बनाया गया है। इस कानून में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

इसी प्रकार, इस विधेयक की धारा 17(1) में कहा गया है कि मानकीकरण चिह्न के बिना कुछ वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है।

यहां एक विरोधाभासी स्थिति व्याप्त है। यह क्या है? उपभोक्ताओं को झूठे दावों और विज्ञापनों तथा यहां तक कि विनिर्माण दोषों के जरिए गुमराह किया जाता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे विवाद हैं जैसे वोक्सवैगन कार्बन उत्सर्जन विवाद, मैगी विवाद, कैडबरी, कोक और पेप्सी और इसी तरह की अन्य चीजें।

महोदय, दूध को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। 2012 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण ने पाया कि दो-तिहाई भारतीय दूध मिलावटी है। ऐसी खबरें सचमुच चौंकाने वाली हैं। हमें अपने सभी भारतीय उत्पादों की शुद्धता, मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। यहां तक कि चिकित्सा उपकरण, जिनमें चिकित्सा संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल हैं, भी घटिया सामग्री से बने हुए भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं। हमें इसमें बहुत सावधान रहना होगा। यह भारतीयों के स्वास्थ्य से संबंधित है। इसी प्रकार, झूठे दावों और विज्ञापनों के संबंध में भी यह उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहा है। वे जादुई उपचार के विज्ञापन दिखा रहे हैं और बीमारियों के लिए जादुई उपचार दिखा रहे हैं, इस तरह के झूठे विज्ञापन बाजार में बहुत अधिक हैं। हमें इस पर भी अंकुश लगाना होगा। निर्माता और विक्रेता सभी किसी न किसी प्रकार से आसान पैसा कमाने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। हमें इसका भी अंत करना होगा। इस संबंध में शायद विभिन्न विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है।

मेरे पास एक और महत्वपूर्ण बात है जो समितियों के संबंध में है। इस अधिनियम के खंड 5(1) के अनुसार, वित्त समिति, अनुरूपता मूल्यांकन सलाहकार समिति, मानक सलाहकार समिति, परीक्षण और अंशांकन समिति का सुझाव दिया जाता है। इन समितियों के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें योग्यता पर उचित ध्यान देना होगा। महोदय, अंत में, मेरे पास स्व-प्रमाणन के बारे में एक बात है। कल इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी स्व-प्रमाणन के बारे में कह रहे थे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। इसकी अपनी सुविधा है। लेकिन साथ ही हमें बहुत सावधान भी रहना होगा। इसका दुरुपयोग करने की पूरी संभावना है। हमें उस मामले में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी और सरकार इस बारे में बहुत सावधान रहेंगे।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद।

**प्रो. रिचर्ड हे (नाम निर्देशित):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों द्वारा उपभोग या उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, शुद्धता और स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन, मानकीकरण और मान्यता आवश्यक कदम हैं।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें प्रभावी मानकीकरण नीतियों के अभाव के कारण लाखों ग्राहक दिन-प्रतिदिन ठगे जाते हैं। यह साबित हो चुका है कि देश में कैंसर जैसी भयावह बीमारी फैल रही है, क्योंकि लोगों को ऐसे उत्पादों का सेवन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनमें विषाक्त पदार्थ होते हैं, और यह एक गंभीर स्थिति है, जहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की उचित जांच नहीं होती है।

नवनिर्मित पुल गिर जाते हैं, इमारतें ढह जाती हैं, सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, कभी-कभी तो निर्माण के तुरंत बाद ही ऐसा हो जाता है और प्रयुक्त प्लास्टिक की गुणवत्ता संदिग्ध होती है। यह सब दोषपूर्ण या प्रमाणन नीतियों की कमी के कारण है।

मैंने विदेशी पर्यटकों को अपने-अपने देशों से पानी लाते देखा है, क्योंकि उन्हें हमारे देश में आपूर्ति किए जाने वाले पानी पर भरोसा नहीं होता। यह एक हास्यास्पद स्थिति है। हमारे उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखना चाहिए ताकि 'मेक इन इंडिया' अवधारणा को अमल में लाया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक बड़ा खलनायक है, जो घातक सामग्रियों का उपयोग करता है। अधिकांश मामलों में वे कंटेनर पर सामग्री के उत्पादन के लिए उपयोग की गई वास्तविक सामग्री का उल्लेख नहीं करते हैं।

अल्फांसो आम, अन्य फलों और सब्जियों को पश्चिमी देशों ने अस्वीकार कर दिया। झींगा और मछली को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनमें साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद था। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र मानक के अनुरूप नहीं हैं।

इसलिए, मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, शुद्ध और विश्वसनीय उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए समय पर और साहसिक कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात भी बढ़ेगा। धन्यवाद।

**श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम):** महोदय, इस विधायी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं पांच आपत्तियों के अधीन इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, यह सर्वविदित है कि इस विधेयक का उद्देश्य मूल विद्यमान अधिनियम, अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करना है, ताकि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की जा सके तथा मानकीकरण गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के साथ-साथ उत्पादों और प्रक्रियाओं के गुणवत्ता प्रमाणन का प्रावधान किया जा सके।

यह सर्वविदित है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) समझौता इस बात को प्रोत्साहित करता है कि सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा तथा प्रमाणन प्रणालियों की पारस्परिक मान्यता की ओर बढ़ना होगा तथा एक समान पैटर्न का पालन करना होगा।

महोदय, आइए हम 1987 से अब तक भारतीय मानक ब्यूरो के प्रदर्शन की जांच करें। महोदय, इस अधिनियम के लागू होने के बाद 28 वर्ष बीत चुके हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के इन 28 वर्षों के प्रदर्शन के दौरान, हम अब तक केवल 9500 उत्पादों के मानकीकरण पर ही ध्यान दे सके हैं। देरी की कीमत क्या है? किसी उत्पाद के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में भी 2-3 वर्ष लग जाएंगे। देरी के दो कारण हैं, पहला, प्रमाणीकरण प्राप्त करने में कठोर प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं हैं और दूसरा, प्रमाणीकरण प्राप्त करने में देरी का कारण बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसका हवाला अधिकांश सदस्यों ने दिया है। यहां, उचित प्रयोगशाला है। विश्लेषक वहां मौजूद है। विशेषज्ञता वहां नहीं है। तो, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से प्रमाणीकरण और मानकीकरण में अत्यधिक देरी हो रही है। इसलिए, हमें इसे ठीक करना होगा। इसलिए, इसे ठीक करने के लिए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यह विधेयक पर्याप्त है या नहीं।

भारतीय मानक ब्यूरो के सांविधिक संगठन बनने से पहले हमारे पास भारतीय मानक संस्थान था जो एक सोसायटी थी। यह एक ऐसे समाज के रूप में था जो काम कर रहा था। यह बहुत लचीला था और

प्रमाणीकरण और मानकीकरण प्राप्त करना आसान था। वैधानिक मान्यता मिलने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो अधिक सुदृढ़ हो गया है और प्रमाणन प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। निश्चित रूप से, 2015 का विधेयक, जिसे माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, अत्यंत आवश्यक एवं ज़रूरी है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था में, किसी उत्पाद की गुणवत्ता नये बाजार, विशेषकर नव-उदारवादी बाजार में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना होगा और उनसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हमें भारत में मानकीकरण के साथ-साथ प्रमाणन के लिए जिन मानकों का पालन किया जा रहा है, उनकी समीक्षा करनी होगी ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, क्योंकि उपभोक्ताओं के हित और उत्पादों की गुणवत्ता परस्पर संबंधित चीजें हैं। इसलिए, हमें इसकी समीक्षा करनी होगी।

यह विधेयक मानकीकरण के दायरे को व्यापक बनाता है। वस्तुओं और प्रक्रियाओं के अलावा, वस्तुओं, सेवाओं और प्रणालियों को भी मानकीकरण के दायरे में लाया जाएगा, जो सरकार की ओर से एक स्वागत योग्य कदम है। हमने गुजरात में प्रशासन के मानकीकरण का अनुभव किया है, जहां कई विभागों को मानकीकृत किया गया है। इसे सरकारी प्रशासन और सरकारी सेवा में भी शामिल किया जा सकता है।

दूसरी मुख्य विशेषता जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा वह यह है कि इसका उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो को मानकीकरण के राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित करना है। यद्यपि भारत सरकार अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो को किसी क़ानून द्वारा राष्ट्रीय निकाय घोषित नहीं किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश का राष्ट्रीय निकाय है। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

इस विधेयक की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जिसका उल्लेख श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर ने किया है, यह है कि इसने उत्पादों और सेवाओं के अनिवार्य या अनिवार्य मानकीकरण के नेटवर्क को व्यापक बना दिया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमने इस सदन में चर्चा की है। अनिवार्य प्रमाणीकरण से उपभोक्ता

को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही यह बाहरी देशों, विशेषकर चीन से घटिया उत्पादों के आयात को रोकेगा। इस समय हमारे देश में क्या हो रहा है? दूसरी ओर के माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है कि हमारे देश में बिना किसी प्रतिबंध के निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात किया जा रहा है। इस अधिनियम के द्वारा हम इसकी जांच कर सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने इन 28 वर्षों के दौरान अब तक केवल 92 उत्पादों का ही मानकीकरण किया है। इसका मतलब यह है कि हमारे जैसे विकासशील देश में भारतीय मानक ब्यूरो का प्रदर्शन ऐसा ही है। आइए हम इस संबंध में चीनी अनुभव को देखें। विश्व व्यापार संगठन के बाद चीजें बदल गई हैं क्योंकि टैरिफ व्यवस्था समाप्त हो गई है। आप टैरिफ के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं, वह है अपने देश में अधिकतम संभव उत्पादों और सेवाओं का अधिकतम मानकीकरण। चीन ने भी यही अनुभव किया है। मानकीकरण के मामले में भारत को भी चीन का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारतीय मानक तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, चाहे वे आयातित हों या हमारे देश में स्वदेशी रूप से निर्मित हों। इसलिए, इस विधेयक के प्रावधानों में उल्लिखित अनिवार्य प्रमाणन या अनिवार्य मानकीकरण से निश्चित रूप से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर भी रोक लगेगी। मेरा सुझाव है कि उत्पादों और प्रक्रियाओं के अनिवार्य प्रमाणन और अनिवार्य मानकीकरण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं बी.आई.एस. द्वारा 2006 में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण का भी उल्लेख करना चाहूंगा। यह बहुत ही रोचक आंकड़े दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि गैर-हॉलमार्क आभूषणों के 90 प्रतिशत नमूने फेल हो गए हैं, जिनमें 13.5 प्रतिशत शुद्धता में कमी (ऋणात्मक) पाई गई है। लेकिन हॉलमार्क आभूषणों के मामले में यह नगण्य है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रमाणीकरण और मानकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है।

अब मैं विरोधाभास पर आता हूँ। हमारे पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) है। इसके द्वारा भोजन की गुणवत्ता का निर्धारण और मूल्यांकन किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का आकलन करने और उसे मानकीकृत करने का भी अधिकार है।

इसलिए, कई संगठन एक ही काम कर रहे हैं, जिससे बचना होगा। इस संबंध में एफ.एस.एस.ए.आई. मानकीकरण अनिवार्य है जबकि बी.आई.एस. मानकीकरण अनिवार्य नहीं है।

अब मैं विधेयक के प्रावधानों पर आता हूँ। मैं अपना भाषण दो या तीन मिनट में पूरा करूँगा।

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, आप अपने संशोधन प्रस्तुत करते समय भी बोलेंगे।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** नहीं, मैं संशोधन प्रस्तुत करते समय बोलने नहीं जा रहा हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** यदि आप उस समय नहीं बोलेंगे तो आप अपना भाषण पूरा कर सकते हैं।

**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** महोदय, वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो, उन्हें बोलने दें।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** मैं संशोधनों को पेश करूँगा, लेकिन किसी भी प्रकार का विभाजन चाहने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं दो या तीन मिनट के भीतर समाप्त कर दूँगा।

मैं परिभाषाओं के खंड 2(2) के संबंध में माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहूँगा। विधेयक के प्रावधानों में कहीं भी धातु के बारे में उल्लेख नहीं है। धातु की वस्तुएं तो हैं, लेकिन धातु की शुद्धता का उल्लेख किसी भी प्रावधान में नहीं है। खंड 2(1) कहता है:

““वस्तु” से तात्पर्य किसी भी पदार्थ से है, चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक, .....”

यदि यह प्राकृतिक है, तो धातु भी वस्तु की परिभाषा के दायरे में आएगी। यह मेरी पहली आपत्ति है जिसे मैं व्यक्त करना चाहूँगा।

मेरी दूसरी आपत्ति कीमती धातुओं की परिभाषा के बारे में है। खंड 2 (26) में कहा गया है: " 'कीमती धातु' का अर्थ है सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम।" यहां हीरे को शामिल क्यों नहीं किया गया है? यद्यपि वह तार्किक रूप से यह तर्क दे सकते हैं कि हीरा कोई धातु नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या

इसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी धातुएं मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हीरा कीमती धातु की श्रेणी में नहीं आता है।

मेरा तीसरा स्पष्टीकरण जो मैं मंत्री जी से चाह रहा हूँ, वह अध्याय III के खंड 10(2)(सी) के बारे में है जिसमें कहा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो भारत में या बाहर किसी भी संस्था को मान्यता या प्रत्यायन दे सकता है जो मानकीकरण में लगी हुई है। मैं इस प्रावधान का पूर्णतः विरोध करता हूँ। कोई बाहरी एजेंसी हमारे देश में निर्मित किसी उत्पाद के मानक का निर्धारण और मूल्यांकन कैसे कर सकती है। भारतीय हितों की रक्षा कैसे होगी? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मानकीकरण एवं प्रमाणन के लिए किसी बाहरी एजेंसी को मान्यता देने पर पुनर्विचार करें।

मेरा चौथा स्पष्टीकरण अध्याय 5 के खंड 25(1) और 25(2) के संबंध में है। बी.आई.एस. के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। यह एक प्रमुख बात है जिसे मैं कहना चाहूंगा। यह संसद की विधायी सर्वोच्चता है। हम बी.आई.एस. को वैधानिक मान्यता क्यों दे रहे हैं? खंड 25(1) में लिखा है:

“इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्यूरो इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कार्यों के निष्पादन में नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केंद्र सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे सकती है:”

अगर यह नीति है तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें आगे लिखा है।

“बशर्ते कि ब्यूरो को, जहां तक संभव हो, इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश दिए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।”

अतः जहां तक संभव होगा, बी.आई.एस. को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा, खंड 25(2) कहता है:

“कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, इस संबंध में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।”

चाहे वह सरकार की नीति हो या न हो, सरकार का निर्णय जो भी हो, वह बी.आई.एस. पर लागू होगा। एक ओर आप बी.आई.एस. को वैधानिक मान्यता दे रहे हैं और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

मेरा अंतिम मुद्दा न्यायिक प्रक्रिया के बारे में है। अभियोजन दायर करने या संस्थित करने के बाद, सरकार के किसी अधिकारी द्वारा अपराध का शमन कैसे संभव हो सकता है? आप न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। सरकार का कोई अधिकारी न्यायालय में अभियोजन चलाने के बाद न्यायालय की शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकता। उस प्रावधान पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

इन पांच आपत्तियों के साथ, मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आईएसआई विधेयक, 2015 जो माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ... (व्यवधान) आईएसआई कानून देश में 29 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्था है और ठीक ढंग से कार्य कर रही है। संस्था किसी भी वस्तु की गुणवत्ता व उसे बनाने की सही विधि की प्रमाणिकता प्रदान करती है और उस पर निगरानी करती है। इससे किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है और उपभोक्ताओं को एक अच्छा सामान और वस्तुएं खरीदने में सुविधा होती है।

यह सही बात है कि आज के विश्व बाजार में वैश्विक स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जा रहा है। मेरा एक सुझाव है कि इसमें निगरानी करने की व्यवस्था को मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाये ताकि इससे किसी वस्तु और समान की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाये। इसकी आड़ में वस्तु का दाम न बढ़ाया जाये। उपभोक्ता को वह उचित मूल्य पर मिले, इसकी व्यवस्था करायी जाये। किसी भी रूल्स का उल्लंघन करने पर

उचित सजा का भी प्रावधान किया जाये। उस पर अमल हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, संस्थान को विदेशों से आयातित सामान पर भी निगरानी का अधिकार दिया जाये।

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राम विलास पासवान जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वह कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की दृष्टि से एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल आज इस सदन में लाये हैं। यद्यपि, इससे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर्ड मुद्रों पर स्टैंडर्ड फारम्युलेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, हॉल मार्किंग लेबोरेट्री, पेस्टिंग एंड सर्विसेज, वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन द सिस्टम, इनफोर्समेंट, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के मामलों को लेकर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही डब्ल्यूटीओ की संरचना हुयी, उसके पश्चात् यह महसूस किया गया कि भारत की वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको स्थान दिलाने की दृष्टि से इस कानून के अंदर परिवर्तन लाने की, बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज इस बिल को लाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से, चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप या जापान हो, इन सब देशों ने मानकों को आधार मान कर कई बार भारत की चीजों को तुकराया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाये हैं, ठीक इसी प्रकार से चाइना जैसे देश ने, चाहे उसने कितना ही घटिया माल बना लिया हो, भारत की मार्केट में उन्हें झोंकने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। इस प्रकार के हथकंडों को रोकने के लिए भी इस प्रकार का बिल लाया जाना अति आवश्यक था। आज हम देखते हैं कि अगर इस देश के अंदर बेहतरीन किस्म के जहाजों को उड़ाना चाहते हैं तो उनके अंदर जो मैटिरियल्स लगते हैं, उनकी क्वालिटी को हमें श्रेष्ठ बनाना होगा। इसी तरह से हम जो समुद्री जहाज बनाते हैं, उनकी क्वालिटी को भी हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ किस्म का लोहा उनमें लगाना पड़ेगा। इसी तरह से हम जो रेल बनाते हैं, उनके पूजों के लिए बेहतरीन किस्म का लोहा लगाना पड़ेगा।

हम देख रहे हैं कि किस तरह से सबस्टैंडर्ड ड्रग्स विदेशों से आकर भारत की मार्केट के अंदर छा रहे हैं और हमारे देश के लोगों को ठीक करने की बजाय, उल्टा कई बार बीमार कर देती हैं। इस प्रकार के कार्यों के संबंध में हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने यह कानून बनाया है, इसमें डीजी की व्यवस्था भी की गयी है, जो समय-समय पर स्पॉट वेरिफिकेशन करके, सटीरफिकेशन करके, जो इज ऑफ

डूइंग बिजनेस, हिन्दुस्तान चाहता है कि भारत की चीजें 'मेक इन इंडिया' के तहत सारी दुनिया के अंदर बने, उस दृष्टि से भी माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लेकर आये हैं। इससे पहले भी भारत के अंदर 'जागो ग्राहक जागो' जो कम्पेन चली है, उसमें हमारे विचार परिवार के परम आदरणीय बजरंग लाल गुप्त जी ने, जिस तरह से सारे हिन्दुस्तान का दौरा करके, 'जागो ग्राहक जागो' कैम्पेन के अंतर्गत सारे देश की जनता को जागृत किया है, उस दृष्टि से भी आज आवश्यकता पड़ी है कि इस प्रकार का बिल पास किया जाये।

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब छह बज गए हैं, इसलिए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो मंत्री जी के उत्तर के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं। चूंकि अभी छह बजे हैं, यदि सभा सहमत हो तो हम मंत्री जी का उत्तर समाप्त होने के बाद विधेयक पारित होने तक सभा का समय बढ़ा देंगे।

**अनेक माननीय सदस्य:** हाँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब माननीय मंत्री जी।

**सायं 06.00 बजे**

[हिन्दी]

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) :** उपाध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने एकमत से इस नए विधेयक के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है और समर्थन किया है। मैं सभी पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। करीब 22 सदस्य इस पर बोले हैं। श्री के.वी. थॉमस जो पूर्व मंत्री रहे हैं, श्री संजय जायसवाल, श्री ए. अनवर राजा, श्रीमती ममताज संघमिता, रवीन्द्र कुमार जेना जी, जैदेव गल्ला जी, कुण्डा रेड्डी जी, पी.के. बिजू जी, अरविंद सावंत जी, एम. राजमोहन रेड्डी जी, अक्षय यादव जी, ओम बिरला जी, भगवंत मान जी, अभिजीत मुखर्जी जी, चरनजीत सिंह रोड़ी जी, श्री गोपाल रेड्डी, मोहम्मद बशीर जी, जार्ज बेकर जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, कौशलेन्द्र जी और कटारिया जी बोले हैं। हमने सबके विचार बहुत डिटेल में नोट किए हैं। मैं बहुत ही खुले दिमाग से कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है। नेशनल इंटरस्ट देश का सबसे बड़ा हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है और उसके बाद व्यक्ति का हित होता है। नेशनल इंटरस्ट में न पार्टी होनी चाहिए, न पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इसलिए हमसे जितना बन सका, हमने वैंबसाइट पर रखा, स्टेकहोल्डर्स आदि सब लोगों से बातचीत की।

सौगत राय जी नहीं बोले हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा संशोधन दिया। एक-एक संशोधन पर हमने डिपार्टमेंट से दो-दो दिन तक चर्चा की। प्रेमचंद्रन जी के संशोधन पर हमने चर्चा करने का काम किया। सत्पथी जी नहीं बोल पाए। इन्होंने पिछली बार दिया था। हमारे पास जिनका भी सुझाव आया है, उन सारे सुझावों को हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ट में नहीं आतीं। खड़गे साहब अनुभवी नेता हैं, सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो रूल्स आदि बनेंगे, उनमें जहां तक संभव होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो संभव नहीं हो सकतीं। दो तरह की विचारधारा है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी अभी तक चलती रही। प्राइवेट सैक्टर है, पब्लिक सैक्टर भी है। एक तरफ होता है कि किसी बॉडी को पूरा स्वतंत्र कर दीजिए, दूसरी तरफ हम पार्लियामेंट में आते हैं तो आप हमसे पूछते हैं कि आप इस

विभाग के मंत्री हैं, बताइए। जब तक एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं रहेगा तब तक कैसे होगा। जैसे बीआईएस को स्वतंत्र करने के बारे में है। हमने पूरा स्वतंत्र कर दिया। उसके किसी काम-काज में हम दखल नहीं देते। लेकिन मंत्री होने के नाते, हम इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, जब आप पार्लियामेंट में आकर बोलते हैं तो सरकार के साथ कुछ न कुछ समन्वय रखने की आवश्यकता होती है। यदि आप कहें, हमने सबकी बात नोट की है और उनका जवाब भी हमारे पास है। अगर आपके पास समय हो तो मैं सबकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।

मैं कुछ प्वाइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे थॉमस साहब ने ठीक कहा कि कन्ज्यूमर गॉड होता है। हम कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग से लाने जा रहे हैं। बीएसआई स्टैंडर्ड से संबंधित है, एक सुई से लेकर अंतरिक्ष यान से लेकर सारी चीजों में स्टैंडर्ड को देखते हैं। हम क्या इस बात को नहीं समझते हैं? यह पार्लियामेंट कब का बना हुआ है, कहीं इसमें कोई खोंच नहीं है, इसके बाद जितने भी भवन बने हैं चाहे वह शास्त्री भवन हो या कृषि भवन सारे का सारे भवनों की क्या दुगरति हो रही है। पानी की बात आपने कही, मैं एक दिन प्लेन से जा रहा था, उसमें हम लोगों को पानी मिला, उसे हमने पी लिया, उसी प्लेन में एक विदेशी भी यात्रा कर रहा था, उसने पानी लेने के बाद एयरहोटस्टेस से पूछा कि तुमने आउटडेटेड पानी क्यों दिया? हम लोग ज्यादा से ज्यादा आईएसआई मार्क देखते हैं उसमें लिखा हुआ था कि यह छह महीने के बाद पीने योग्य नहीं था। आज लोग हेल्थ कॉन्शस हो रहे हैं लेकिन उतना नहीं है जितना विदेशों में है। हमारे साथी ने कहा कि बहुत सारी दवाइयों पर बैन है और अपने यहां चल रहा है। हमने बार-बार कहा है कि एक एक्ट होता है, एक फैक्ट होता है और एक टैक्ट होता है। हम इतना स्टैंडर्ड कड़ा न कर दें कि सड़क पर कोई सामान ही न बेच पाए। हम लोग कहीं भी जाकर कुछ खा लेते हैं। यदि हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि आपको इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना है तो इसे डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी। हम एक लार्ज कन्ज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट लाने जा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए कि अगर पानी में कम्प्लेंट निकला तो बोतल लौटा दो या पैसा दे दो, इसका मतलब यह हुआ कि सब बोतलों का पानी जो भी मैन्यूफ्रैक्चरड हुआ था, वह सब जहरीला था, उस पर सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। यदि कार का इंजन खराब है और उसे एक आदमी चला रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी

कार का इंजन खराब है, सभी कारों का इंजन खराब है। उस पर कार्रवाई की जाएगी, यदि दुकान बंद करने की जरूरत होगी तो उसे बंद भी किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। आपने मिसलिडिंग एडवर्टिजमेंट का मामला उठाया, आपको दिल्ली में हर टैम्पू के पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा, छह महीने में अपने कद को बढ़ा लीजिए, तीन महीने में बाल उगा लीजिए।

आपने खाना के संबंध में कहा, हमारे यहां कद्दू होता है, उसमें सुई लगा देते हैं, वह बड़ा हो जाता है, आम के संबंध में भी आपने कहा, इसके लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसलिए हम नेशनल स्टैंडर्ड बना रहे हैं, इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री का इसे देखने का अलग रवैया था, आईएनबी मिनिस्ट्री मिसलिडिंग एडवर्टिजमेंट को देखने का अलग रवैया था। हमारे पास एक्सपटीज नहीं है, हमने प्राइवेट वालों को भी कहा है कि आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दें। हमारे सभी साथियों ने कहा है कि हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होना चाहिए। आज भी यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वह इंटरनेशनल बॉडी में जाकर बैठता है, लेकिन हमारे सामने दिक्कत क्या है, एफएसएसआई को बाहर में कोई नहीं जानता है। इजी बिजनेस का मामला भी है, चीन में 5 हजार प्रोडक्ट्स मैनडेटरी है। लेकिन हमारे यहां नहीं हैं, बहुत कम हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हो, लेकिन कैसे होगा? हमारे पास उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और न ही हम कर सकते हैं। हम उसे अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए आसान तरीका अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तरीका सरल हो, लेकिन कानून कठोर हो। आप सब लोगों ने कहा कि कानून कठोर होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि यदि कोई अनिवार्य प्रोडक्ट्स का वायलेशन करता है, आईएसआई का वायलेशन करता है तो वह कॉग्नीजिबल ऑफेन्स माना जायेगा। हमने कहा है कि कॉग्नीजिबल ऑफेन्स ही नहीं माना जायेगा, बल्कि दो साल तक जेल की सजा होगी और एक लाख रुपया फाइन होगा। आपने सबसे बड़ी बात कही कि जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए यह प्रावधान है कि उनका साल भर का जो कारोबार है या जब से कम्प्लेंट हुई है, उस कारोबार का दस गुना फाइन देना होगा। एक लाख या दो लाख रुपया फाइन नहीं है, बल्कि दस गुना फाइन देना होगा। ये सारे प्रोविजन्स इस बिल में दिये गये हैं।

सभापति महोदय, चूंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा। अभी थामस साहब ने जागो ग्राहक जागो के बारे में कहा। इसके साथ-साथ हॉल मार्किंग के संबंध में कहा। हॉल मार्किंग के बारे में हमने सजेशन दिया है कि वह मेनडेटरी होना चाहिए। इसे हमने सरकार के ऊपर छोड़ा है। हमने कल अपने भाषण में कहा था जैसे सोना है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब मैं एमपी था, तब मैंने अपने मां के अंतिम समय में सोचा कि उन्हें कुछ दूं, इसलिए मैंने सोने का नेकलेस लिया। हमारे गांव में मां वगैरह हाथ में बांधती थी, तो कभी चांदी का मिल जाता था तो वह समझती थी कि चांदी की बहुत बड़ी चीज मिल गयी। हमने सोचा कि उन्हें सोने की कोई चीज दे दें, इसलिए हमने एक छोटा सा लॉकेट दे दिया। हमने तीन साल बाद देखा कि वह सोना खराब निकला। अब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम भी चाहते हैं कि हॉल मार्किंग मस्ट होनी चाहिए। अब 9 कैरेट के सोने से लेकर 22 कैरेट तक सोना रहता है। अब गरीब को क्या मालूम कि वह 9 कैरेट का सोना खरीद रहा है या 22 कैरेट का सोना खरीद रहा है। दुकानदार 22 कैरेट का पैसा लेता है और 9 कैरेट का सोना देता है। हम चाहते हैं कि यह मेनडेटरी हो। हम चाहते हैं कि जितने भी ज्वैलर्स हैं, उनके पास सारे नम्बर्स रहें। ये सारी चीजें हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप कोई भी चीज करते हैं, तो वह हन्डर्ड परसेंट परफेक्ट नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ खामियां रहती हैं। इसलिए हमने इसमें संशोधन करने के बारे में सोचा। मैंने पहले ही कहा था कि यह मामला वर्ष 2012 से शुरू हुआ था। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी गया। हमारे साथी ने राजीव गांधी जी का नाम लिया। हम सब पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं, राजीव जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने शुरुआत की। उस शुरुआत के बाद हमें लगा कि स्टैंडिंग कमेटी जो संशोधन लायी है, उससे काम चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें पूरा नया बिल लाया जाये। उसके लिए हम नया बिल आपके सामने लाये हैं। आपने इसमें बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैंने जैसा कहा कि एकट अलग होता है, फैक्ट अलग होता है, टैक्ट अलग होता है। बढ़िया से बढ़िया एकट हो, फैक्ट अलग हो, लेकिन नेता, नीति और नीयत होनी चाहिए। आप कितनी भी अच्छी चीज बना लीजिए, लेकिन जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मतलब क्या है? हमारा स्टैंडर्ड यदि इंटरनैशनल स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो हम दुनिया में कहां टिक

पायेंगे? हम दूसरे देश का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन दीपावली के समय में दीया भी आता है, तो लोग वहां का दीया जलाते हैं। जिस देश में गणेश जी नहीं हैं, वहां से गणेश जी की मूर्ति हमारे पास आती है। हर चीज वहां से आ रही है। हम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? इसलिए हम यह कानून बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने बहुत संजीदगी के साथ लॉ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट आदि सबकी राय लेकर जितना दूर तक संभव हो सकता है, उतना हमने किया है। इससे आगे भी जो संभव होगा, हम उसे करेंगे। आपने जो भी सुझाव दिये हैं, उनमें से जो भी संभव हो सकेगा, उसे रूल्स वगैरह में लाने का काम करेंगे। इसलिए हम सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब इसे एकमत से पास कीजिए और यहां से सिग्नल दीजिए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“माल, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** सदन अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार करेगा।

**खण्ड 2**

**परिभाषाएं**

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन खंड 2 में संशोधन संख्या 11 से 17 तक पेश करेंगे।

**श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम):** मैं खंड 2 में संशोधन संख्या 11 से 17 तक पेश कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता

हूँ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 2, "कीमती" के बाद- "धातु और" जोड़ें (11)

पृष्ठ 2, पंक्ति 3, "कीमती" के बाद- "धातु और" जोड़ें (12)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12, "कीमती" के बाद- "धातु और" जोड़ें। (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31, "कीमती" के बाद "धातु और" जोड़ें। (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 32, "संकेत" के बाद- "धातु की शुद्धता और" जोड़ें। (15)

पृष्ठ 2, पंक्ति 45, "व्यवसाय" के बाद- "कीमती धातु या" जोड़ें। (16)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19, "प्लेटिनम" के बाद- "हीरा" जोड़ें। (17)

**माननीय उपाध्यक्ष:** मैं अब श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 2 में संशोधन संख्या 11 से 17 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“वह खंड 2 विधेयक का हिस्सा है”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

### खण्ड 3

ब्यूरो की स्थापना और गवर्निंग काउंसिल का

गठन

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय खंड 3 में संशोधन सं. 5 पेश करेंगे।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** मैं संशोधन सं. 5 से खंड 3 तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 4, पंक्ति 28 से 35 तक।

(5)

माननीय उपाध्यक्ष, सदन में सभी ने विधेयक का समर्थन किया है। मेरे मन में इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैंने केवल इतना बताया है कि भारतीय मानक ब्यूरो में शासी परिषद में मंत्री जी अध्यक्ष होंगे तथा राज्य मंत्री जी उपाध्यक्ष होंगे। मैं चाहता हूँ कि यह संस्था एक गैर-राजनीतिक, पेशेवर रूप से सक्षम संस्था बने। इस निकाय में राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इन धाराओं को समाप्त कर दिया जाए, जो मंत्री को, जो विशेषज्ञ नहीं है, राष्ट्रपति तथा राज्य मंत्री को उपराष्ट्रपति बनाती हैं। अतः, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत खंड 3 के संशोधन संख्या 5 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचंद्रन खंड 3 में संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करेंगे।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** मैं खंड 3 में संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का हिस्सा है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

#### **खण्ड 4**

#### **ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति**

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचंद्रन खंड 4 में संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करेंगे।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** मैं खंड 4 में संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"वह खंड 4 विधेयक का हिस्सा है"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

## खण्ड 5

## ब्यूरो की सलाहकार समितियां

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय खंड 5 में संशोधन सं. 6 प्रस्तुत करेंगे।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“वह खंड 5 विधेयक का हिस्सा है”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक के खंड 6 में जोड़ा गया

## खण्ड 7

## महानिदेशक

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय खंड 7 में संशोधन सं. 7 प्रस्तुत करेंगे।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं संशोधन सं. 7 से खंड 7 तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 5, पंक्ति 36, “ब्यूरो” के बाद- “जो एक प्रख्यात वैज्ञानिक या (7)  
एक इंजीनियर या एक प्रौद्योगिकीविद् होगा” जोड़ें।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

**प्रो. सौगत राय:** खंड 7 में, मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसे स्वीकार करें क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, भारतीय मानक ब्यूरो एक पेशेवर निकाय होना चाहिए और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य काम उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करना है। इसके लिए उचित परीक्षण आवश्यक है, विशेषकर सोना, चांदी, पैलेडियम आदि कीमती धातुओं के संबंध में। आप जानते हैं कि साधारण परीक्षण से काम नहीं चलेगा। आपको एक्स-रे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण आदि जैसे परीक्षणों की आवश्यकता होगी। इसलिए, मैं नहीं चाहूंगा कि महानिदेशक एक नौकरशाह हो। मैं चाहता हूँ कि वह टेक्नोक्रेट बने। महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जब पंडित नेहरू ने 1947 में भारतीय मानक संस्थान का गठन किया था, तो उन्होंने आई.एस.आई. के प्रथम महानिदेशक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक लाल चंद वर्मन को नियुक्त किया था। इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा कि महानिदेशक एक प्रख्यात वैज्ञानिक या इंजीनियर या टेक्नोक्रेट होना चाहिए। यह संस्था की व्यावसायिक क्षमता के हित में है।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** इसमें कहीं बाइंडिंग तो नहीं है कि कोई नहीं हो सकता है। इंजीनियर भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है। इसमें रोक कहां है? इसमें तो ऑलरेडी है।

**प्रो. सौगत राय:** रोक तो नहीं है लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है कि ब्यूरोक्रेट आईएस आफिसर हो जाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत खंड 7 के संशोधन संख्या 7 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का हिस्सा है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

## **खण्ड 9**

## **ब्यूरो की शक्तियां और कार्य**

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप खंड 9 में संशोधन संख्या .8 पेश कर रहे हैं?

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** महोदय, मैं अपनी संशोधन सं. 8 पेश नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 9 विधेयक का हिस्सा है”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

## **खण्ड 10**

## **भारतीय मानक**

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 10 में संशोधन सं. .20 पेश कर रहे हैं?

हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 7, पंक्ति 27,-

को *मिटाने* या बाहर” (20)

महोदय, मैं अपना संशोधन इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि इसमें मानकीकरण और प्रमाणन के लिए एक बाहरी एजेंसी को मान्यता देने की बात कही गई है।

**माननीय उपाध्यक्ष महोदय:** मैं अब श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 10 में संशोधन संख्या 20 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का हिस्सा है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खण्ड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खण्ड 14**

**कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं या लेखों के आभूषण विक्रेताओं और  
विक्रेताओं के मानक चिह्न का प्रमाणन।**

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 14 में संशोधन सं. 21 पेश कर रहे हैं?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदय, मैं संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 14 विधेयक का हिस्सा है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*विधेयक के खंड 14 में जोड़ा गया*

*खंड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

**खण्ड 17 मानक चिह्न के बिना कुछ वस्तुओं के विनिर्माण, विक्रय आदि पर प्रतिषेधा**

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप खंड 17 में संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 9, पंक्ति 46 के बाद, जोड़ें, -

“(1क) निर्माता, आयातक या वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि माल, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा, जैसा भी मामला हो, माल, वस्तु, प्रक्रिया या सेवा की समाप्ति तक निर्धारित प्रासंगिक मानक के अनुरूप है। ” (1)

महोदय, श्री रामविलास पासवान पहले ही विधेयक की मुख्य विशेषताएं बता चुके हैं। वर्षों से मैं उनकी सिद्धांत, 'चातुर्य और तथ्य' सुनता आ रहा हूं, लेकिन मैं उन पर यह प्रभाव डालना चाहूंगा कि यह विधेयक ग्राहकों और उपभोक्ताओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए है। खंड 17 में, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि "निर्माता, आयातक या वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि माल, लेख, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति तक निर्धारित प्रासंगिक मानक के अनुरूप हो।" महोदय, उपभोक्ताओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए, महोदय, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे "वस्तु, लेख, प्रक्रिया या सेवा, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति तक " इस लाइन को स्वीकार करें।

**माननीय उपाध्यक्ष:** मैं अब श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत खंड 17 में संशोधन संख्या 1 को सदन के मत के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 17 विधेयक का हिस्सा है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

## **खण्ड 18**

## **लाइसेंस धारक, विक्रेता आदि के दायित्वा**

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप खंड 18 में संशोधन संख्या 2 पेश कर रहे हैं?

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 10, पंक्ति 10,-

“लाइसेंस धारक” के बाद

“और ऐसी खरीद का उचित चालान बनाए रखेगा” जोड़ें। (2)

महोदय, मंत्री महोदय ने पहले ही स्वीकार किया है कि कुछ कमियां हो सकती हैं जिन्हें बाद में ठीक किया जा सकता है। मैं पृष्ठ 10 के बाद खंड 18 में एक कमी की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। पृष्ठ 10 में, पंक्ति 10 के बाद, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि "ऐसी खरीद का उचित चालान बनाए रखा जाएगा"। महोदय, यह एक गंभीर कमी है जिसकी ओर मैंने ध्यान दिलाया है। मुझे लगता है कि मंत्री महोदय निश्चित रूप से इस पर विचार

करेंगे, क्योंकि पहले से ही धोखेबाज, बिचौलिए और अन्य धोखेबाज विभिन्न प्रकार की खामियों का फायदा उठाकर हमारे देश के ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी ही खामियों में से एक को मैं सुधारना चाहता हूँ और सुझाव देता हूँ कि इस खंड में 'ऐसी खरीद का चालान' भी शामिल किया जाना चाहिए।

**माननीय उपाध्यक्ष:** मैं अब श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत खंड 18 में संशोधन संख्या .2 को सदन के मत के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 18 विधेयक का अंग है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खण्ड 19 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

## **खण्ड 25**

## **केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति**

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 12, पंक्ति 15,-

*जहां तक व्यावहारिक है, को मिटाएं। (22)*

पृष्ठ 12, पंक्ति 17, -

*को मिटाएं "या नहीं" (23)*

महोदय, मैं खंड 25 पर अपनी संशोधन संख्या 22 और 23 प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह बहुत प्रासंगिक बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो एक वैधानिक संगठन है और हम उसे मान्यता दे रहे हैं। यदि यह नीतिगत मामला है तो बी.आई.एस. से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि यह नीतिगत मामला नहीं है तो बी.आई.एस. से परामर्श नहीं किया जाएगा। सरकार जो भी निर्णय लेगी, वह अंतिम होगा। तो फिर हम बी.आई.एस. को अधिकार क्यों दे रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक वैधानिक संगठन है और इसे पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद भी, यदि यह नीतिगत मामला है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यदि यह नीतिगत मामला नहीं है तो कम से कम उन्हें अपनी बात कहने का अवसर तो दिया ही जाना चाहिए। यहां उल्लिखित शब्द हैं 'जहां तक संभव हो' हम नीतिगत मामले के लिए उन्हें सुनेंगे। लेकिन गैर-नीतिगत मामलों में, बी.आई.एस., जिसे संसद ने अधिकार दे रखे हैं, की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? यही मेरा प्रश्न है। कृपया इस मुद्दे पर विचार करें।

**माननीय उपाध्यक्ष:** सदन के मत के लिए। अब मैं श्री एन.के.प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 25 में संशोधन संख्या 22 और 23 रखूंगा।

*संशोधन रखे गये और अस्वीकृत किये गये।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 25 विधेयक का हिस्सा बना रहे”।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खण्ड 26 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

## खण्ड 29

## उल्लंघन के लिए दंड

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 13, पंक्तियाँ 41 और 42, -

“एक वर्ष के लिए या जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पांच तक बढ़ाया जा सकता है”

इसके स्थान पर “पांच वर्ष या जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, (3) किन्तु दस करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ 14, पंक्ति 2 से 4 तक, -

इसके स्थान पर “पांच वर्ष तक का कारावास या प्रथम उल्लंघन के लिए दो करोड़ (4) रुपये से कम का जुर्माना और द्वितीय तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए पांच करोड़ रुपये से कम का जुर्माना, किन्तु जुर्माने की राशि का बीस गुना तक बढ़ाया जा सकेगा” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो लोग हमसे और हमारे उपभोक्ताओं से चीटिंग करेंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

महोदय, हमारे देश ने इतनी प्रगति कर ली है कि इसके बावजूद भी यहां बेईमान तत्व मौजूद हैं। हम अपने देश के बेईमान तत्वों से छुटकारा नहीं पा सके हैं। इसीलिए, एक निवारक उपाय के रूप में, मैं संशोधन पेश करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष भी मुझसे सहमत है।

**माननीय उपाध्यक्ष:** मैं अब श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत धारा 29 में संशोधन संख्या 3 और 4 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।*

**प्रो. सौगत राँय (दम दम):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 13, पंक्ति 39।-

"पांच लाख" के स्थान पर

"दस लाख" प्रतिस्थापित करें (9)

पृष्ठ 13, पंक्तियाँ 41 और 42,-

"एक वर्ष" के स्थान पर

"दो वर्ष" प्रतिस्थापित करें। (10)

महोदय, मैंने जुर्माने की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के लिए ये संशोधन प्रस्तुत किए हैं। यह केवल प्रतीकात्मक है क्योंकि मेरा मानना है कि सजा को और कठोर बनाया जाना चाहिए, जैसा कि श्री चौधरी ने कहा है। भारत में नकली उत्पादों की बिक्री 22000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और सरकार को इससे लगभग 2500 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि भारत में कुछ ऐसे

स्थान हैं जो नकली उत्पादों के बाजार में आगे चल रहे हैं। ये हैं सोनीपत, गाजियाबाद, पानीपेट, मेरठ, बल्लभगढ़ और एन.सी.आर. क्षेत्र। वे अवैध निर्माण केंद्र बन गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली में भागीरथ प्लेस, मध्य प्रदेश में इन्दौर, लखनऊ और अहमदाबाद नकली दवाओं के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। आज इससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए, यथासंभव कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। लाभ अप्रत्याशित है क्योंकि आप निर्मित उत्पाद को आधी कीमत पर बेचते हैं। आप मूल उत्पादों के बराबर ही पैसा कमा सकते हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत में सभी महत्वपूर्ण एफ.एम.सी.जी. कंपनियां नकली उत्पादों से प्रभावित हैं। ये कंपनियां हैं प्रॉक्टर एंड गैबल, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, मैरिको, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, कोका कोला, पेप्सिको, जिलेट और ब्रिटानिया। पूरे देश में उनकी नकल करने वाले नकली उत्पाद सामने आ गए हैं।

[हिन्दी]

करोड़ों रुपयों का कारोबार हो रहा है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कानून तो हम बनाते हैं लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सारे देश में खुल्लमखुल्ला फेक प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस पर मंत्री जी काबू करें और कड़ी से कड़ी सजा रखी जाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत खंड 29 के संशोधन संख्या 9 और 10 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 29 विधेयक का अंग है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 30 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

### खण्ड 33

### अपराध का शमन

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“पृष्ठ 15, पंक्तियां 7 और 8,—

“या तो पहले या बाद में” के स्थान पर

“पहले” प्रतिस्थापित करें (24)

माननीय कानून मंत्री जी यहां हैं। न्यायालय के समक्ष अभियोजन याचिका प्रस्तुत करने के बाद किसी मामले को कैसे समझौता योग्य बनाया जा सकता है तथा किसी अधिकारी को अधिकृत कैसे किया जा सकता है। यहां, इस प्रावधान के अनुसार, किसी अभियोजन के संस्थित होने के पश्चात महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, शमन किया जाएगा। यह कैसे हो सकता है? हम अभियोजन याचिका शुरू करने से पहले अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रहे हैं। अभियोजन पक्ष की याचिका के बाद ही न्यायालय समझौता कर सकता है। जब मामला न्यायालय में लंबित है तो किसी अधिकारी को मामले में समझौता करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? इसे और कैसे जटिल बनाया जा सकता है? इसलिए, कृपया इस मामले को देखें।

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 33 के संशोधन संख्या 24 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 33 विधेयक का अंग है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 34 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

विधेयक में खंड 1, अधिनियमन सूत्र लागू करना और विस्तृत नाम जोड़ा गया था।

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

**श्री रामविलास पासवान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**प्रो. सौगत राय:** महोदय, मैं विधेयक पर बस एक मिनट बोलना चाहता हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक बेचे जाने वाले कुल उत्पादों के केवल एक भाग को ही कवर करता है। मुख्यतः वह क्षेत्र जहां मानकीकरण सर्वाधिक आवश्यक है, वह है खाद्य उत्पाद। इसका असर सबसे बड़ी कंपनियों पर पड़ता है। आपको मालूम होगा कि 10-12 साल पहले कोका कोला कंपनी द्वारा निर्मित बिसलेरी में कीटनाशक पाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। संसद को एक समिति गठित करनी पड़ी। आप मैगी नूडल्स में सीसा पाए जाने से उत्पन्न संकट से भी अवगत हैं, जिस पर काफी विवाद हुआ था। मंत्रालय के अंतर्गत कई कानून हैं जिन पर उचित तरीके से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि खाद्य उत्पादों को भी इसके अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि वे वस्तुओं, सेवाओं आदि को इस विधेयक के अंतर्गत ला रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उन पर नियंत्रण हो।

अंत में, उन्होंने स्वयं बताया कि सोना एक ऐसी वस्तु है जिस पर हॉल मार्किंग नहीं होती।

महोदय, 90 प्रतिशत सोना बिना हॉलमार्क या एगमार्क के बिकता है। आम लोगों को ठगा जा रहा है। जैसा कि उसने बताया, नौ कैरेट सोने को 22 कैरेट सोने के रूप में दिखाया जा रहा है। इस कानून के साथ भी, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अभी या बाद में बताएं कि वे नए कानून या सभा द्वारा उन्हें सर्वसम्मति से दी जा रही नई शक्तियों को लागू करने के लिए वास्तव में क्या करेंगे। इसके बिना, भारतीय लोग मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीदेंगे। वे मिलावटी खाद्य पदार्थ खाएंगे, नकली उत्पाद खरीदेंगे, एक जैसे दिखने वाले उत्पाद खरीदेंगे, नकली हेलमेट या झूठे हेलमेट पहनेंगे और हर तरह से कष्ट झेलेंगे। सरकार को उपभोक्ताओं को सुरक्षा देनी चाहिए ताकि उन्हें उनके पैसे का उचित मूल्य मिल सके।

[हिन्दी]

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इस बिल का जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन है कि डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के हिसाब से जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, उनको बराबर मीट किया जाएगा। जिस तरह से पिछली सरकार में सिंगल ब्रांड रिटेल और मल्टी-ब्रांड रिटेल को इन लोगों ने पास

किया और जिस तरह से वालमार्ट, किंगफिशर, टेस्को जैसी कंपनियां आएंगी और उनके जो प्रोडक्ट्स यहां बिकेंगे, उनका जो स्टैंडर्ड है, उसमें बीआईएस कैसे प्रभावी होगा?

दूसरे, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसा अभी फूड प्रोडक्ट्स के बारे में सौगत रॉय जी कह रहे थे, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने हमारे अलफांसो आम को खाने के काबिल नहीं मानकर बैन कर दिया था। उसी तरह से हमारी पूरी स्टील इंडस्ट्री अभी क्राइसिस में जी रही है, वह चाइना से कम्पीट कर रही है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों या दीपावली के सामान हों, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं हों, सब चीजें चाइना से बनकर आती हैं। डब्ल्यूटीओ की आब्लीगेशन के कारण पूरी दुनिया में हमारी जो स्थितियां हैं, उसके लिए डब्ल्यूटीओ में भारत सरकार का क्या ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म है कि हम अपने बीआईएस को प्रभावी तरीके से लागू कर पाएंगे और अपनी स्थितियों को दुनिया के सामने ला पाएंगे?

[अनुवाद]

**श्री पी.पी. चौधरी (पाली):** महोदय, मुझे स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक बी.आई.एस. और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जैसे अन्य अधिकृत प्राधिकरणों द्वारा मानकों के निर्माण के मामले में दोहराव की संभावना पैदा करता है। क्या इससे मानकों में विचलन और अत्यधिक मानकीकरण हो जाएगा, विशेषकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के संबंध में? विभिन्न निकायों द्वारा परस्पर विरोधी मानकों या दोहरे मानकीकरण के परिदृश्य में, किसके मानक मान्य होंगे और लागू किए जाएंगे तथा बीआईएस और अन्य निकायों द्वारा किसी भी परस्पर विरोधी मानकों या दोहरे मानकीकरण को हल करने के प्रावधान के बारे में क्या कहा जाएगा?

[हिन्दी]

**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी वर्ष 1986 के मानक कानून को बदलकर नया कानून लाए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी गुणवत्ता को मापने का हमारा जो तरीका है, उन

पदार्थों की क्वालिटी एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित की जाती है। इसमें कैसे समन्वय होगा, जैसे तेल है, तेल खाद्य पदार्थ में भी शामिल है, इसको हम कैसे बीआईएस के अंतर्गत कैसे लाएंगे? मैं इसमें स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इसके लिए कैसे नए कानून कठोरता से लागू करेंगे? क्या समन्वय बनाकर लागू करेंगे या अपने विभाग द्वारा ही किसी विशेष तरीके से इसे कड़ाई से लागू करेंगे?

दूसरा विषय यह है कि धारा 18(6) के अंतर्गत माल वापस मंगाने का आपने प्रावधान रखा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन-कौन सी वस्तुओं को आप वापस मंगाने की श्रेणी में रखेंगे? जो सेवा हम दे रहे हैं, उसके बारे में क्या व्यवस्था होगी?

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री रतन लाल कटारिया, आप इस विधेयक पर पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कृपया आगे बढ़ें।

[हिन्दी]

**श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) :** मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 13 फरवरी को गुवाहटी में कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें आदरणीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम बीआईएस के अंतर्गत स्वच्छ भारत स्कीम को भी लाएंगे। इसके लिए किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा? दूसरा, स्मार्ट सिटी के लिए बीआईएस का इस प्रकार का सेटअप हम खड़ा करेंगे जिसके अंतर्गत हम सभी स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करेंगे। इसके अलावा बीआईएस के अंतर्गत वर्ष 2016 तक फाइव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब्स हिन्दुस्तान में स्थापित करने की बात कही थी। इन सब बातों को लागू करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** महोदय, पासवान जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें टैक्ट है, फैक्ट है, लेकिन एक्ट में कुछ कमजोरियां हैं। इसमें थोड़ी ताकत लाने के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि

[अनुवाद]

"पहली बार उल्लंघन करने पर कारावास की अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना दो करोड़ रुपये से कम नहीं होगा और दूसरी बार और उसके बाद के उल्लंघन के लिए जुर्माना पांच करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जुर्माने की राशि को बीस गुना तक बढ़ाया जा सकता है।"

ऐसा होने से एकट में तुरन्त ताकत आएगी, नहीं तो टैकट रहेगा, फैकट रहेगा, लेकिन एकट कमजोर हो जाएगा।

[अनुवाद]

**श्री पी.के. बिजू (अलथूर):** महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा। ब्यूरो की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत, खंड 9, अध्याय 2 के तहत कहा गया है, "भारत में या बाहर शाखाएं, कार्यालय या एजेंसियां स्थापित करें।"

जहां तक विदेशी निर्माताओं का सवाल है, उन्होंने बी.आई.एस. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यही हमारी प्रणाली है। लेकिन भारत के बाहर शाखा खोलने का उद्देश्य क्या है? कृपया इसे स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

**श्री रामविलास पासवान :** महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूँ कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड केवल कागज पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि असल में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीआईएस ने अभी कुछ ही मानक बनाए हैं और हमने कुछ के लिए लाइसेंस भी जारी किया है। खाद्य का मानक हम नहीं बनाते हैं, बल्कि हेल्थ मिनिस्टरी बनाती है, चूंकि उनके पास एक्सपर्टाइज़ है। उनके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जिसके अंतर्गत यह आता है। इसी तरह से टेलीकॉम टेलीकॉम अथॉरिटी के अंडर है। हम यह करने जा रहे हैं कि सभी के स्टैंडर्ड को, जिसमें वॉलियंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन सभी को लेकर हम इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बना रहे हैं। लेकिन मार्किट में कोई भी सामान जाएगा और उसकी शिकायत मिलेगी, तभी हमारा इंस्पेक्टर जाएगा, हम

पहले से ही जाकर जांच करना शुरू कर दें कि तुम्हारा यह सामान सही नहीं है, गलत है, उसमें इंस्पेक्टर राज हो जाता है। जब एक बार शिकायत आएगी तो निश्चित है कि वहां हमारा इंस्पेक्टर जाकर देखेगा। पुलिस को जो कार्रवाई करनी होगी, वह करेगी।

दूसरा, आपने अनिवार्यता की बात कही है। सरकार ने अनिवार्यता के लिए एक क्लॉज दिया है कि नेशनल इंटररेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के प्वाइंट ऑफ व्यू से, जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सरकार की नजर में जो-जो सामान आएगा, सरकार उसको मंडेटरी करने का काम करेगी। हॉल मार्किंग के संबंध में मैंने कहा था कि हॉल मार्किंग मंडेटरी के अंतर्गत आए। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, जिसमें अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं।

हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, हमें सबको देखकर कानून बनाना पड़ता है और जैसा कि हमने कहा कि यदि उसमें कहीं खामी रही तो जब हमारे रूल्स वगैरह बनेंगे, उसमें हम देख लेंगे कि उसमें कितना समाहित कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। चूंकि यह मामला काफी दिनों से रुका हुआ था, इसे तीस साल हो गये हैं, तीस सालों के बाद एक बिल सदन में मानक को लेकर आया है, इसलिए यह एक हिस्टोरिक बिल है, जिसे आप एक्ट बनाने जा रहे हैं और जब यह एक्ट बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**सायं 06.47 बजे****उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (वेतन और सेवा शर्तों) संशोधन विधेयक, 2015**

**माननीय उपाध्यक्ष:** इसके बाद, हम मद सं11 पर विचार करेंगे। श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा।

... (व्यवधान)

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** महोदय, इस पर कल चर्चा हो सकती है।

**माननीय उपाध्यक्ष:** वह केवल विधेयक पेश कर रहे हैं। हम इस पर कल ही चर्चा करेंगे। वह केवल विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं।

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा):** मैं विधेयक पेश करूंगा। बाकी बातें मैं कल करूंगा।

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** अभी शाम के 6.45 बज चुके हैं.... (व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू):** ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं। जहां तक इस सप्ताह का प्रश्न है, हम लगभग समाप्ति की ओर हैं। उन्हें ऐसा करने दो। हम कल इस पर चर्चा करेंगे।

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बाकी बातें कल कहूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 दिनांक 13.8.2015 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। बाकी बातें मैं कल बताऊंगा।

**माननीय उपाध्यक्ष:** सभा की कार्यवाही कल, 4 दिसंबर, 2015 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित होती है।

**सायं 06.47 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015 / 13 अग्रहायण, 1937 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक  
के लिए स्थगित हुई।

---

## **इंटरनेट**

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के बाद अंग्रेजी संस्करण और ,विवाद का मूल संस्करण-हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

### **लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण**

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह .वी. बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन 11.00 प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

---

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के  
अंतर्गत प्रकाशित

---